लोक-सभा

सोमवार,
१२ सितम्बर, १९५५

वाद-विवाद

1st Lok Sabha

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

खंड ५, १९५५

(२२ अगस्त से १६ सितम्बर, १९५५)

दशम सत्र, १९५५

(खंड ५ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय–सूची

(खंड ५, अंक २१ से ४०, दिनांक २२ अगस्त से १६ सितम्बर १९५५

अंक २१––सोमवार, २२ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर–– स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ९७७, ९७८, ९८१, ९८३, ९८४, ९८६, ९८८ से ९९२, ९९४ से ९९६, ९९९ से १००१, १००३, १००४, १००८ से १०१०, ९८५, १००५ और १००७ . . . १४३९–७८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . १४७८–८३

प्रश्नों क लिखित उत्तर––

ताराकित प्रश्न संख्या ९७६, ९७९, ९८०, ९८२, ९८७, ९९३, ९९७, ९९८, १००२ और १००६ . . . १४८३–८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१४ से ५३४ . . . १४८९–१५००

अंक २२––मंगलवार, २३ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३,१०१५, १०१७, १०१९ से १०२ , १०२४ से १०२८,१०३०, १०३१, १०३२,१०३४ से १०३६, १०३८, १०४१ से १०४६, १०४८, १०४९, १०५३ और १०५४ से १०५६ . . १५०१–४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०११, १०१२, १० ४, १०१६, १०१८, १०२२, १०२३, १०२९, १०३३, १०३७, १०३९, १०४०, १०४७, १०५०, १०५१, १०५२ और १०५७ से १०६४ . . . १५४४–५७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३५ से ५६३ . . . १५५७–७२

अंक २३––बुधवार, २४ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १०६५, १०६६, १०६८ से १०७२, १०७४, १०७५, १०७९, १०८१,१०८३, १०८५,१०८९ से १०९१, १०९३ से १०९५, १०९८ से ११००, ११०२ से ११०६ और ११०८ . . १५७३–२१

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १०६७, १०७३, १०७६ से १०७८, १०८०, १०८२, १०८४, १०८६. १०८८, १०९२, १०९६, १०९७, ११०१, ११०७ और ११०९ से ११२३ १६२१-३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६४ से ५८४ और ५८४ और ५८६ से ६०४ १६३९–६८

अंक २४--गुरुवार, २५ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२४, ११२५, ११२९, ११३१, ११३२, ११३५, ११३७ से ११३९, ११४१, ११४५, स ११४७, ११४९, ११५०, ११५२ ११५४ से ११५६, ११५८, ११३३, ११२६, ११४८, ११४४, ११५३ और ११५७ ११६९–१७०९ १७०९–११

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११२७, ११२८, ११३०, ११३४, ११३६, ११४०, ११४२, ११४३ और ११५१ १७११–१६ १७१६–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६१८

अंक २५--शुक्रवार, २६ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११५९ से ११६१, ११६४ ११६७, ११६८, ११७०, ११७१, ११७३, ११७५, ११७८, ११८१, ११८४, ११८५, ११८९, ११९०, ११९४, ११९५ और ११९६ १७२३–१७६३

तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ क उत्तर में शुद्धि १७६३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११६३, १ ६५, ११६६, ११६९, ११७२, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९, ११८०, ११८२, ११८३, ११८६ से ११८८, ११९१ से ११९३, ११९७ से १२०३ . . १७६३–७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६१९ से ६३६ . . . १७७८–८८

अंक २६--मंगलवार, ३० अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०४ से १२०६, १२११, १२१२, १२१४ से १२१६, १२२१, १२२४ से १२२८, १२३१, १२३२, १२३४ से १२३९ और १२४१ १७८९–१८३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १२०७ से १२१०, १२१३, १२१७ से १२२०, १२२२, १२२३, १२२६, १२३०. १२३३, १२४० और १२४२ से १२५४ .... १८३२–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३७ से ६६८ . . १८४८–७०

अंक २७—बुधवार, ३१ अगस्त, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५५, १२५६. १२५८, १२६२ से १२६४, १२६६. १२६८ से १२७०, १२७२, १२७४; से १२७७, १२७९ से १२८३, १२८८ से १२९०, १२९२, १२९३. १२९५ से १२९९. १३०१ और १३०२ १८७१—१९१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२५७, १२५९ से १२६१, १२१५, १२६७, १२७१ १२७३, १२७८, १२८४ से १२८७, १२९१ से १२९४ और १३०० १९१५–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ६७९ १९२१-२८

अंक २८—गुरुवार १ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०३, १३०६, १३०७, १३०९, १३१० से १३१२, १३१५, १३१७, १३१८, १३२०, १३२२ से १३२४, १३२६ से १३३०, १३४१, १३३१, १३३३, १३३५ से १३३७, १३४० और १३४२... १९२९-७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०४, १३०५, १३०८, १३१३, १३१४, १३१६, १३१९, १३२१, १३२५, १३३४, १३३८, १३३९ और १३४३ से १३४५ . . . . . १९७२–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७९१ १९८०–९०

अंक २९— शुकवार २ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रस्न संख्या, १३४६, से १३५५, १३५९ से १३६२, १३६४, १३२५, १३६७, से १३७४, १३७६, १३७८, से १३८३ और १३८६ १९९१–२०३६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . २०३६–३८

प्रश्नों क लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५६ से १३५८, १३६३, १३६६, १३७७, १३८४, १३८५, १३८७, से १३९१ . . २०३८–४५

अता ंकित प्रश्न संख्या ७०२ स ७४० २०४५–७०

अंक ३०—शनिवार ३ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९४, १४०३, १३९५ से १३९७, १३९९, १४००, १४०४ से १४०७, १४०९, १४१०, १४१३, १४१४, १४१६, १४१८, १४१९, १४२३, १४२४, १४२६ से १४२८, १४३०, १३९२ और १४१२ . . . . २०७१-२११२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३९३, १३९८, १४०१, १४०२. १४०८, १४११, १४१५, १४२१, १४२२, १४२५, १४२९ और १४३१ . . २११२-२११८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७४१ से ७५३ . . २११८-२१२४

अंक ३१—सोमवार ५, सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३३, १४३६, १४३७, १४४०, १४४१, १४४३, १४४४, १४४७, १४४८, १४५० से १४५३, १४५५, १४५६, १४५८, १४५९, १४६१, १४६४, १४३८, १४४६ और १४४९ . २१२५-२१५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४३४, १४३५, १४३९, १४४२, १४४५, १४५४, १४५७, १४६०, १४६२, १४६३ और १४६५ . . २१५७-२१६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५४ से ७८० २१६२-२१७८

अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६६, १४६७, १४६९ से १४७१, १४७४ से १४८१' १४८५' १४८६' १४८८ स १४९४, १४९६' १४९८ से १५००' ५०२' १५०३' और १५०५ से १५०७ . . २१७९-२२२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६८, १४७२, १४७३, १४८२, १४८३, १४८४, १४८७, १४९५, १४९७, १५०१, १५०४ और १५०८ से १५१५ २२२७-३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ७८१ से ८१०, ८१२ और ८१३ २२३६-५६

अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५१६ से १५२२, १५२४ से १५२७, १५४७, १५२८ से १५३३, १५३६, १५३७ और १५३९ से १५४५ २२५७-२३०४

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५२३, १५३४, १५३५, १५३८, १५४६ और १५४८ से १५५४	२३०४–१०
अतारांकित प्रश्न संख्या ८१४ से ८२३	२३१०–१८
अंक ३४ --गुरुवार, ८ सितम्बर १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५५, १५५६, १५५८ से १५६०, १५६२ से १५६६, १५६८, १५७०, १५७१, १५७३ से १५७६, १५७८ से १५८३, १५८५, १५८७ से १५८९, १५९१ और १५९२	२३१९–६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५७, १५६१, १५६७, १५६९, १५७२, १५७७, १५८४, १५८६, १५९०, और १५९४, से १५९६ . .	२३६४–७२
अतारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८४१	२३७२–८४
अंक ३५ – शुक्रवार ९ सितम्बर, १९५५	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९७, १५९८, १६०० से १६०६, १६१० से १६१३, १६१५, १६२०, १६२२ से १६२५, १६२७ से १६३० १६३२ से १६३९ और १६४१ . .	२३८५–२४३१
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९९, १६०७ से १६०९, १६१४, १६१६, १६१८, १६१९, १६२१, १६२६, १६३१, १६४० और १६४२ से १६५३	
अतारांकित प्रश्न संख्या ८४२ से ८७४	२४३२–४७
अंक ३६—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५	२४४७–७२
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५४ से १६५७, १६६१, १६६३, १६६६, १६६७, १६६९, १६७१, १६७३, १६७५, १६७७ से १६८०, १६८२, ६८४, १६८५, १६६८ और १६५९ . .	२४७२–२५११
प्रश्नों के लिखित उत्तर–	
तारांकित प्रश्न संख्या १६५८, १६६०, १६६२, १६६४, १६६५, १६७० १६७२, १६७४, १६७६, १६८१, १६८३, और १६८६ से १६८८ .	२५१२–१८
अतारांकित प्रश्न संख्या ८७५ से ८८४ .	२५१८–२४

अंक ३७--मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या १६८९ से १७१८ . . . २५२५-४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९०२, ९०४ और ९०५ . . २५४२-५६

अंक ३८--बुधवार १४ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७१९ से १७८७ . २५५८-२६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०६ से ९४१ . . २६०२-२२

अंक ३९--गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७९० से १७९२, १७९४ से १८०१, १८०३ से १८११, १८१३ से १८१६, १८१९ से १८२१ और १७८८ . २६२३-७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७८९, १७९३, १८०२, १८१२, १८१७ और १८१८ . . . २६७१-७४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९४२ से ९५३ २६७५-८२

अंक ४०--शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

प्रश्नों क मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२२, १८२४ से १८२६, १८२८, १८२९, १८३१, १८३२, १८३४, १८३५, १८३७, १८३८, १८४०, १८४१, १८४३ स १८५३, १८५५ और १८५७ से १८६० . . २६८३-२७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १८२३, १८२७, १८३०, १८३३, १८३६, १८३९, १८४२, १८५४, १८५६ और १८६१ से १८६७ . . २७२८-३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से ९७६ और ९७८ से ९९१ २७३७-६०

अनुक्रमणिका . १-१८०

GIPND—302 LSD—N.H.S.—18—4—57.—190.

लोक-सभा

सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

साहित्य अकादमी

*१६५४. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **शिक्षा मंत्री** निम्न बातों के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) साहित्य अकादमी से किन-किन संस्थाओं को सहायता अनुदान प्राप्त होता है और १९५५ के वर्ष में अब तक इन में से प्रत्येक संस्था को कितना धन दिया गया है;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष में इस उद्देश्य के लिए कोई और धन राशि अलग रखी गई है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) १९५५ के वर्ष में किसी भी संस्था को साहित्य अकादमी से कोई सहायता अनुदान नहीं दिया गया है ।

(ख) और (ग). चालू वित्तीय वर्ष में संस्थाओं को अनुदान रूप में देने के लिए साहित्य अकादमी द्वारा कोई धन नहीं रखा गया है । मैं इतना और कह दूं कि अकादमी के कार्यपालिका बोर्ड ने यह नीति

निर्धारित की है कि अकादमी न तो किसी संस्था को संबद्ध करेगी और न ही अनुदान देगी । परन्तु, अकादमी ने केवल एक अनुदान दिया है । अकादमी ने मलयालम कवि श्री क्ल्लयल नरायन, मेनन को ऋग्वेद का मलयालम में अनुवाद प्रकाशित करने के लिए १५,००० का अनुदान दिया है । ऐसा अनुदान संबद्ध भाषा के परामर्शदाता बोर्ड की सिफ़ारिश पर अकादमी का प्रबन्धक बोर्ड स्वीकार करता है ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या अकादमी ने भारत में सुप्रसिद्ध महा विद्वान व्यक्तियों को सम्प्रदान और पुरस्कार देने का कोई प्रोग्राम बनाया है ?

डा० एम० एम० दास : अकादमी की समस्त कार्यवाहियां अकादमी के १९५४-५५ के प्रतिवेदन में प्रकाशित हुई हैं और मेरा ख्याल है--मुझे इस बारे में पूर्ण विश्वास नहीं है--कि सदस्यों की सूचना के लिए इस की एक प्रति पुस्तकालय में रखी गई है ।

श्री डी० सी० शर्मा : जहां तक भारतीय उत्कृष्ट साहित्य के एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद प्रकाशित करने का सम्बन्ध है, क्या चालू वर्ष में अकादमी का कोई प्रोग्राम है ?

डा० एम० एम० दास : इस प्रतिवेदन में कार्यक्रम की एक विस्तृत सूची दी है और मैं माननीय सदस्यों से इस प्रतिवेदन को देखने का निवेदन करता हूं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या सरकार ने विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न भाषाओं के लेखकों में अधिक जान पहचान और एक दूसरे को समझने की भावना को उत्पन्न करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

डा० एम० एम० दास : हां, श्रीमान । अकादमी का एक उद्देश्य यह भी है और १९५३ के वर्ष भारतीय कविता के संग्रह में हमारे संविधान में उल्लिखित १४ भाषाओं में से प्रत्येक की १० कवितायें चुनने और उनका हिन्दी में अनुवाद करने का प्रबन्ध पहिले ही किया जा चुका है ।

श्री केलप्पन : क्या इस निधि से सहायता के लिए कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे और उन्हें अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

डा० एम० एम० दास : हिन्दी साहित्य का एक व्यापक इतिहास लिखने के लिए नागिरी प्रचारणी सभा, बनारस ने एक लाख रुपये के अनुदान की प्रार्थना की थी । हमें दूसरा प्रार्थनापत्र स्वर्गीय डा० एस० वी० केटकर के प्राचीन महाराष्ट्र के अवशेष दो खंडों को प्रकाशित करने के लिए श्रीमती एस० कटकर से प्राप्त हुआ था । तीसरा प्रार्थनापत्र, तामिल में थिरुक्कुरल के गवेषणा प्रकाशन के लिए अनुदान के लिए हमें कोयम्बटूर से राम कृष्ण मिशन विद्यालय का प्राप्त हुआ था । साहित्य अकादमी ने ये सारे प्रार्थना पत्र शिक्षा मंत्रालय को भेज दिये हैं ।

अखिल भारतीय आदी अपराधी बिल

*१६५५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अखिल भारतीय आदी अपराधी बिल के प्रारूप पर राज्य सरकारों ने क्या अपनी रायें व्यक्त कर दी हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री बी० एन० दातार) : जी हां ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह बिल कब तक प्रस्तुत किया जायगा ?

श्री दातार : बहुत जल्दी ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकारों ने क्या सिफारिशें की हैं ?

श्री दातार : राज्य सरकारों ने जो कहा है मैं वह बताने में असमर्थ हूं परन्तु हम यथा शीघ्र एक विधेयक प्रस्तुत करेंगे ।

रूस से सहायता

*१६५६. **श्री इब्राहीम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कुछ सरकारी अधिकारियों ने, जो रूस में भारतीय नागरिकों को, संयुक्त राष्ट्र संघ के टेक्नीकल सहायता सम्बन्धी विस्तृत प्रोग्राम के अधीन, प्रशिक्षित करने के लिए प्राप्य सुविधाओं का अध्ययन करने की दृष्टि से जून १९५५ में वहां गये थे, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) अभी नहीं ।

(ख) इस स्थिति में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एस० सी० सामन्त : इन प्रशिक्षार्थियों को किन विषयों में प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

श्री बी० आर० भगत : अभी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। हमने जो लोग भेजे थे उनमें केन्द्रीय जल, विद्युत और नौवहन आयोग, असैनिक उड्डयन विभाग, वन विभाग के लोग और एक खान निरीक्षक सम्मिलित थे। अतः ये सारे विषय सम्मिलित हैं।

डा० राम सुभग सिंह : प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत होने की संभावना है और उस प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में सभा-सचिव को क्या कठिनाई है ?

श्री बी० आर० भगत : इस मास के अन्त तक प्रतिवेदन प्राप्त होने की आशा है। टीम हाल में ही लौटी है, मेरा ख्याल है लगभग तीन सप्ताह पूर्व लौटी है। वे प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं जो एक व्यापक प्रतिवेदन होगा और उसमें औद्योगिक और विकास क्षेत्रों के समस्त पहलुओं का उल्लेख होगा। इस प्रतिवेदन को सभा के पटल पर रखने के बारे में, प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

श्रीमती इला पालचौधरी : इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए कितने भारतीय विद्यार्थी भेजे जायेंगे क्या कोई अनुमान है ?

श्री बी० आर० भगत : अभी कोई अनुमान नहीं हो सकता, अभी इन का समय नहीं है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर स्वभाविक प्रक्रिया आरम्भ होगी; प्रार्थनापत्र आमन्त्रित किये जायेंगे और तब रूस में प्राप्य स्थानों पर विचार-विमर्श होगा।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : माननीय सभा सचिव ने बताया है कि प्रतिनिधि मंडल में, जो वहां गया था, एक खान निरीक्षक था। मैं जानना चाहता हूं कि वह व्यक्ति कौन था क्योंकि जो प्रतिनिधि मंडल गया था उसमें कोई खान निरीक्षक नहीं था और उसमें खान विभाग का केवल एक प्रोफैसर था ?

श्री बी० आर० भगत : मेरा ख्याल है कि वह व्यक्ति श्री बी० एस० जब्बी, उप-मुख्य खान निरीक्षक, था।

सशस्त्र बल उपकारी (बेनेवोलेंट) फंड

***१६५७. श्री भक्त दर्शन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र बल उपकारी फंड में उसके आरम्भ होने के समय कितनी राशि जमा की गई थी; और

(ख) ३१ मार्च, १९५५ को उस फंड में कितनी राशि शेष रह गई थी ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया) : (क) देश का बंटवारा होने के बाद इस फंड में भारत को रु० ६५,८६,७३४-१०-१ मिला।

(ख) रु० ५४,५७,७११-५-८

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे जिनकी कि वजह से इस फंड की स्थापना की गई थी और किस उद्देश्य के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है ?

सरदार मजीठिया : यह फंड एक्स सर्विसमेन और जो सर्विंग सोल्जर्स हैं, उनको एकोनामिक डिस्ट्रैस में सहायता पहुंचाने के लिए है। इसके अलावा

स्कालरशिप्स् हैं जो कि भारतीय सैनिकों के लड़के लड़कियों के वास्ते हैं और उन भतपूर्व सैनिकों की जिनकी कि बांह वगैरह कट गई थी या लड़ाई में हानि हो गई थी, उनको सहायता दी जाती है ।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह फंड कहां से एकत्र हुआ था, गवर्नमट ने अपने कोष से दिया, एक्स सर्विसमेंन ने या सर्विंग सोल्जर्स ने दिया या गवर्नमेंट ने अपने पास से यह फंड शुरू किया था ?

सरदार मजीठिया : जो पिछले वाइसराय थे, उन्होंने ७५ लाख इस फंड को आरम्भ करने के लिए दिया था ।

श्री भक्त दर्शन मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके वितरण की क्या प्रणाली है ? क्या डिस्ट्रिक्ट सोल्जर्स बोर्ड से राय मांगी जाती है या केन्द्र में कोई कमेटी इसके लिए बनाई गई है जो इसका फैसला करती है ?

सरदार मजीठिया : केन्द्र में एक कमेटी है जिस के कि चेअरमैन डिफेंस मिनिस्टर हैं और उसमें मैं भी एक मेम्बर हूं । बोर्ड में ये ये लोग हैं :—

रक्षा सचिव, सेना प्रमुख, नौ सेना प्रमुख, विमान सेना प्रमुख, महा सहायक, भारतीय सैनिक, नाविक और विमान सैनिक बोर्ड के सचिव ।

इकट्ठे बैठ कर हम यह फैसला करते हैं कि आर्मी हैडक्वार्टर्स पर कितना देना है, ऐयर हैडक्वार्टर्स पर कितना देना है और नेवेल हैडक्वार्टर्स पर कितना देना ह और जब हम दे देते हैं तो उसके बाद फिर वह अपनी यूनिट्स को कंटैक्ट करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या चाहिये और उनकी जैसे जैसे मांग आती है, उस पर विचार करके जितना जितना वह मदद कर सकते हैं, वह करते हैं ।

श्रीमती इला पालचौधरी : क्या इस निधि में आई० एन० ए० कर्मचारियों के लिए भी कोई व्यवस्था की गई है ?

सरदार मजीठिया : जिन आई० एन० कर्मचारियों ने भारतीय सेना में सेवा की थी, उन्हें इसमें सम्मिलित किया गया है ।

पंजाब विश्वविद्यालय

*१६६१. **श्री गिडवानी** : क्या शिक्षा मंत्री २८ सितम्बर, १९५४ को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या १४२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब विश्वविद्यालय को पुर्नसंस्थापन के लिए कितना धन दिया गया था ?

शिक्षा मंत्रालय के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : इस मामले में कोई फैसला नहीं किया गया है क्योंकि विश्वविद्यालय से पूछी गई कुछ विस्तृत सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में पंजाब विश्वविद्यालय के उप-कुलपति शिक्षा मंत्री से मिले थे ?

डा० एम० एम० दास : मुझे विदित नहीं है कि उप-कुलपति शिक्षा मंत्री से मिले हैं या नहीं ।

श्री गिडवानी : अब तक कितना धन व्यय किया गया है और किस प्रयोजन से ?

डा० एम० एम० दास : पंजाब विश्व विद्यालय के पुनर्वास के लिए ७२ लाख रुपये अनुदान रूप में मांगे गये हैं।

श्री गिडवानी : क्या और अधिक धन देने के मामले में सरकार ने कोई फैसला किया है ?

डा० एम० एम० दास : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस मामले में कोई फैसला नहीं किया गया है क्योंकि पंजाब विश्व-विद्यालय से पूछी गई विस्तृत सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

चल चित्र

*१६६३. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५५ में अब तक रूसियों और अमरीकनों ने भारत में अपने चलचित्र वितरित करके कितना धन कमाया है; और

(ख) उपरोक्त काल में रूस और अमरीका में भारत ने अपने चलचित्रों के वितरण से कितना धन कमाया है ?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) तथा (ख). रूसियों और अमरीकनों ने कितना धन कमाया, इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं है परन्तु जनवरी—जून १९५५ के काल में अमरीकी चल चित्रों के सम्बन्ध में अमरीका को १६,९८,००० रुपये भेजे गये हैं। इस काल में रूस को कोई धन नहीं भेजा गया। भारत को इस काल में रूस और अमरीका में से किसी से भारतीय फिल्मों के सम्बन्ध में कोई धन प्राप्त नहीं हुआ।

श्री जोकीम आल्वा : भारत में दिखाये गये अमरीकी चल चित्रों के लिये अमरीका को भेजे गये धन से अनुमान लगाते हुए क्या वित्त मन्त्रालय ने कभी, इस वर्ष या विगत पांच वर्षों में, अन्य मंत्रालयों से यह पता लगाने के लिए कहा है कि अमरीका में दिखाये जाने वाले भारतीय चलचित्र क्यों अधिक धन अर्जन नहीं कर रहे हैं ?

श्री बी० आर० भगत : स्पष्ट है कि भारतीय चल चित्र अमरीका में बहुत लोक प्रिय नहीं हो रहे हैं।

श्री आर० एन० सिंह : वे अमरीका में लोक प्रिय क्यों नहीं है ?

अनेकों माननीय सदस्य उठे—

अध्यक्ष महोदय : अनेकों माननीय सदस्य उठ रहे हैं। बात यह है कि क्या भारत सरकार ने इस की कोई जांच की है कि अमरीका में भारतीय चलचित्र क्यों लोकप्रिय नहीं हो रहे हैं ?

श्री बी० आर० भगत : मेरा ख्याल है कि इसका सम्बन्ध सूचना और प्रसारण मंत्रालय से है।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार को विदित है कि अमरीका के बर्मा जैसी कुछ अन्य सरकारों से कुछ करार हैं, जिसके अनुसार चलचित्र द्वारा अर्जन का कुछ भाग उस देश में विनिमय किया जायेगा जहां वह दिखाई जाती हैं, और यदि हां, तो क्या सरकार अमरीका से भारत का भी कोई ऐसा करार करने के औचित्य पर विचार करेगी ?

श्री बी० आर० भगत : मुझे अमरीका और बर्मा के बीच किसी करार का ज्ञान नहीं है । जहां तक भारत में चलचित्रों के आयात का सम्बन्ध है, यह गैर-सरकारी स्तर पर होता है । गैर-सरकारी लोग आयात व निर्यात करते हैं ।

कलकत्ता नेशनल बैंक लि०

*१६६६. **श्री कामत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता नेशनल बैंक लि० के परिसमापन कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बैंक के ऋणदाताओं को लाभांशों का भुगतान करने का आदेश दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उच्च न्यायालय के आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) कलकत्ता नेशनल बैंक लि० को बंद करने का अन्तिम रूप से आदेश ३०-४-१९५३ को दिया गया था । इस कार्य के लिए एक सरकारी परिसमापक पदाधिकारी नियुक्त किया गया था । १२-३-५४ को कलकत्ता उच्च न्यायालय से संबद्ध न्यायालय के परिसमापक ने बैंक का भार संभाला था । कई आस्तियों और सम्पत्तियों का विक्रय करने के लिए कार्यवाही की गई है । शेष की सम्पत्तियों में से अधिकांश के विक्रय के बारे में न्यायालय की हिदायतें प्राप्त कर ली गई हैं । जिन दावों की डिगरियां हो चुकी हैं उन डिगरियों को कार्यरूप देने के लिए कार्यवाहियां की जा रही हैं । कलकत्ता न्यायालय में बैंक के कर्जदारों के विरुद्ध अनेकों मामले अनिश्चित पड़े हैं । बैंक समवाय अधिनियम की धारा ४५घ के अधीन अवशेष कर्जदारों के विरुद्ध बैंक के दावों के सम्बन्ध में कर्जदारों की नामावलियां प्रस्तुत करने के लिए भी प्रबन्ध किये जा रहे हैं ।

(ख) हां, श्रीमान । कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिनांक २४-९-१९५४ के एक आदेश में कहा है कि बैंक के विशेषाधिकार प्राप्त ऋणदाताओं और १०० रुपये तक के बैंक के बचत बैंक निक्षेपकों को बैंक १०० प्रतिशत लाभांश का भुगतान करे । कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक १६-३-१९५५ के अन्य आदेश के अधीन साधारण निक्षेपकों को, जिनमें बैंक के निक्षेपक भी सम्मिलित हैं, १० प्रतिशत की दर से लाभांश की घोषणा की गई है। इन दोनों आदेशों के अनुसार भुगतानों में प्रगति हो रही है ।

(ग) उच्च न्यायालय के दिनांक २४-९-५४ और १६-३-५५ के आदेशों की प्रतियां सभा-पटल पर रखी जाती हैं । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ११]**

श्री कामत : क्या सरकार ने उच्च न्यायालय के दिनांक १८ अप्रैल १९५५ के आदेश पर, जिसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है, ध्यान दिया है कि उच्च न्यायालय के दिनांक २४ सितम्बर १९५४ के आदेश के होते हुए भी, उस आदेश के दिनांक तक बैंक के किसी भी साधारण ऋणदाता को किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है ? लगभग पांच मास से कोई लाभांश नहीं दिया गया है । क्या सरकार ने इस पर ध्यान

दिया है और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री ए० सी० गुह : साधारण ऋण-दाता को दस प्रतिशत के लाभांश की केवल १६-३-१९५५ को घोषणा की गई थी। अतः, मैं नहीं जानता कि उस दिनांक से पहिले परिसमापक कैसे कोई लाभांश दे सकता था।

श्री कामत : क्या यह सच है कि बैंक के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक पर अपराधात्मक अभियोग चल रहा है, और यदि हां तो इन कार्यवाहियों में क्या प्रगति हुई है ?

श्री ए० सी० गुह : एक अपराधात्मक मामला पहिले से ही है, और मेरा ख्याल है कि न्यायालय का परिसमापक भी सभापति के विरुद्ध एक अन्य अभियोग पर विचार कर रहा है। प्रबन्ध निदेशक कोई न था। बैंक का कवल एक सभापति था।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या बैंक की आस्तियों का कोई प्राक्कलन तैयार किया गया है, और यदि हां, तो धन मात्रा कितनी है ?

श्री ए० सी० गुह : बैंक की—आस्तियों का खाता-मूल्य—और दायित्वों का भी एक प्राक्कलन है।

श्री एन० बी० चौधरी : वह धनराशि कितनी है।

श्री ए० सी० गुह : बैंक के समस्त दायित्व लगभग ३,२०,००,००० रुपये के थे। बैंक की कुल आस्तियां विभिन्न मदों पर सम्मिलित थीं; इसमें २४ लाख रुपये के मूल्य की विभिन्न नगरों में इमारतें और वास्तविक सम्पत्ति आदि १० लाख रुपये के जी० पी० गेट; २२ लाख रुपये के नकद और बैंक सन्तुलन, तथा रिज़र्व बैंक के पास १० लाख रुपये नगद हैं। मेरा ख्याल है कि ऋणों के रूप में, जो बहुत ही संदेहजनक हैं, बैंक की कुछ और आस्तियां भी हैं। अतः, मैं नहीं जानता कि हमें वे वस्तुएं वास्तविक आस्तियों के रूप में समझनी चाहियें या नहीं।

श्री जोकीम आल्वा : क्या यह सच है कि परिसमापन कार्यवाहियों के आरम्भ होने से काफी पहिले रिज़र्व बैंक इस चेतावनी के साथ हस्तक्षेप करता है कि निक्षेपक आने से धन निक्षिप्त नहीं करेंगे और चेतावनियों का रिज़र्व बैंक के पास एक नियमपूर्वक वर्गीकरण है ताकि बैंकों को अपने आपको ठीक करने के लिए पर्याप्त समय प्राप्त हो जाये ?

श्री ए० सी० गुह : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य किसी हाल की प्रथा तथा व्यवहार का, जिसका अनुसरण रिज़र्व बैंक करता है, उल्लेख कर रह हैं। परन्तु अधिकतर बैंक और विशेषकर यह बैंक लगभग पांच वर्ष पूर्व बंद हो गये थे। परन्तु अब भी रिज़र्व बैंक नियमपूर्वक निरीक्षण कर रहा था और अवश्य ही आवश्यक हिदायतें देता रहा है। रिज़र्व बैंक स्वयं इस बैंक का बहुत बड़ी धनराशि से ऋणदाता है।

भारत वैद्युदण्विकी (इलैक्ट्रोनिक) कारखाना

*१६६७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत वैद्युदण्विकी कारखाने का निर्माण कार्य समयक्रम के अनुसार चल रहा है;

(ख) निर्माण कब पूर्ण होगा; और

(ग) कारखाने में उत्पादन कब आरम्भ होने की सम्भावना है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां।

(ख) पांच कमशालाओं की इमारतें, जो परियोजना का एक महाभाग हैं, सम्भवतः अप्रैल १९५६ के अन्त तक पूर्ण हो जायेंगी। अन्य सहायक इमारतें बाद में बनाई जायेंगी।

(ग) सम्भवतः कारखाने में १९५६ में उत्पादन आरम्भ होगा।

डा० राम सुभग सिंह : क्या इस कारखाने के बनाने के लिए आवश्यक सारी मशीनें प्राप्त कर ली गई हैं और भारत में पहुंच चुकी हैं ?

सरदार मजीठिया : मेरा ख्याल है कि यह देश में पहले से ही है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह कारखाना मूल अनुमानित काल में पूर्ण हो जायेगा ?

सरदार मजीठिया : यही आशा की गई है।

श्री बंसल : मैसूर सरकार ने इस परियोजना को कितनी पूंजी दी है ?

सरदार मजीठिया : यह सब केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया है। पूंजी ७ करोड़ रुपये है और २·५ करोड़ रुपये की कार्यवाहक पूंजी है।

श्री बंसल : क्या माननीय मंत्री का ध्यान मैसूर के मुख्य मंत्री के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि मैसूर सरकार भारत सरकार के इन सारे कारखानों को मैसूर से हटाने के पक्ष में है ?

सरदार मजीठिया : मैंने वह वक्तव्य नहीं देखा है। परन्तु तथ्य यह है कि कारखाना वहां कार्य करता रहेगा। उसके अतिरिक्त, हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी अन्य कारखानों के साथ वहां पहिले से ही चल रही ह। इससे प्रकट होता है कि यह कारखाना भी वहाँ ही होगा।

युद्धास्त्र कारखानों में शिशिक्षु

*१६६९. **श्री हेम राज** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न युद्धास्त्र कारखानों में (कारखानानुसार और वर्षानुसार) १९५१ १९५२, १९५३, १९५४ में कितने शिशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया है और १९५५ में कितने प्रशिक्षण पा रहे हैं ;

(ख) उन्हें किन किन विषयों में प्रशिक्षण दिया गया है ;

(ग) उनमें से कितनों ने प्रशिक्षण को बीच में छोड़ दिया ; और

(घ) उससे सरकार को कितनी हानि हुई है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :

(क)

१९५१	शून्य
१९५२	५
१९५३	५०
१९५४	८४
१९५५	२४१ (प्रशिक्षण में)

कारखानानुसार आँकड़े बताने लोकहित में नहीं है।

(ख) (१) निम्न के निर्माण में:—

(क) भूयिक अम्ल (नाइट्रिक एसिड)

(ख) शुल्बारिक अम्ल (सलफ्यूरिक एसिड)

(ग) शतघ्नी तूल (गन काटन) ; और

(घ) तोप के कारतूस ।

(२) रसायनिक सयंत्र के लिए नल अलग ।

(३) चमड़ा रंगना और कमाना ।

(४) जीन और काठी ।

(५) सीना और काटना ।

(६) युद्धसामग्री भरना ।

(७) साधारण यान्त्रिक अभियान्त्रिकी । यान्त्रिक अभियान्त्रिक कार्य । और

(८) इस्पात उत्पादन, वेल्लन तथा गढ़ना । अनयस्य धातु उत्पादन, बेल्लन और निष्कासन और तार खींचना । संधानी प्रथा ।

(ग) १९५१ से १९५४ तक दस शिशिक्षुओं ने अपने प्रशिक्षण पाठ्क्रम अपूर्ण छोड़े ।

(घ) सरकार को लगभग कुल ६,७२९ रुपये की हानि हुई ।

श्री हेम राज : क्या उन शिशिक्षुओं को विभिन्न कारखानों में नियुक्तियों के प्रयोजन से, जिन्होंने अपने अपने विषयों में विशेष योग्यता प्राप्त की है, कोई महत्व दिया जाता है ?

सरदार मजीठिया : मैं प्रश्न को पूर्ण रूप से नहीं समझ सका हूं, तो भी, यदि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या इन शिशिक्षुओं को अपने अपने कामों में रखा जाता है, तो उत्तर यह है कि निश्चय वे वहां हैं ।

श्री हेम राज : क्या इन शिशिक्षुओं को अपना पाठ्यक्रम समाप्त करने पर, उच्च प्रशिक्षण के कोई अवसर दिये जाते हैं ?

सरदार मजीठिया : हां, यदि उनमें असाधारण विशेषतायें पाई जाती हैं, तो निश्चय ही उन्हें प्रोत्साहन दिया जाता है ।

श्री अजित सिंह : क्या इन युद्धास्त्र कारखानों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई रक्षण है ?

सरदार मजीठिया : मैं नहीं समझता कि अनुसूचित जातियों के लिए कोई रक्षण है । आधार केवल योग्यता है ।

श्री हेम राज : क्या कुछ शिशिक्षुओं ने प्रशिक्षण के निकम्मा होने, अयोग्य प्रशिक्षकों, निकृष्ट सामग्री और अच्छे पाठ्यक्रम के अभाव के कारण प्रशिक्षण को छोड़ा था ?

सरदार मजीठिया : नहीं, उन कारणों से नहीं । उन्होंने इस कारण छोड़ा कि अधिकतर उन्होंने प्रशिक्षण को अपनी रुचि के अनुसार नहीं पाया ।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू : क्या मैं पूछ सकती हूं कि क्या स्त्रियों को भी इसमें ट्रेनिंग दी जाती है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं दी जाती है ?

सरदार मजीठिया : प्रथम, मेरा ख्याल है कि मैं इसकी पूर्व-सूचना चाहता हूं । मैं नहीं समझता कि इन कारखानों में कोई महिला शिशिक्षु है । क्यों कि कार्य ऐसा है कि इसके लिए वास्तव में कड़े परिश्रम की आवश्यकता है ।

स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट

*१६७१. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट द्वारा न्यायालय में पेश किये गये और वहां चालू मामलों में सब से पुराना मामला किस वर्ष से सम्बन्ध रखता है;

(ख) क्या ऐसे विचाराधीन मामलों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उनके निबटाये जाने के लिये कोई विशेष कार्यवाही करने का विचार रखती है, जहां तक उनका सम्बन्ध है; और

(घ) यदि हां, तो वे उपाय क्या हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) १९४९;

(ख) पिछले ६ सालों के अन्दर, हर एक साल के आखीर में, बिना निर्णय हुए मामलों की संख्या नीचे दी गई है :-

१९४९	—	२४५
१९५०	—	२३३
१९५१	—	२२६
१९५२	—	२७५
१९५३	—	२७८
१९५४	—	२५६

(ग) तथा (घ). नए स्थापित किये एडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस डिवीज़न का एक यह भी काम होगा कि वह शासन प्रबन्ध द्वारा जहां तक हो सके मामलों को जल्दी निबटाये । अपराधियों के द्वारा कानूनी कार्रवाई के अनुचित उपयोग से, हुई देरी पर सरकार कोई वश नहीं रखती ।

श्री के० सी० सोधिया : ये मामले ज्यादातर किन अदालतों में दायर हुए हैं ?

श्री दातार : १९४९ का प्रथम मामला आसाम राज्य के न्यायालय में था ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या यह सच है कि इस लम्बी देरी के कारण अभियुक्तों को गवाहों को तोड़ लेने में बड़ी सुविधा होती है ।

श्री दातार : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या लम्बी देरी के कारण अभियुक्तों और संबद्ध व्यक्तियों को गवाहों को तोड़ लेने में आसानी होती है ?

श्री दातार : यह सच है । मैं इस बात से सहमत हूं कि इन मामलों में प्रत्येक देरी अभियुक्तों को गवाहों को तोड़ लेने का अधिक अवसर देती है । परन्तु इन में से कुछ मामलों में देरी का कारण स्वयं अभियुक्त हैं । वे विभिन्न स्थितियों में मामलों को विभिन्न न्यायालयों, जैसे उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में ले जाते हैं ।

श्री कामत : क्या प्रशासकीय सावधानी विभाग के नये बनाये गये निदेशक ने, जिसका उल्लेख सभा पटल पर रखे गये विवरण में किया गया है, विशेष पुलिस विभाग के कार्य की देख भाल आरम्भ कर दी है, ताकि जांच पड़तालों और अभियोगों का कार्य शीघ्रता और अधिक अच्छी तरह किया जा सके ?

श्री दातार : जी हां, उसने कार्य आरम्भ कर दिया है और वह विशेष पुलिस विभाग की ओर ध्यान दे रहा है।

औरंगाबाद छावनी में भूमि खंड

*१६७३. **श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद राज्य में औरंगाबाद स्थित छावनी में जिन लोगों की भूमि है, क्या उनसे सेना अधिकारियों के हस्ताक्षेप के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या इस झगड़े में भूमि पर उनके स्वामित्व अधिकारों का प्रश्न उठाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या मामले में कोई फैसला हो गया है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो किस प्रकार ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां, जमीन के मालिकों ने नहीं बल्कि कुछ अनुज्ञाधारियों ने ऐसे अभ्यावेदन किये हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) प्रारम्भिक पूछ ताछ से प्रकट होता है कि ये लोग सरकारी भूमि के केवल अनुज्ञाधारी हैं। भू-स्वामी संस्था के सचिव द्वारा उन्हें सूचित कर दिया गया है कि प्रश्नास्पद स्थान मार्च १९५३ तक संबद्ध लोगों के पास वार्षिक अस्थायी अनुज्ञा के आधार पर थे और इस प्रकार प्रश्नास्पद भूमि खंडों पर इनका कोई अधिकार न था। और अनुज्ञाधारियों को कहा जाये कि वे छावनी बोर्ड औरंगाबाद से पट्टा लेकर मार्च १९५३ के उपरान्त अपने अधिकार को क्रमशय कर लें।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या सरकार को विदित है कि इन भूमि खंडों के स्वामित्व के बारे में इन लोगों के पक्ष में फैसले हो चुके हैं और अब उन्होंने न्यायालय के निर्णय की दृष्टि से अभ्यावेदन किया है कि वे अनुज्ञाधारी नहीं हैं, अपितु ज़मीनों के मालिक हैं ?

सरदार मजीठिया : इसके लिए मैं पूर्व सूचना चाहता हूं। परन्तु १९५३ तक वे प्रतिवर्ष पट्टा लेते रहे थ। केवल १९५३ में कुछ लोगों ने पट्टों के लिए प्रार्थना नहीं की। हमारे अनेकों स्मरण-पत्रों के परिणामस्वरूप, छः लोगों ने पट्टों को नियमित बनाने की प्रार्थना की है और वे उनको दे दिये गये हैं। अवशेष १६ ने, अभी तक, पत्रों का उत्तर तक नहीं दिया है।

श्री एच० जी० वैष्णव : क्या यह सच नहीं है कि केवल १९५३ से यह कठिनाई हुई है और उससे पहिले उन्हें भूमि का स्वामी माना गया था और भुगतान करने पर उन्हें भूमि-स्वामी की भान्ति रसीद मिलती थी ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्य के मामले के विस्तार में जाने पर आपत्ति है। माननीय सदस्य ने किसी न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया था। यदि निर्णय हो चुके हैं तो सरकार को वे कार्यान्वित करने पड़ेंगे।

श्री एच० जी० वैष्णव : प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने उस अभ्यावेदन

में सम्मिलित आरोपों या झगड़ों पर ध्यान दिया है जिसमें निर्णयों का उल्लेख किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मामले की विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : क्या इस स्थिति का कारण यह है कि विदेशी क्षेत्राधिकार होने के कारण हैदराबाद में ये छावनियां भारत सरकार के हाथ में थीं और इस लिए भूमि-स्वामियों को भूमि-स्वामी नहीं कहा जाता था ? क्या वर्तमान संविधान के कारण स्थिति में परिवर्तन नहीं हो गया है ?

सरदार मजीठिया : वास्तव में मैं प्रश्न को पूर्णतः नहीं समझ सका हूं । परन्तु, हैदराबाद राज्य के तो लिए जाने के पश्चात ये ज़मीनें, जिन पर हैदराबाद की सेना का अधिकार था, हमने ले लीं और इस प्रकार वे भारत सरकार की हैं ।

चौर्यानयन

*१६७५. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५५ में पाकिस्तान से घोड़ों का चौर्यानयन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से पृथक पृथक संख्या ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान । पश्चिमी पाकिस्तान से कुछ घोड़ों का चौर्यानयन हुआ है । १९५५ में (३०-६-१९५५ तक) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गये मामलों की वास्तविक संख्या ९ है और इनमें ९ घोड़े हैं ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार पाकिस्तान से घोड़ों के आयात के लिय अनुमति देती है ?

श्री ए० सी० गुह : टर्फ़ कलब की सिफारिश पर साधारणतः घोड़ों के आयात के लिये अनुमति है । पाकिस्तान से भी आयात किया जा रहा है । पाकिस्तान से आयात पर कोई विशेष रोक नहीं है ।

सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार को यह विदित है कि घड़दौड़-कलब में जो घोड़े दौड़ाये जाते हैं उनमें से बहुत से आयात अनुज्ञा के बिना पाकिस्तान से चोरी छिपे लाये गये हैं ?

श्री ए० सी० गुह : सामान्यतः हम यह समझते हैं कि घुड़दौड़ वाले घोड़े का मूल्य लगभग २००० रुपया होगा । किन्तु इन घोड़ों का, जिनको चोरी छिपे लाया गया है, औसत मूल्य मैं समझता हूं, ३०० रुपये या ४०० रुपये से अधिक नहीं होगा । मुझे इस बात का बिल्कुल निश्चय नहीं कि ये दौड़ के लिये हैं । कुछ भी हो, कुछ तो चोरी छिपे लाये गये हैं ।

श्री बोगावत : क्या घोड़ों पर कोई आयात शुल्क है और यदि हां, तो क्या वह चोरी-छिपे लाये गये घोड़ों पर वसूल किया जाता है ?

श्री ए० सी० गुह : जब तक कि मूल्य २००० रुपये या इस से अधिक न हो तब तक घोड़ों पर आयात शुल्क नहीं लगता । मैं नहीं समझता कि इन घोड़ों पर कोई शुल्क लगेगा क्योंकि उनका औसत मूल्य लगभग ३०० रुपया प्रति घोड़ा था ।

अध्यक्ष महोदय : ठाकुर युगल किशोर सिंह अनुपस्थित हैं । श्री इस्लामुद्दीन भी अनुपस्थित हैं । अगला प्रश्न ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मुझे भी....

अध्यक्ष महोदय : वह अन्त में आयेगा ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मैंने एक प्रश्न की सूचना दी है । मुझे कार्यालय से यह सूचना मिली है कि उस प्रश्न पर मेरा नाम भी होगा । मेरा नाम वहां नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी सूची में भी नहीं है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है । छपी सूची में वह नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न पूछ सकते हैं ।

पाकिस्तानी झंडों का फहराया जाना

*१६७७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वारंगल और निज़ामाबाद ज़िलों (हैदराबाद) में स्वतन्त्रता दिवस पर और १७ अगस्त, १९५५ को पाकिस्तान के राष्ट्रीय झंडे उड़ते हुये पाये गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि यही चीज़ राज्य में अनेक स्थानों पर पिछले वर्ष हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) उल्लिखित तारीखों पर निज़ामाबाद ज़िले के आरमूर नामक स्थान के दो सार्वजनिक स्थानों में और वारंगल ज़िले के नेकोंदा रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान के झंड़े से मिलते हुये हरे रंग के झंडे पाये गये थे ।

(ख) हां ।

(ग) उस वर्ष जो तीन मामले हुये थे उनकी जांच पड़ताल की जा रही है । १९५४ में उसी प्रकार के नौ मामले हुये थे जिन में से दो में अपराध सिद्ध हुये थे, दो मामले विचाराधीन हैं, एक वापिस ले लिया गया है और चार की पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या कोई संगठित दल है जो इस शरारत के लिये उत्तरदायी है ?

श्री दातार : इस प्रश्न की भी जांच की जा रही है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : झंडे को फहराने वाले व्यक्ति पाकिस्तान के राष्ट्र-जन हैं अथवा भारतीय ?

श्री दातार : मैं इस अवस्था पर कुछ निश्चयपूर्वक कहने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : पिछले वर्ष झंडा फहराने में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध सिद्ध हुआ था ?

श्री दातार : मेरे पास उनकी संख्या नहीं है । दो मामलों में अपराध सिद्ध हुये थे ।

डा० सुरेश चन्द्र : पिछले वर्ष जिनके विरुद्ध अपराध सिद्ध हुये थे वे पाकिस्तानी राष्ट्रजन थे अथवा भारतीय ?

श्री दातार : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्री रघुनाथ सिंह : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या हैदराबाद के अलावा

और भी किसी जगह पाकिस्तानी फ्लैग हायस्ट किया गया था ।

कैम्प कालेज, दिल्ली

*१६७८. **श्री राम दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली के पंजाब विश्वविद्यालय कैम्प कालेज के भविष्य पर प्रतिवेदन देने के लिये समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो उस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एस० दास) : (क) जी हां ।

(ख) समिति ने अभी तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है ।

श्री राम दास : क्या यह सत्य है कि जितनी देरी फैसले के करने में हो रही है उतना ही विद्यार्थियों और अध्यापकों में असन्तोष बढ़ रहा है ?

डा० एम० एम० दास : सरकार ने कार्यवाही की है । विलम्ब के लिये कुछ असन्तोष हो सकता है । कुछ भी हो, निर्णय करने से पूर्व इस विषय पर ध्यानपूर्वक विचार करना आवश्यक है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं कि यह विश्वविद्यालय कालेज केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की बड़ी सहायता करता है । यदि हां, तो फिर इस विश्वविद्यालय कालेज को तोड़ देने का प्रश्न क्यों उठा ?

डा० एम० एम० दास : इस कालेज को तोड़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है । उस सारे प्रश्न की जांच चार सदस्यों की एक विशेष समिति करेगी ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : वे सदस्य कौन-कौन हैं ?

डा० एम० एम० दास : राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के निदेशक, डा० के० एस० कृष्णन भूतपूर्व मुख्यन्यायाधिपति महाजन, दिल्ली स्कूल आफ इकनामिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, के डा० वी० के० आर० वी० राव और श्री के० एल० जोशी जो पहले शिक्षा मंत्रालय में थे और अब योजना आयोग में हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : किस प्रकार यह प्रश्न उत्पन्न हुआ और समिति की स्थापना क्यों की गई थी ?

डा० एम० एम० दास : कारण यह था कि वैसे तो यह कैम्प कालेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में है किन्तु यह पंजाब विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है । भारत सरकार द्वारा शरणार्थी समस्या के कारण अस्थायी अनुमति दी जाने के कारण यह कालेज स्थापित हुआ था । अनिश्चित समय तक अब इसे चलते रहने की अनुमति नहीं मिल सकती ।

श्री राम दास : क्या यह ठीक है कि यह अपने किस्म का एक ही कालिज है जहां कि वे लोग जो रोटी कमाते हैं वह आला तालीम हासिल करके अपने प्रासपैक्टस बेहतर कर सकते हैं, और क्या मुल्क में और भी ऐसे कालिज नहीं होने चाहियें ?

डा० एम० एम० दास : निर्णय करने से पूर्व समिति द्वारा इन सारे प्रश्नों पर विचार किया जायेगा ?

सरदार हुक्म सिंह : मेरे माननीय मित्र के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है क्या दिल्ली में कोई और भी ऐसी

संस्था है जो इस प्रकार की शिक्षा देती हो कि विद्यार्थी धनोपार्जन भी करते रहें ?

डा० एम० एम० दास : बिना कुछ निश्चित वचन दिये, मैं यह कह सकता हूं कि मुझे दिल्ली में किसी अन्य ऐसी संस्था के बारे में जानकारी नहीं है।

खनिज तेल

*१६७९. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी बंगाल में तेल की खोज करने के लिये स्टैंडर्ड वैकुअम आयल कम्पनी को कुछ राशि दी है; और

(ख) यदि हां, तो दी गई राशि कितनी है ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : (क) और (ख) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार ने स्टैंडर्ड वैकुअम आयल कम्पनी को कुछ भी राशि नहीं दी है। हां, उसने अब तक तेल की खोज पर स्टैंडर्ड वैकुअम आयल कम्पनी के सहयोग से पश्चिमी बंगाल में ३४,४३,७८० रुपये व्यय किये हैं।

श्रीमती इला पालचौधरी : पश्चिमी बंगाल के किन भागों में स्टानवाक (स्टैण्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी) इन तेल स्थानों की खोज कर रही है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : मैं ठीक स्थान नहीं बता सकता। पश्चिमी बंगाल में कहीं पर है।

श्रीमती इला पालचौधरी : क्या इस प्रयत्न में पश्चिमी बंगाल के किसी विशेषज्ञ का सहयोग लिया गया है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : स्टैण्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी से कहा गया है कि जितने भी सम्भव हो सके उतने भारतीयों से सहयोग ले।

श्रीमती इला पालचौधरी : यह मेरा प्रश्न नहीं था; पश्चिमी बंगाल से लोगों को लेने का प्रश्न था।

डा० के० एल० श्रीमाली : पश्चिमी बंगाल से ही विशेषकर नहीं। विशेषज्ञ सारे भारत से लिये जा सकते हैं।

श्री केलप्पन : इस खोज पर तेल कम्पनी ने अपनी कितनी राशि व्यय की है ?

डा० के० एल० श्रीमाली : प्रबन्ध इस प्रकार किया गया है कि सम्मिलित कार्य पर जितने भी व्यय की आवश्यकता होगी, उसका २५ प्रतिशत भारत सरकार देगी और ७५ प्रतिशत स्टैंडर्ड वैकुअम आयल कम्पनी देगी।

हिन्दी परीक्षा समिति

*१६८०. **श्री बी० एन० मिश्र** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी परीक्षा समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार प्रतिवेदन की मुख्य मुख्य बातें बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखेगी ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री बी० एन० मिश्र : यह बहुत पुराना चलन है। पिछले वर्ष भी एक प्रश्न पूछा गया था। उसके उत्तर में यह

कहा गया था कि यह समिति बनाई जा रही है। यह समिति कब तक बनेगी ?

डा० एम० एम० दास : प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये समिति का कोई निर्धारित समय नहीं है। जनवरी, १९५४ में इसकी नियुक्ति की गई थी।

श्री बी० एन० मिश्र : यदि समिति की नियुक्ति हो चुकी है, तो क्या मैं उस समिति के सदस्यों के नाम जान सकता हूं ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं चूंकि यह समस्या हिन्दी के सम्बन्ध में है इसलिये क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्रता से कार्यवाही करेगी ?

डा० म० एम० दास : जी हां। सरकार शीघ्रता करने के लिये अपनी यथाशक्ति कोशिश कर रही है। इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं :–

श्री म० सत्यनारायण, संसद सदस्य
,, विजेन्द्र स्नातक
,, आर० के० चक्रवर्ती
,, जी० पी० नेने
,, ए० एल० नानावती
,, आर० डी० सिन्हा 'दिनकर,' संसद सदस्य
,, एन० नागप्पा
डा० ए० शर्मा
श्री जैठालाल जोशी संसद सदस्य
,, मगन भाई पी० देसाई
,, एन० ए० नदवी।

श्री टी० एस० ए० चट्टियार : निर्देश-पद क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है। यदि माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं तो खड़े होकर पूछें।

डा० एम० एम० दास : निर्देश-पद देश की विभिन्न हिन्दी संस्थाओं द्वारा आयोजित हिन्दी परीक्षाओं के स्तर की जांच करना और उनको मान्यता देने आदि के प्रश्न पर विचार करना है।

संघ लोक सेवा आयोग

*१६८२. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जिन्हें विभिन्न मंत्रालयों द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग को निर्देश किये बिना १९५३ से लेकर १९५५ तक के वर्षों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी की सेवाओं में नियुक्त किया गया और बाद में उनमें से कितने लोगों के मामलों का निर्देश आयोग को अनुमोदन के लिये किया गया ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

श्री सिंहासन सिंह : क्या गृह-कार्य विभाग में नियुक्त किये गये ऐसे व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में कोई रेकार्ड सरकार के पास नहीं है ?

श्री दातार : अभी बहुत से मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों से पूछताछ की जाती है और इसके पश्चात् उत्तर संग्रह किये जायेंगे।

श्री सिंहासन सिंह : क्या स्वयं गृह-कार्य मंत्री के पास उनके विभाग में नियुक्त किये गये व्यक्तियों की संख्या नहीं है ?

श्री दातार : यह प्रश्न पहले ही उठाया गया था और सरकार ने इसके लिये विशेष कार्यवाही की है कि ऐसे सारे मामलों को संघ लोक सेवा आयोग की

सूचना में लाया जाये, और नियमों का उल्लंघन करके कोई नियुक्ति न की जाये।

श्री सिंहासन सिंह : जबकि ऐसे पदाधिकारियों की भर्ती के लिये लोक सेवा आयोग है तो फिर ये नियुक्तियां करने के प्रमुख कारण क्या हैं ?

श्री दातार : एक वर्ष या उससे कम समय के लिये सभी अस्थायी नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं की जातीं।

श्री सिंहासन सिंह : क्या उन पदों को बाद में स्थायी कर दिया जाता है।

श्री दातार : बाद में यदि उनकी नियुक्ति किसी स्थायी पद पर की जाती है, तो उनके स्थायी किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार निस्संदेह जानकारी एकत्र कर रही है, जिसमें उसे कुछ समय लग सकता है। यह भी सही है, किन्तु तब तक जो जानकारी सरकार के मुख्यालय से प्राप्त की जा सकती है उसे एकत्र करने में क्या बहुत अधिक समय लगेगा ? सम्भवतः इसी से सन्देह उत्पन्न होता है कि हर चीज ठीक नहीं हो रही है।

श्री दातार : यहां मुख्यालय नाम की कोई चीज नहीं है। सेवाओं के प्रश्न का निबटारा मंत्रालय करता है और जब कभी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तत्काल ही जानकारी मांगी जाती है और एकत्र हो जाने पर सभा पटल पर रख दी जाती है। सद्भाव पर सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं बिल्कुल सहमत हूं। किन्तु केन्द्रीय सचिवालय यहां स्थापित है। यह तो केवल चपरासी को भेजने का ही प्रश्न है। संसद् में जब प्रश्न की सूचना दी जाती है, तो उसे यथाशीघ्र निबटाना चाहिये।

श्री दातार : आप देखेंगे श्रीमान, कि प्रश्न बड़ा सामान्य प्रकार का है। कुछ कार्यालय यहां नहीं हैं। कुछ भी हो, मैंने यथाशीघ्र सूचना देने का वचन दिया है।

केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड

*१६८४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-१९५५ में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की कितनी बैठकें हुईं; और

(ख) क्या इस बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है और यदि हां, तो किस हद तक ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एस० दास) : (क) जनवरी, १९५५ में एक बैठक हुई थी।

(ख) बोर्ड की सिफारिशें राज्य सरकारों को भेज दी गयी थीं जिससे कि वे उन पर आवश्यक कार्यवाही कर सकें। राज्य सरकारों ने उन पर क्या कार्यवाही की है इस सम्बन्ध में अभी जानकारी नहीं मिली। यह जानकारी मिलते ही इकट्ठी करके ज्ञापन के रूप में बोर्ड की अगली बैठक में रख दी जायेगी।

केन्द्र द्वारा बोर्ड की जिन सिफारिशों पर कार्यवाही की जानी है, उनके सम्बन्ध में बोर्ड की सिफारिश के अनुसार निम्नलिखित समितियां बना दी गयी हैं और उन्होंने काम शुरू कर दिया है, उनकी बैठकों की तिथियां भी उनके नाम के साथ ही दी गयी हैं :

गांधीवादी विचार धारा सम्बन्धी समिति	२३-८-१९५५
बुनियादी शिक्षा संबंधी स्थायी समिति	७ और ८ जून, १९५५

बोर्ड की कुछ और सिफारिशों पर कार्यवाही की गयी है और कुछ सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या इस केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की कोई आवश्यकता है जबकि सभी विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए बोर्ड बने हुए हैं ? इस केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड को कायम रखने के क्या कारण हैं ?

डा० एम० एम० दास : मैं अपने माननीय मित्र को इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि १९१९ के भारत अधिनियम के बाद जब शिक्षा राज्य का विषय बना तब पहली बार यह बोर्ड बना था। और इसकी जो आवश्यकता उन दिनों में थी वह आज भी है। शिक्षा अब भी राज्यों का विषय है और केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड जैसे निकाय की आवश्यकता है जिससे कि इसके द्वारा राज्य एक दूसरे से यह मालूम कर सकें कि दूसरे राज्य क्या कर रहे हैं।

श्री डी० सी० शर्मा : यह बोर्ड विभिन्न राज्यों के सम्पर्क में रहता है; इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या यह जरूरी है कि साल में एक ही बैठक हो और सामग्री इकट्ठी करने में इतना अधिक समय लगे कि बहुत ही कम कार्य वाही की जाय ?

डा० एम० एम० दास : मेरे विचार में यह तो नीति का प्रश्न है, फिर भी यह बोर्ड इस देश में शिक्षा के सभी पहलुओं का ध्यान रखता है और ऐसी बैठकें हर महीने तो हो नहीं सकतीं।

श्री डी० सी० शर्मा : इस बोर्ड ने १९५३ और १९५४ में नीति सम्बन्धी किन-किन मामलों का निर्णय किया ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की सिफारिश पर भारत सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण आयोग अर्थात् माध्यमिक शिक्षा आयोग नियुक्त किया। केन्द्रीय और राज्य सरकारें इस आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित कर रही हैं। तो यह केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड समय समय पर नीति का पुनरावलोकन करता है और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को मंत्रणा देता है।

शारीरिक शिक्षा और आमोद-प्रमोद

*१६८५. **श्री इब्राहीम :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५४-५५ में किसी संस्था को शारीरिक शिक्षा और आमोद-प्रमोद के लिए कोई अनुदान दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसी संस्थाओं के नाम और अनुदानों की राशियां जो उन्हें दी गयी हैं; और

(ग) क्या बिहार राज्य को भी इस काम के लिए कोई अनुदान दिया गया था ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १२]**

(ग) जी नहीं।

श्री इब्राहीम : इन अनुदानों को राज्य-वार कैसे बांटा गया ?

डा० एम० एम० दास : ये अनुदान राज्य-वार नहीं दिए जाते बल्कि इन के लिए कुछ शर्तें हैं। ये अनदान केवल

उन सस्थाओं को दिये जाते हैं जो ये शर्तें पूरी करते हैं ।

श्री जयपाल सिंह : क्या यह सच है कि राजकुमारी प्रशिक्षण योजना के लिए भी लगभग ५ लाख रुपये का अनुदान दिया गया है ? इस अनुदान के लिए क्या शर्तें हैं ?

डा० एम० एम० दास : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूर्व सूचना चाहता हूं ।

भारतीय सेना में भरती

*१६६८. **श्री मात्तन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सेना में भरती प्रादेशिक आधार पर की जाती है या सारे देश के आधार पर; और

(ख) पुराने वर्गीकरण के अनुसार प्रत्येक प्रदेश के लिए भरती का क्या अनुपात रखा गया है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) सरकार की नीति यह है कि सारे देश के आधार पर भरती की जाय ।

(ख) किसी प्रदेश के लिये कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया गया ।

श्री मात्तन : यदि अनियमित सेवाओं के कर्मचारियों को पहले की तरह प्रादेशिक आधार पर भरती किया जाय तो क्या यह अधिक अच्छा नहीं होगा और इस से कार्यक्षमता बढ़ेगी नहीं ?

सरदार मजीठिया : अभी तो हमारा अनुभव यह है कि इसका प्रभाव उल्टा ही होगा ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या इस सम्बन्ध में कोई विशेष प्रयत्न किया जाता है कि मैट्रिक, एफ० ए० और बी० ए० पास हरिजन और अनुसूचित जाति के लड़कों को सेना तथा सेना के क्लर्क विभागों में भरती किया जाय ?

सरदार मजीठिया : उन में जो बातें होना जरूरी हैं, वे हों, तो बड़ी खुशी से भरती हो सकते हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के सामने यह बात आई है कि जिन विशेष इलाकों से पहले भी अंग्रेज़ों के जमाने में लोग भरती होते थे, आज भी वहां पर बड़ी संख्या में बहादुर और देश प्रेमी सैनिक मिल रहे हैं, तो क्या उन इलाकों में सैनिक भरती करने के कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

सरदार मजीठिया : जितने सैनिक हमें चाहियें, वह हमें मिल रहे हैं, उनसे ज्यादा अभी ज़रूरत नहीं है ।

श्री हेम राज : क्या यह ठीक है कि वास्तव में भरती करने वाले कर्मचारी अभी तक जाति सम्प्रदाय और सैनिक या असैनिक जातियों के आधार पर भेद भाव करते हैं ?

सरदार मजीठिया : केन्द्रीय सरकार उस भेदभाव को नहीं मानती । यद्यपि मैं यह कहूंगा कि सम्भव है कि कुछ अफसर ऐसा भेदभाव बरतते हों परन्तु केन्द्रीय सरकार इस भेदभाव को नहीं मानती है ।

मालाबार में समुद्री तूफान

*१६५९. **श्री पुन्नूस (श्री ए० के० गोपालन की ओर से)** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई, १९५५ में मालाबार जिले में समुद्री

तूफान से जो क्षति पहुंची थी, उसके सम्बन्ध में भारत सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय सहायता निधि में से १०,००० रुपये मद्रास के राज्यपाल को दिये गए। भारत सरकार ने और कोई सहायता नहीं दी और न राज्य सरकार ने और सहायता मांगी।

श्री पुन्नूस : इस तूफान से किस प्रकार की और कितनी क्षति पहुंची।

श्री दातार : मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

श्री पुन्नूस : क्या लक्क द्वीप के बहुत से लोगों ने जो तूफान के कारण मालाबार की मुख्य भूमि पर ही रुक गये थे, सरकार को अभ्यावेदन भेजा था कि उन्हें अपने द्वीप में वापिस जाने के लिये परिवहन सम्बन्धी सुविधायें दी जायें ?

श्री दातार : जहां तक मुझे मालूम है, भारत सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं मिला ?

श्री पुन्नूस : क्या यह सच नहीं है कि प्रधान मंत्री को इस सभा के सदस्यों के अभ्यावेदन मिले थे और यह वचन दिया गया था कि उन पर विचार किया जायगा ?

श्री दातार : इसीलिए तो मैंने कहा—"जहां तक मुझे मालूम है"।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सैनिक कर्मचारियों के लिए निवास स्थान

***१६५८. श्री केशवयंगार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सैनिक स्थानों और मुख्य स्थानों (हैडक्वार्टर्स) में जितने अफसर और दूसरे कर्मचारी हैं, उन सब के परिवारों के लिए उतने ही निवास स्थान भी हैं;

(ख) क्या उनके लिए ऐसे निवास स्थान बनाने का कोई कार्यक्रम है; और

(ग) १९५३-५४ और १९५४-५५ में कितने भवन बनाए गए ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) १९५३-५४ में ३४४
१९५४-५५ में ७९५

साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थायें

***१६६०. सेठ गोविन्द दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में ऐसी कितनी साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थायें हैं जिन्हें १९५४-५५ में केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता दी गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : चौदह।

बीरेन्द्र नगर एम० ई० स्कूल, त्रिपुरा

***१६६२. श्री बीरेन दत्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बीरेन्द्र नगर एम० ई० स्कूल, त्रिपुरा से अभ्यावेदन मिला है जिस में कहा गया है कि आदिम

जातियों के छात्रों के लिए छात्रावास बनाने की मंजूरी दी जाय;

(ख) क्या परियोजना अधिकारी ने भी इस सम्बन्ध में कोई सिफारिश की है; और

(ग) सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (ग). त्रिपुरा राज्य की सरकार से यह जानकारी मांगी गयी है और मिलने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम

*१६६४. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री २४ फरवरी १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक ऋण तथा विनियोग निगम ने अपना काम प्रारम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो वर्त्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मनीपुर के डगर

*१६६५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के पहाड़ी जिलों में डगरों को ठीक ठाक बनाए रखने के लिए २०० रुपये प्रति मील दिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मनीपुर में इस काम के लिए केवल ५० रुपये प्रति मील दिया जाता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार है कि मनीपुर में दर बढ़ा दी जाय ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). मनीपुर के मुख्य आयुक्त से यह जानकारी देने को कहा गया है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायगी।

दक्षिणी अन्दमान में दफ्तरों में भरती

*१६७०. **श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार है कि दक्षिणी अन्दमान में वहां के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाय ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : यदि स्थानीय उम्मीदवार योग्य तथा सुपात्र हों तो उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।

डकैतियां

*१६७२. **श्री एम० एल० द्विवेदी** :
श्री वल्लाथरास :
श्री बी० एस० मूर्ति :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विन्ध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर होने वाली डकैतियों को रोकने के लिये क्या संयुक्त पुलिस कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) डाकुओं के गिरोहों को पकड़ना क्यों संभव नहीं हो सका है;

(ग) इन बढ़ती हुई डकैतियों को रोकने के लिये क्या केन्द्रीय सरकार ने

विभिन्न राज्य सरकारों के अधिकारियों से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन डकैतियों को रोकने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) (क) हां ।

(ख) जमीन का ऊंचा नीचा होना: और यातायात के साधनों की कमी ।

(ग) हां ।

(घ) भिन्न राज्यों में डकैतियों के खिलाफ कार्यवाही में एकता लाना और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को स्थानीय अधिकारियों की सहायता के लिये नियुक्त करना ।

उप-राजप्रमुख

*१६७४. **डा० नटवर पांडे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भाग ख राज्यों में (राज्य-वार) कितने ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ उप-राजप्रमुख हैं ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : केवल मध्यभारत, राजस्थान और सौराष्ट्र में एक एक उप-राज प्रमुख है ।

बिहार में युवक छात्रावास

*१६७६. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युवक छात्रावासों में कौन रह सकते हैं, इस सम्बन्ध में कोई शर्तें रखी गई हैं; और

(ख) बिहार में किन किन स्थानों पर युवक छात्रावास हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई शर्तें विहित नहीं की हैं ।

(ख) १. दरभंगा, २. मोतीहारी, ३. रांची, ४. पूर्णिया, ५. बिहार शरीफ पटना, ६. मुजफ्फरपुर, ७. बातोयानाथ, ८. जमशेदपुर ।

रोपड़ में खुदाई

*१६८१. **डा० सत्यवादी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोपड़ में खुदाई का जो कार्य हो रहा था क्या वह पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक कितना व्यय हुआ है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां ।

(ख) ७१,१८० रुपये ।

सूर्य की किरणों की शक्ति

*१६८३. **श्री बी० एन० मालवीय** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योगों और घरेलू प्रयोजनों के लिये सूर्य की किरणों की शक्ति का उपयोग करने के लिये राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में सरकार जो गवेषणा करवा रही थी उसका क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा उपमंत्री (डा० के० एल० श्रीमाली) : आवश्यक जानकारी विवरण पत्र के रूप में सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिए परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १३]**

मनीपुर राज्य पुलिस विभाग

*१६८६. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज कल मनीपुर राज्य पुलिस विभाग में आसाम के कितने पुलिस अफसर हैं जिनकी सेवाएं मनीपुर राज्य को दी गयी हैं और उनकी सेवा की शर्तें क्या हैं; और

(ख) इन अफसरों का सेवा काल प्रति वर्ष बढ़ाते रहने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) दो इन की सेवा-शर्तें विवरण में दी गयी हैं जो सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १४]**

(ख) पर्याप्त अनुभव वाले स्थानीय अफसर नहीं मिलते।

औधोगक वित्त निगम

*१६८७. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औधोगिक वित्त निगम को बिहार राज्य से सहायता के लिए अब तक कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) प्रत्येक स्वीकृत प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में कितनी राशि की मंजूरी दी गई है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) और (ख). निगम को २७ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे, जिन में से १० प्रार्थियों को कुल २ करोड़ ९९ लाख रुपये के ऋण की मंजूरी दी गई थी। जिन समवायों के लिए ऋणों की मंजूरी दी गई थी, उन के नाम और प्रत्येक मामले में मंजूर की गई राशि एक विवरण में, जो कि सभा पटल पर रखा जाता है, दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १५]**

बिना लाइसेंस के शस्त्र

*१६८८. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **गृह-कर्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में पहाड़ी लोगों से अब तक बिना लाइसेंस के कितने शस्त्र लिये गये हैं ;

(ख) आदिमजातीय लोगों ने कितने शस्त्र स्वेच्छ से दे दिये हैं और कितने पुलिस ने छीन कर लिये है;

(ग) क्या मनीपुर के सीमान्त पर बिना लाइसेंस के शस्त्रों के तस्कर व्यापार या विक्रय के बारे में प्राधिकारियों को सूचित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे शस्त्र किस क्षेत्र में ले जाये गये थे या बेचे गये थे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अफगान विद्यार्थी

८७५. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३-५४ में सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अधीन भारत की

विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में कितने अफगान विद्यार्थी पढ़ रहे थे; और

(ख) इस समय भारत में इस प्रकार कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) ११।

(ख) १०।

सम्पदा शुल्क

८७६. **श्री कृष्ण चार्य जोशी :**
श्री विश्वनाथ रेड्डी :
श्री एस० सी० सामन्त :
श्री तुलसी दास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में कुल कितना सम्पदा शुल्क वसूल किया गया है; और

(ख) ३१ मार्च, १९५५ को कुल कितने मामले निबटाये जाने के लिए विचाराधीन थे ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) ८५,१४,४१६ रुपये।

(ख) १८२३।

हाली सिक्का

८७७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९५५ से अब तक हैदराबाद में कुल कितने हाली सिक्कों का चलना बन्द किया गया है; और

(ख) आजकल वहां कुल कितने मूल्य के भारतीय सिक्के चल रहे हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह): (क) १ अप्रैल, १९५५ से ३० जून १९५५ तक चलने से वापस लिये गये हाली सिक्कों (सिक्कों और नोटों) की कुल रकम १,५०,९२,९४२ रुपये थी।

(ख) भारतीय सिक्के के चलने का हिसाब अखिल भारतीय आधार पर रखा जाता है, प्रादेशिक आधार पर नहीं। इसके अतिरिक्त २६ जनवरी १९५० को इन सिक्कों को चलनसार (लीगल टण्डर) बनाने के पहले से ही हैदराबाद राज्य में भारतीय सिक्के प्रचलित थे।

जनवरी १९५० से ३० जून १९५५ तक हैदराबाद स्टेट बैंक को जो भारतीय सिक्के दिये गये उनकी कुल रकम इस प्रकार है :—

पूरे रुपये	छोटे सिक्के
रु०	रु०
५१,००,०००	९५,३०,०००

जोड़—१,४६,३०,०००

अध्यापकों को प्रशिक्षण

८७८. **श्री इब्राहीम :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ और १९५५-५६ में बुनियादी स्कूलों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक राज्य को कितना रुपया दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १६]**

फालतू सामान

८७९. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० से अब तक हर वर्ष सामान के लिए विदेशों में कितने ऐसे आर्डर दिये गये जिन्हें बाद में रद्द कर दिया गया;

(ख) कितने मामलों में प्रतिकर देना पड़ा था और वास्तव में कितनी राशि दी गई थी; और

(ग) कितने मामलों में अनावश्यक सामान और उपकरण ले लेना पड़ा था और उन का मूल्य देना पड़ा था ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है। इसे इकट्ठा करने में काफी परिश्रम और समय लगेगा, क्योंकि यह जानने के लिए कि आर्डर बाद में रद्द किया गया था और क्यों किया गया था, प्रत्येक आर्डर और सम्बन्धित पत्रों की जांच करनी पड़ेगी। प्रक्रिया के अनुसार जब आर्डर बहुत पुराने हो जाते हैं। तो उन्हें रद्द कर दिया जाता है, ताकि सामान की मांग जारी रहने की दशा में उसी सामान के लिए नये आर्डर दिये जा सकें।

(ख) १०। लगभग ३१,८७७ रुपये प्रतिकर के रूप में दिये गये।

(ग) विदेशी आर्डरों के लिए उपलब्ध समय में यह जानकारी इकट्ठी करना संभव नहीं था। तथापि इस प्रकार के २०८८ आर्डर थे (जो कि लगभग २४८ लाख रुपये के माल के लिये थे), जो भारत और विदेशों दोनों में दिये गये थे।

रक्षा टेकनिकल कर्मचारी

८८०. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जहां तक डिज़ाइनर्ज और एस्टीमेटर्ज का सम्बन्ध है क्या सरकार ने रक्षा सम्बन्धी सामान के उत्पादन के लिये टेकनिकल कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए चालू वर्ष में कोई पग उठाये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : ड्राफ्टस्मैन, लैनर्ज और एस्टीमेटर्ज की श्रेणियों के लिये उपयुक्त उम्मेदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए आयुद्ध कारखानों में कुछ प्रशिक्षण योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस के अतिरिक्त टेकनिकल कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की कुछ सविधायें हैं जो कि सशस्त्र सेवाओं की विशिष्ट शाखाओं में प्रयोग की जाती हैं। इन के अतिरिक्त कर्मचारियों को विदेशों में भेजा जाता है और भारत में प्रशिक्षण देने के लिए विदेशी विशेषज्ञों की भर्ती की जाती है।

मनीपुर प्रशासन द्वारा भूमि का क्रय

८८१. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि मनीपुर सरकार ५०,००० रुपये में एक प्लांट और एक सेवा निवृत्त पुलिस के अधीक्षक (रिटायर्ड सुपरिंटैंडैंट आफ पुलिस) का मकान खरीद रही है; और

(ख) यदि हां, तो मकान किस प्रयोजन के लिए खरीदा जाना है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) ऐसी एक प्रस्थापना थी किन्तु इसे छोड़ दिया गया था।

(ख) सर्किट हाऊस बनाने के लिए क्योंकि वर्तमान यात्री डाक बंगले में स्थान कम है ।

बिहार में युवक शिविर

८८२. **ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में बिहार राज्य में कितने युवक शिविर आयोजित किये गये थे;

(ख) ये किन-किन स्थानों पर आयोजित किये गये थे ;

(ग) उन्हों ने क्या काम किया था;

(घ) प्रत्येक शिविर पर कितना खर्च किया गया था; और

(ङ) प्रति दिन प्रति व्यक्ति पर औसतन कितना खर्च किया गया था ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (ङ): एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९ अनुबन्ध संख्या १७]**

स्वविवेक- निधि

८८३. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५४-५५ में मनीपुर के मुख्यायुक्त को स्वविवेक-निधि के हेतु कितनी राशि दी गई थी; और

(ख) इस राशि का कैसे उपयोग किया गया था ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) १०,००० रुपये ।

(ख) यह जानकारी मनीपुर के मुख्यायुक्त से मंगवाई गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

परिसमापित बैंक

८८४. **डा० सत्यवादी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त, १९४७ से ऐसे कितने बैंक फैले हुए हैं जिनके प्रधान कार्यालय (हैडक्वार्टर्स) उत्तर प्रदेश में थे;

(ख) प्रत्येक बैंक में निक्षेपों की राशि क्या थी; और

(ग) रुपया जमा कराने वालों को अब तक कुल कितना रुपया अदा किया गया है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) से (ग): अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १८]**

——

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

सोमवार,

खंड ७, १९५५ १२ सितम्बर, १९५५

(५ सितम्बर से २१ सितम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

दशम सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक ३१ से ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली ।

विषय–सूची

(खंड ७—अंक ३१ से ४५—५ सितम्बर से २१ सितम्बर, १९५५)

	स्तम्भ
अंक ३१—सोमवार, ५ सितम्बर, १९५५	
संसद् में उपस्थापित किये जाने के पूर्व बैंक पंचाट आयोग के प्रतिवेदन के प्रकाशन के बारे में वक्तव्य	२७१७—१९
गणपूर्ति के बार में प्रथा	२७१९—२२
सभा का कार्य	२७२२—२४
समवाय विधेयक—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खंडों पर विचार—असमाप्त	२७२४—२८३२
खंड ३२३ से ३६७	
अंक ३२—मंगलवार, ६ सितम्बर, १९५५—	
सभा-पटल पर रखा गया पत्र	
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तगत अधिसूचना	२८३२
भारतीय नारियल समिति (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२८३३-३४
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त	२८३४—२९५६
खण्ड ३२३ से ३६७	२८३४—८२
खण्ड ३६८ से ३८८	२८८२—२९५४
खण्ड २	२९५५-५६
अंक ३३—बुधवार, ७ सितम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
भारतीय विमान नियमों में संशोधन	२९५७-५८
विदेशियों का पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत विमुक्ति की घोषणायें	२९५८
अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील) नियम	२९५९
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि	२९५९-६०
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२९६०
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	२९६०-६१
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त	२९६१—३०९६
खण्ड ३८९ से ४२३	२९६१—३०५०
खण्ड ४२४ से ५५५	३०५०—९३

	स्तम्भ
अंक ३४—गुरुवार, ८ सितम्बर, १९५५—	
कार्य मंत्रणा समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत . . .	३०९७—९९
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त . . .	३०९९—३१९८
नया खण्ड ४६० और खण्ड ५१६ . . .	३०९९—३१११
खण्ड ५५६ से ६०९ .	३१११—६४
खण्ड ६१० से ६४९ .	३१६४—९८
अंक ३५—शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९५५—	
लोक लेखा समिति—	
चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित .	३१९९
सभा का कार्य	३१९९—३२०१
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	
खण्डों पर विचार—असमाप्त .	३२०१—७१
खण्ड ६१० से ६४९ . .	३२०१ —५१
खण्ड २७३, ५१६, ५१६ क और ६०९ क . .	३२५१—६८
अनुसूची १ से १२ और खण्ड १	३२६८ —७१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति—	
छत्तीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३२७१—७२
विदेशी व्यापार पर राज्य के एकाधिपत्य के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	३२७२—९२
भारतीय नौवहन के विकास के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—	
असमाप्त	३२९२ —३३२२
अंक ३६—शनिवार, १० सितम्बर, १९५५	
राज्य सभा से सन्देश	३३२३—२६
समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खण्डों पर विचार—समाप्त . .	३३२६— ६०
अनुसूची १ से १२ और खण्ड १	३३२६—६०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव—असमाप्त .	३३६०—३४२८
अंक ३७—सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र—	
परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या ३० . .	३४२९–३०
आश्वासनों आदि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण	३४३०–३१
आठवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन	३४३१

स्तम्भ

प्राक्कलन समिति--

तेरहवां प्रतिवेदन--उपस्थापित . . ३४३१

सभा का कार्य . . . . . ३४३१-३२, ३४३३—३५

१९५५-५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें--उपस्थापित . ३४३२

समिति के लिये निर्वाचन--

केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड . . ३४३२

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक--

पुरःस्थापित ३४३२-३३

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक याचिका उपस्थापित . . ३४३३

समवाय विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में--

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव--स्वीकृत . ३४३५—५८

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ३४५८, ३४७२—७६

खण्ड २ और १ . . . . ३४७६—८३

पारित करने का प्रस्ताव—स्वीकृत . . . ३४८३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव--असमाप्त ३४८३—३५३२

अंक ३८--मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५—

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . ३५३३

सभा-पटल पर रखे गये पत्र--

नारियल जटा बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन (३१-३-५५ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये) ३५३४

बिजली चालित मोटर उद्योग और डीज़ल ईंधन इंजक्शन सामान सम्बन्धी उद्योग आदि के लिये संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन और उनके सम्बन्ध में सरकारी संकल्प . ३५३४-३५

उड़ीसा की बाढ़ स्थिति सम्बन्धी विवरण . . ३५३८

कार्य मंत्रणा समिति--

पच्चीसवां प्रतिवेदन--उपस्थापित ३५३५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

उड़ीसा में बाढ़ें . . . ३५३५—३८

एक सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . ३५३९

हीराकुड बांध की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . . ३५३९—४७

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—

असमाप्त . . . ३५४०—३६७९

राज्य-सभा से संदेश ३६७९-८०

अंक ३९—बुधवार, १४ सितम्बर, १९५५ स्तम्भ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियम . ३६८१–८२

अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) नियम . . ३६८१–८२

कार्य मंत्रणा समिति—

पचीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ३६८२–८३

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सैंतीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ३६८३

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव—समाप्त . . . . . ३६८३—३८३४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त ३८३८—५२

अंक ४०—गुरुवार, १५ सितम्बर, १९५५

लोक लेखा समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ३८५३

तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाशन) विधेयक—

पुरःस्थापित ३८५३–५४

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . ३८५३—३९६३

पांडिचेरी विधान सभा . . . . . ३९६३—७२

अंक ४१—शुक्रवार, १६ सितम्बर, १९५५

राज्य सभा से सन्देश . . . . . ३९७३—८६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र—

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें ३९८६

फल उत्पाद आदेश . . . ३९८६

सभा का कार्य . . . . . ३९८६—८९

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३–५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त . . ३९८९—४०३७

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ४०३९—९२

सैंतीसवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ४०३७–३८

मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित . . . ४०३८

भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक—

पुरःस्थापित ४०३८–३९

अंक ४२—शनिवार, १७ सितम्बर, १९५५

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—

संशोधित रूप में स्वीकृत . ४०९३—४२२८

	स्तम्भ
अंक ४३—सोमवार, १९ सितम्बर, १९५५	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	४२२९
राज्यसभा से सन्देश	४२२९—३१
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—पटल पर रखा गया	४२३१
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ित ज़िलों में भुखमरी	४२२१—३४
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी आयुक्त के १९५३ और १९५४ के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव—समाप्त	४२३४—८९
व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य क़रार सम्बन्धी श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव—असमाप्त	४२८९—४३३८
अंक ४४—मंगलवार, २० सितम्बर, १९५५	
प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य क़रार के श्वेत पत्र के बारे में प्रस्ताव — संशोधित रूप में स्वीकृत	४३३९—९०
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—असमाप्त	४३९०—४४३६
अंक ४५—बुधवार, २१ सितम्बर, १९५५	
कार्य मंत्रणा समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अड़तीसवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
प्राक्कलन समिति —	
चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित	४४३७
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था विधेयक—पुरःस्थापित	४४३८
औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—	
पुरःस्थापित	४४३८–३९
औद्योगिक विवाद (बैंकिंग समवाय) विनिश्चय विधेयक—पुरःस्थापित	
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक तथा लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव—	
असमाप्त	४४४०—४५१०
मूलरूप मशीनी औज़ार निर्माण कारखाना, अम्बरनाथ	४५१०—२४
अनुक्रमणिका	१—३०

लोक-सभा

सोमवार, १२ सितम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

११-५१ म० पू०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

परिसीमन आयोग अन्तिम आदेश संख्या ३०

विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर) मैं परिसीमन आयोग अधिनियम, १९५२ की धारा ९ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, ८ अगस्त १९५५ के भारत के असाधारण गजट के भाग २ खण्ड ३ में प्रकाशित परिसीमन आयोग, भारत, अन्तिम आदेश संख्या ३० की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं [पुस्तकालय में रखी गई । **देखिये** संख्या एस०-३२०/५५]

आश्वासनों आदि के संबंध में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के विवरण

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : मैं विविध सत्रों में, जैसा प्रत्येक के सामने दिखाया गया है मंत्रियों द्वारा दिये गये विविध आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं तथा सदस्यों के सुझाव पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्न विवरण सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) प्रथम विवरण — लोक-सभा का दसवां सत्र, १९५५
[**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १**]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ६ — लोक-सभा का नवां सत्र, १९५५
[**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २**]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १० — लोक-सभा का आठवां सत्र १९५४
[**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ३**]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १४ — लोक-सभा कासातवां सत्र, १९५४
[**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ४**]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या २० — लोक-सभा का छठा सत्र, १९५४
[**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ५**]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या २५ — लोक-सभा का पांचवां सत्र, १९५३
[**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ६**]

(७) अनुपूरक विवरण संख्या ३० — लोक-सभा का चौथा विवरण, १९५३
[**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ७**]

(८) अनुपूरक विवरण संख्या ३५ — लोक-सभा का तीसरा सत्र, १९५३
[**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ८**]

(९) अनुपूरक विवरण संख्या ३३ — लोक-सभा का दूसरा सत्र, १९५२
[**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ९**]

(१०) अनुपूरक विवरण संख्या २ (सुझाव) — लोक-सभा का चौथा सत्र, १९५३
[**देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १०**]

श्री टी० वी० विट्ठल राव (खम्मम्): इस विवरण के सम्बन्ध में मुझे एक बात कहनी है। लगभग ६ महीने पूर्व यह प्रथा थी कि आश्वासनों और प्रश्नों आदि के पूरे हो जाने पर सदस्यों को सूचित कर दिया जाता था। पर संसद् कार्य विभाग ने वह प्रथा रोक दी। मैं सुझाव देता हूं कि जब कभी भी ऐसे विवरण सभा-पटल पर रखे जायें, सदस्यों को सूचित करने वाली पुरानी प्रथा को जारी किया जाय।

अध्यक्ष महोदय: मैं इस बात पर विचार करूंगा।

आठवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का प्रतिवेदन

स्वास्थ्य मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): मैं १ मई १९५५, को मक्सिको में होने वाली आठवीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। **देखिये संख्या एस०-३२१ ५५**]

प्राक्कलन समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

श्री वी० जी० मेहता (गोंहिलवाड़): मैं उत्पादन मंत्रालय पर प्राक्कलन समिति का तेरहवां प्रतिवेदन पेश करता हूं।

सभा का कार्य

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): मुझे आप से कुछ पूछना है। करीब ढाई बजे हम विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) नियमों पर चर्चा शुरू करनी है। लगभग १२२ नियम हैं और लगभग २०० संशोधन रखे जा चके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि चर्चा की क्या प्रणाली होगी। मैं समझता हूं कि हमें लगभग पांच घण्टे की सामान्य चर्चा पहले कर लेनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय: पहिले औपचारिक कार्य हो जाने दीजिये। जब हम मुख्य कार्य पर आयेंगे तो माननीय सदस्य अपनी बात कहेंगे।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं १९५५-५६ आय व्ययक (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण उपस्थित करता हूं।

समिति के लिए निर्वाचन

केंद्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि इस सभा के सदस्य भारत सरकार द्वारा बनाये गये केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य ऐसी रीति से चुनें जिसे अध्यक्ष निर्धारित करे।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

> "कि इस सभा के सदस्य भारत सरकार द्वारा बनाये गये केन्द्रीय पुरातत्व मंत्रणा बोर्ड में काम करने के लिये अपने में से दो सदस्य ऐसी रीति से चुनें जिसे अध्यक्ष निर्धारित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): मैं प्रस्ताव करता हूं कि पुरस्कार प्रतियोगिता के नियमन और नियंत्रण का उपबन्ध करने

वाले एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : श्न यह है :

"कि पुरस्कार प्रातियोगिता के नियमन और नियंत्रण का उपबन्ध करने वाले एक विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री दातार : में विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक

याचिका का उपस्थापन

श्री सी० आर० नरसिंहन (कृष्णगिरि) : मैं अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक, १९५५ के सम्बन्ध में १३ याचकों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका को उपस्थापित करता हूं ।

सभा का कार्य—(जारी)

अध्यक्ष महोदय : अब में श्री एच० एन० मुकर्जी की बात को लेता हूं । वह विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम की चर्चा की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानना चाहते हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं चर्चा की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं । लगभग १२२ नियम हैं और लगभग २०० संशोधन हैं, अत: प्रत्येक नियम के सम्बन्ध में सभा में कुछ निश्चय करने के पूर्व हमें आप बतायें कि किस प्रकार की सामान्य चर्चा होगी । उस के बाद हम नियमों पर विचार करेंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जब यह विधेयक मूल रूप में विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक, १९५४ के रूप में आया था तो केवल रूप-रेखा के रूप में था । हमें आशा थी कि नियम बनाते समय चर्चा की जायेगी । अब नियम पेश किये गये हैं अत: चर्चा होनी चाहिये ।

मैं श्री एच० एन० मुकर्जी के इस सुझाव से बिल्कुल सहमत हूं कि नियमों को अलग अलग लेने के पूर्व एक सामान्य चर्चा होनी चाहिये ताकि हम नियमों के बारे में कुछ जान लें अन्यथा नियमों की चर्चा के समय हम कुछ भी निर्णय नहीं कर पायेंगे । अत: सामान्य चर्चा के लिये चार घंटे का समय निश्चित किया जाय । उस के बाद एक एक नियम को अलग अलग ले कर उस पर विचार किया जाये और संशोधनों पर मत लिया जाये ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मैं माननीय मित्र के सुझाव का समर्थन करता हूं कि सामान्य चर्चा के लिये ४ घंटे का समय निश्चित किया जाय ।

श्री गिडवानी (थाना) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, पर मैं चाहता हूं कि ६ घण्टे सामान्य चर्चा के लिये और ६ घंटे संशोधनों पर विचार करने के लिये निश्चित किय जायें ।

अध्यक्ष महोदय : हमें १२ घंटे के समय में ही सब करना है । चूंकि समय के संबंध में दो मत हैं, अत: मैं बीच के मार्ग का अनुसरण करूंगा कि सामान्य चर्चा के लिये ५ घंटे समय रखा जाय ।

श्री एन० सी० चटर्जी : स्वीकार है ।

अध्यक्ष महोदय: अत: ५ घंटे सामान्य चर्चा होगी और ७ घंटे संशोधनों पर विचार करने के लिये रखे जायेंगे ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व में एक बात कहना चाहता हूं कि

[श्री कामत]

हमारा कार्य निश्चित समय से पूर्व चल रहा है। समवाय विधेयक, जिस के समाप्त होने का समय आज सांयकाल तक था, आज दो या ढाई बजे ही पूरा हो जायगा।

इसी महीने की आठ तारीख को हम ने तय किया था कि यदि वाद-विवाद दो घंटे कम हो तो प्रश्नों का घंटा रखा जा सकता है। अतः मैं चाहता हूं कि इन प्रश्नों को या तो कल या २४ तारीख को भी या कल और २४ तारीख को एक एक घण्टा समय रख कर निबटा दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने सिफारिश की थी और अब सभा ने उसका समर्थन किया है। अतः अब पहले कार्य मंत्रणा समिति इस बात पर विचार करेगी और बाद में सभा विचार करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास नहीं है पर यदि सभा नियमों पर समय से पूर्व विचार कर चुकेगी और यदि कर लेगी तो फिर उस बात पर विचार किया जायगा।

समवाय विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : माननीय सदस्यों ने हमारे संबंध में जो कुछ भी कहा उस के लिये मैं बहुत आभारी हूं। मैं उन सभी लोगों को इस बात का श्रेय दूंगा जिन्होंने इस विधान के रास्ते में सहायता की है। सर्वप्रथम कार्य मंत्रणा समिति को धन्यवाद दूंगा कि उसने चर्चा के लिये ऐसी अच्छी योजना बनाई। मैं अपने उन दोनों सहकारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्हों-- ने मुझे सहायता दी। संसद् कार्य मंत्री ने इस विधेयक के कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता दी और विधि-कार्य मंत्री ने संयुक्त समिति के सभापति की हैसियत से और सरकारी सहकारी की हैसियत से जो सहायता की उसके लिये हम उन्हें बधाई देते हैं। सभा सचिव तथा अन्य बहुत से पदाधिकारियों ने भी बहुत सहायता की है। पर सभा भली प्रकार सोच सकती है कि विधान के प्रारूप को तयार करने में कौन इतना अधिक समय दे सकता था। भारत में और ब्रिटेन में बहुत से ऐसे लोग हैं—सरकारी और गैर-सरकारी—जिन्होंने विभिन्न अवस्थाओं पर हमें अपने अनुभव और सलाह से सहायता दी है। यह स्पष्ट है कि इस कठिन यात्रा को तय करने के लिये कुछ भाग्यशाली होना भी आवश्यक है।

कल एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हमने खंडों को एक अशुभ संख्या—६४९—पर समाप्त किया है। वास्तव में अन्तिम खंड की संख्या ६५८ है और मुझे आशा है कि ५८ उतना अशुभ नहीं जितना कि ४९ है। इस लिये मैं उस माननीय सदस्य से सहमत हूं जिन्होंने कहा था कि इस विधेयक पर विचार समाप्त करने वाला व्यक्ति कोई भाग्यशाली व्यक्ति होना चाहिये। मैं केवल इतना कहूंगा कि कभी कभी एक साहसी व्यक्ति की भी आवश्यकता होती है। मैं अपने आप को केवल एक निमित्त समझता हूं :

"निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन"

["हे सव्युसाची अर्जुन! तुम इसके निमित्त मात्र बनो"]

मैं इस बात के लिये आभारी हूं कि इस विधेयक को पारित कराना मेरे भाग्य में था। कभी कभी कटु वचन कहे गये हैं और कड़ी आलोचना की गई है, किन्तु इनके बावजूद मैं संयुक्त समिति के और सदन के सदस्यों को उनके रचनात्मक और सहायता के रुख के लिये बहुत आभारी हूं। सदन के सब भागों ने यही रुख प्रकट किया है। मैंने पक्ष और विपक्ष दोनों ओर की विचार धाराओं की सराहना की है और मध्य का रास्ता अपनाया है। मैं न केवल विपक्ष के दृष्टिकोण की सराहना करता हूं, बल्कि उस के प्रति सहानुभूति भी

रखता हूं। ऐसे कुछ सुझाव, जिनकी मैं कद्र करता हूं, ये हैं : श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देना ताकि समवायों के प्रबन्ध पर प्रकाश डाला जा सके, अनुपाती प्रतिनिधित्व और अधिक कड़ी लेखा-परीक्षा। किन्तु मैं ने बताया है कि इन के सम्बन्ध में मैं संशोधन क्यों स्वीकार नहीं कर सका।

हम ने जो दो मुख्य उद्देश्य अपने सामने रखे हैं, वे ये हैं : इस पेचीदा व्यवस्था को प्रवर्तन में लाना और (२) अंशधारियों, निदेशकों और प्रबन्ध अभिकर्ताओं की उत्तरदायित्व की भावना को बहुत कम महत्त्व न देना। इस विषय में बहुत मतभेद रहा है किन्तु मेरे विचार में मैंने स्पष्ट कर दिया है कि चूंकि गैर-सरकारी क्षेत्र के काम का कार्यपालिका-उत्तरदायित्व सरकार पर है, अतः उसे कुछ महत्त्व अवश्य देना चाहिये। यही कारण है कि मैं ने यह अनुरोध किया है कि सदन को अभी संयुक्त समिति और सरकार के दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि इसका सम्बन्ध औद्योगिक जगत के बहुत बड़े क्षेत्र से है।

विधेयक के सिद्धान्त के बारे में, श्री अशोक मेहता ने जमाने की रफ्तार की ओर ध्यान दिलाया है। मैं उनसे सहमत हूं कि संयुक्त स्कंध वित्त की दुनिया को जमाने के साथ चलना चाहिये और इसे इन प्रचलित विचारों को स्वीकार करना चाहिये कि देश में आर्थिक शक्ति के केन्द्रण और धन की असमताओं को सहन नहीं किया जा सकता और हम इन प्रवृत्तियों की उपेक्षा नहीं कर सकते। वास्तव में हम जानते हैं कि सारे देश में यह भावना है कि शक्ति का केन्द्रण नहीं होना चाहिये और असमतायें अधिक देर तक नहीं रहनी चाहियें। इन हानिकर प्रवृत्तियों को रोकना सरकार का काम है; किन्तु यह विचारधाराओं का प्रश्न नहीं है, बल्कि निर्णय का प्रश्न है। हमें अपने आप से समय समय पर यह प्रश्न पूछना है कि क्या हमने अब जो प्रणाली चुनी है, वह अच्छी तरह काम करेगी और क्या इस से पूंजी और श्रम दोनों को अधिकतम प्रोत्साहन मिलेगा। यह एक बहुत कठिन काम है और इस मामले में बहुत मतभेद हो सकता है।

यह विधेयक सदन के बहुमत के निर्णय के अनुसार है और मैं बहुमत का नेतृत्व स्वीकार करता हूं। मैं यह भी समझता हूं कि अंशधारी प्रस्तावित व्यवस्थाओं से संतुष्ट होंगे और इनकी तरह वे भी जिनका सम्बन्ध विनियोग बाजारों से है अर्थात् न केवल भावी विनियोजक बल्कि वे लोग भी संतुष्ट होंगे जिनको देश के श्रेष्टि चत्वरों में प्रमुख स्थान प्राप्त है। उपक्रमी और प्रबन्ध विशेषज्ञ भी इस विधेयक के उपबन्धों को स्वीकार करने के लिये तैयार दिखाई देते हैं। श्रमिक भी सहयोग देने के लिये तैयार हैं। शर्त केवल यह है कि श्रमिकों द्वारा प्रबन्ध में भाग लेने के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रस्थापनायें विचाराधीन हैं उनका निर्णय किया जाना चाहिये।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

यद्यपि बहुमत ने पूर्ण रूप से या कुछ शर्तों के साथ इस विधेयक को अनुमोदित किया है, तथापि कुछ ऐसे भी हैं, जो असन्तुष्ट हैं,। कुछ और ऐसे हैं जो अपनी राय नहीं देना चाहते। श्री तुलसी दास उनमें से हैं जो पूंजीपतियों के प्रतिनिधि होते हुए इस से बहुत असन्तुष्ट हैं। उन का कहना है कि आप प्रबन्ध अभिकरणों को समाप्त करना चाहते हैं तो कर दें, किन्तु निदेशक बोर्डों को न छोड़िये। यदि उनकी बात ठीक हो तो यह समझा जायेगा कि बैंकों और बीमा समवायों के जगत में जहां प्रबन्ध अभिकरण नहीं है, सब ठीक हो जायेगा और उन्हें संयुक्त स्कन्ध उपक्रम का आदर्श होना चाहिये। मेरा इन दो उपक्रमों से,

[श्री सी० डी० देशमुख]

विशेषकर बैंकों से, गहरा सम्बन्ध रहा है और मैं विश्वास से यह नहीं कह सकता कि यदि सब कुछ निदेशक बोर्डों पर छोड़ दिया जाये, तो स्थिति बिल्कुल ठीक हो जायेगी। इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि बुराई केवल एक विशेष प्रणाली से पैदा हो सकती है। जहां भी धन के सम्बन्ध में शक्ति के प्रयोग का प्रश्न हो, बुराई पैदा होना अनिवार्य है। इसका वास्तविक उपाय यह है कि अंशधारी अपने हितों का अधिक ध्यान रखे।

इस मामले में चूंकि अंशधारी अलग अलग रह कर अपने उत्तरदायित्व पूरे नहीं कर सकते, इसलिये यह आवश्यक है कि इन्हें अपने संघ और संथायें बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाये। उन लोगों को जो यह चाहते हैं कि इस देश में संयुक्त स्कन्ध उपक्रम पर कम से कम प्रतिबन्ध हों अपना ध्यान अंशधारियों की सन्थायें बनाने और इन्हें विकसित करने पर लगाना चाहिये।

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर—दक्षिण) : कार्मिक संघ।

श्री सी० डी० देशमुख : कार्मिक संघ अपनी देखभाल अच्छी तरह कर सकते हैं।

श्री सिंहासन सिंह : ये अंशधारियों के कार्मिक संघ होंगे।

श्री सी० डी० देशमुख : मैंने केवल एक तुलना की है। आप चाहे इसे कार्मिक संघ कहें या कुछ और।

मैं मानता हूं कि मामलों को केवल अंशधारियों की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि हम किसी ऐसे प्रस्ताव के आर्थिक परिणामों की, जिसे हम अब अनुमोदित करते हैं उपेक्षा नहीं कर सकते। श्रम, उपभोक्ता और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अन्य भाग इन सब का इस में स्वार्थ है। क्योंकि, किसी ऐसे प्रस्ताव के बारे में जिसे हम पुरःस्थापित करें या अनुमोदित करें, इन की प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न होगी इसलिये किसी विशिष्ट विधेयक में सब बातों को नहीं लाया जा सकता। कुछ मामले उदाहरणतया धन का केन्द्रण, इस विधेयक में नहीं आ सकते। इन्हें निपटाने के लिये राजकोषीय या करारोपण सम्बन्धी विधेयक की आवश्यकता है।

फिर श्रम सम्बन्ध का महत्त्वपूर्ण मामला है और इसका क्षेत्र इतना बड़ा है कि इस प्रकार के अधिनियम में इसे अच्छी तरह निपटाया नहीं जा सकता। एक और प्रश्न उद्योगों के विशेष विकास और विनियमन का है। इसके लिये अन्य विशेष अधिनियम चाहियें। हमारे पास बैंकिंग समवाय अधिनियम, बीमा समवाय अधिनियम, विद्युत् अधिनियम और उद्योगों के विकास तथा विनियमन का अधिनियम है। कार्यपालिका व्यवस्था भी है। उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंसों के अतिरिक्त हमारे पास पूंजी निर्गम नियन्त्रण अधिनियम है। इसलिये जो कुछ हम करते हैं, उसका महत्त्व केवल समवाय विधि को देख कर नहीं बल्कि इन सब क्षेत्रों में किये जाने वाले कार्य को देख कर समझा जाना चाहिये।

मुझे विश्वास है कि सदन ने उन आश्वासनों का स्वागत किया है, जो श्री सोमानी ने पूंजीपतियों की ओर से दिये हैं। हम प्रबन्ध अभिकर्ताओं को दबोचना नहीं चाहते, हम केवल यह चाहते हैं कि वे अपने विचारों और मनोवृत्ति को बदलें। यदि ऐसा न हुआ तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा क्योंकि मैं समझता हूं कि सफल व्यापारी का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार बना लें। जब और सब लोगों का भी हित हो, तो अपनी सेवाओं के लिये पारिश्रमिक घटाना ही पड़ता है। अतः मुझे विश्वास

है कि गैर-सरकारी उपक्रमियों को फल की इच्छा से नहीं बल्कि अपना कर्तव्य पूरा करने और न्याय की भावना से काम करना चाहिये। मुझे जमाना बदलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि इस सदन में बड़े बड़े व्यापारियों के कम से कम एक प्रतिनिधि ने गीता के इस श्लोक में अपनी श्रद्धा प्रकट की है : कर्मण्येवाधिकारस्ते ।

संभवतः कुछ और लोगों के सामने एक और उद्देश्य था—मर्मण्येवाधिकारस्ते उन लोगों को जो इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं, मैं वचन दे सकता हूं कि हम भी सद्भावना और सहायता का रुख अपनायेंगे और प्रशासन का काम शीघ्रता, ईमानदारी और न्याय से किया जायेगा। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि न्याय में विलम्ब नहीं किया जायेगा क्योंकि न्याय में विलम्ब का अर्थ तो न्याय से वंचित करना होगा। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है, इस विधेयक में सरकार को बहुत अधिकार दिये गये हैं, जो कि और किसी स्थान पर नहीं पाये जाते। मैं यह बताना चाहूंगा कि इन शक्तियों का प्रयोग बाधा डालने के लिये सहायता देने के लिये किया जायेगा, अर्थात्, जहां सामान्य नियम कुछ कड़ा है, वहां उपयुक्त मामलों में कार्यपालिका द्वारा कुछ रियायत देने की व्यवस्था की जायेगी। उदाहरणतः गठबन्धन या पारिश्रमिक के लिये उच्चतम सीमा निश्चित करने के मामले हैं। हम ने काफी प्रतिबन्ध लगाये हैं किन्तु उपयुक्त परिस्थितियों में कुछ मामलों में रियायत देने का अधिकार भी लिया है।

प्रशासन के बारे में मैं हर्ष से आश्वासन देता हूं कि इस के लिये कर्मचारी काफी होने चाहियें, इसे सक्षम होना चाहिये, लालफीताशाही कम से कम होनी चाहिये और हमें सहायता का रुख अपनाना चाहिये। दूसरे शब्दों में हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि हम अनजान लोगों को न फंसायें। बल्कि उन लोगों को सहायता दें जो विधि का अनुसरण करना चाहते हैं, किन्तु विधान और नियमों के आधिक्य के कारण अपने आप को बेबस पाते हैं। इस लिये हम पूरे उत्तरदायित्व की भावना से और संकोच से इस कर्तव्य को संभाल रहे हैं। श्री सोमानी ने कहा है कि हम खंड १९७ के परन्तुक में दिये गये अधिकारों का इस प्रकार प्रयोग करें कि उपक्रमों द्वारा उपयुक्त और योग्य व्यक्ति ढूंढने में बाधा न पड़े और इस कारण इन की कार्यक्षमता में कमी न हो। चूंकि हमारा यह उद्देश्य, कि उपक्रमों की कार्यक्षमता अधिक से अधिक रहे, एक सामान्य उद्देश्य है, इसलिये मेरे विचार में कार्यपद्धति के बारे में बहुत मतभेद नहीं होगा। हमारा निश्चय यह है कि हम अपना कर्तव्य ऐसे तरीके से पूरा करें कि सामान्य प्रगति अधिक से अधिक हो। इस सम्बन्ध में हमें अपने भविष्य के कार्यों की सफलता का अनुमान उस समय की घटनाओं से नहीं लगाना चाहिये जब कि १९३६ में अधिनियम में अन्तिम संशोधन किया गया था। मेरे विचार में उस अनुभव से ठीक अनुमान नहीं लगाना चाहिये क्योंकि काम प्रान्तीय सरकारों के पदाधिकारियों में बांट दिया गया था, जिन के और कर्तव्य भी थे और समन्वय की कोई व्यवस्था नहीं थी। युद्ध के शुरू हो जाने से न केवल इस में बल्कि प्रशासन के बहुत से अन्य विभागों में भी अव्यवस्था फैल गई थी। हम आशा करते हैं कि हम इस को बदल लेंगे। मैं ने यह प्रार्थना भी नोट कर ली है कि हमें छोटे व्यक्ति की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये, क्योंकि इस पर सब सहमत हैं कि छोटे पैमाने के कारबार को प्रोत्साहन देना वांछनीय है और यह कठिन नहीं होना चाहिये। उन देशों में जो कि हम से बहुत आगे हैं, छोटे कारबार का औद्योगिक जीवन में बहुत महत्त्व है। चूंकि हम न अभी बहुत रास्ता तय करना है,

[श्री सी० डी० देशमुख]

इसलिये मुझे विश्वास है कि हम छोटे उपक्रमों के द्वारा ही देश की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। हम समवाय विधि के बारे में एक सरल प्रदर्शिका प्रकाशित करेंगे जो कि अंग्रेजी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं में होगी और यह प्रबन्ध करेंगे कि जनसाधारण इस विधि को बिना कठिनाई के समझ सकें। संभव है हम एक पत्रिका भी प्रकाशित करें, जिस के लिये एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था। खंड ६३१ के अधीन, वार्षिक रिपोर्ट पर समय समय पर जो चर्चा होगी, हम उस का भी स्वागत करते हैं। मैं श्री मोरे से कहूंगा कि वह इसे पढ़ें, क्योंकि कल मालूम हुआ कि अभी उन्होंने इसे नहीं पढ़ा।

जहां तक काम की मात्रा का सम्बन्ध है, हमें कोई भ्रम नहीं है और मुझे डर है कि जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है, यह बढ़ता ही रहेगा। किन्तु उन देशों में क्या होता है जहां सब उपक्रम सरकार के होते हैं और सरकार द्वारा चलाये जाते हैं? उन की भी यही समस्यायें होंगी। जहां तक कार्य-पालिका द्वारा निदेश का सम्बन्ध है, इस के दो उपाय हैं। एक यह है कि मंत्रालयों की संख्या बढ़ा दी जाये। यदि एक मंत्री इसे नहीं संभाल सकता तो संयुक्त स्कन्ध उपक्रमों के सारे क्षेत्र को दो भागों में बांटना पड़ेगा; एक मंत्री के हाथ में एक भाग का प्रशासन होगा और दोनों को नीति के प्रश्नों का निर्णय करने के लिये एक बोर्ड बनाना पड़ेगा। इन का उत्तरदायित्व सीमित होगा। कुछ अन्य देशों में उद्योगों के प्रभारी मंत्री के मामले में ऐसा किया जाता है। विभाजन की प्रक्रिया इस देश में शुरू हो गई है: पहले हम ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री रखा, फिर उत्पादन मंत्री बनाया गया। अब हमें एक लोहा और इस्पात मंत्री नियुक्त करना पड़ा है।

मुझे इस में सन्देह नहीं कि ज्यों ज्यों सरकारी क्षेत्र बढ़ता जाता है—जो इस समय विस्तार की प्रारम्भिक अवस्था में है—भारी उद्योगों के लिये और हल्के उद्योगों के लिये भी मंत्री रखे जा सकते हैं। मैं नहीं जानता कि यह वृद्धि किस प्रकार होती जायेगी किन्तु यह केवल तार्किक उपाय है जिस से सरकार अपना उत्तरदायित्व निभा सकती है।

दूसरा जो उपाय है वह विकेन्द्रीकरण और प्रत्यायुक्ति का न्यायोचित उपाय होगा। किन्तु मुझे सन्देह है कि हम समय को पीछे नहीं लौटा सकते। और यही चीज श्री तुलसीदास के कथन के सम्बन्ध में भी लागू होती है। मुझे संदेह है कि हमने इस विधेयक में नियंत्रण और विनियमन के लिये जो उपबन्ध निविष्ट किये हैं उन पर अब पुनः विचार नहीं कर सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे अंशधारियों को पुनः अधिकार देने के सम्बन्ध में भी शंका है यद्यपि शक्तियों के समायोजन की कुछ गुंजाइश हो सकती है जैसी कि अंशधारियों और निदेशकों के बीच है।

अनेक विवादों में से, जो समय समय पर विचारार्थ उत्पन्न होंगे, सब से जटिल अन्तर्समवाय और अन्तर्निदेशक विनियोगों का होगा जिस के समान जटिल प्रबन्धकों के पारिश्रमिक अथवा प्रबन्ध अभिकर्ताओं और प्रबन्ध निदेशकों की सहमति तक का प्रश्न भी नहीं होगा। ये काफी साधारण मामले हैं, सिद्धान्त भी काफी स्पष्ट है। समय समय पर विचार बदल सकते हैं। और हम उन परिवर्तनों को स्वीकार कर सकते हैं। किन्तु कुछ मामले ऐसे हैं जो प्रारम्भ से ही जटिल होते हैं जैसे अन्तर्समवाय और अन्तर्निदेशक विनियोग, एकाधिकार, न्यास आदि। इन का निरीक्षण और अध्ययन जटिल आर्थिक विषय की भांति किया जायेगा और मैं नहीं कह सकता कि कोई भी इस से अधिक सरल उपाय हो सकता

है जो देश के विकास के अनुसार बदलती हुई स्थिति का सामना कर सके । यहां तक कि अधिक आगे बढ़े हुए देशों में भी ऐसे मामलों का विनियमन करने के लिये साधारण विधियों का निर्माण नहीं हो सका है । मैं ने यह बात इस कारण से कही कि विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य, साम्यवादी दल के उपनेता, ने समवायों की संचित निधियों को एकत्रित करने का उल्लेख किया था क्योंकि उन्हें आशंका इस बात की थी कि समवाय विधेयक को योजना के अनुसार नहीं बनाया गया है । मैं उन की बात नहीं समझ सका क्योंकि योजना के अन्तर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ पूर्व निश्चित विनियोग होगा ही, और यह सुरक्षित विनियोग है क्योंकि हम संयुक्त स्कन्ध उद्योगों का प्रबन्ध करने के लिये विधि का एक सुदृढ़ आधार बनाना चाहते हैं। उन्होंने स्वयं ही रिजर्व बैंक बुलेटिन के आंकड़ों की ओर ध्यान आकर्षित किया है जिस के अधीन विस्तार के लिये वित्त का लगभग ७५ प्रतिशत आन्तरिक रूप से दिया गया था। दूसरे शब्दों में सदस्यों द्वारा ली गई रक्षित राशि तथा अंश पूंजी विस्तार के लिय रखी गई थी। अब जब तक यह विस्तार, उस आधार पर होता रहेगा जो हम ने योजना में निश्चित की है, तो मुझे रक्षित निधि के इस में उपयोग किये जाने पर आपत्ति नहीं होगी । वास्तव में देखा जाय तो इस राशि का इस में उपयोग होना अधिक अच्छा है । हमारे पास समवाय विधि के अतिरिक्त अन्य शक्ति भी है—जिस में से कुछ का मैं उल्लेख कर चुका हूं जैसे औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम, तथा पूंजी निर्गम नियंत्रण अधिनियम आदि ये सभी इसीलिये हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र में विनियोग योजना के अनुसार हो ।

कुछ शब्द मुझे मंत्रणा आयोग के विषय में कहने हैं । मुझे खेद है कि श्री चटर्जी इस बात से अभी तक सहमत नहीं हैं कि यह आयोग मंत्रणा देन वाला है । जैसा कि मैं कह चुका हूं, मैं समझता हूं, कि इस मामले को वह ठीक तरह से समझ नहीं सके हैं । पूर्ण स्वायत्तता संसद् के सामने एक धोखे वाली बात है, क्योंकि न्यायपालिका के सम्बन्ध में भी जो कार्यापालिका का अंग नहीं है, सरकार और मंत्री अन्ततोगत्वा संसद् के प्रति उत्तरदायी हैं । उस दशा में यह उत्तरदायित्व कहां रहेगा । इसे कहीं न कहीं तो रहना ही चाहिये ।

अतः स्वायत्तता सम्भवतः विधि सिद्ध न हो कर सत्ता सिद्ध होगी । जहां तक सत्ता सिद्ध की सम्भावना का सम्बन्ध है, उस के विषय में मैं पहले ही बता चुका हूं कि उस के तथा आयोग के विचारों में बहुत कम अन्तर है ।

मैं ने कहा था कि इस शक्ति से प्रत्येक के ऊपर उत्तरदायित्व आ जाता है, संसद् के ऊपर भी कम दायित्व नहीं आता है । मैं समझता हूं कि कार्यपालिका इस बात का भरोसा नहीं करेगी कि संसद् इस पर किसी प्रकार का अनुग्रह करेगी वरन् वह संसद् की बुद्धिमानी और विचार करने की क्षमता पर विश्वास कर सकेगी । कार्यपालिका को यह नहीं समझना चाहिये कि वह एक बन्दी के रूप में न्यायालय के सम्मुख जवाबदेही कर रही है वरन् उसे उत्तर देने के लिये सदैव तत्पर रहना चाहिये । तभी हमारे समाज के समाजवादी ढांचे के लिये आधार स्थित करने के लिये विश्वास उत्पन्न हो सकता है ।

अब विनियोग करने वाली जनता को लीजिये । ऐसे विधान की अन्तिम सफलता अथवा असफलता का निर्णय योजना के अनुसार गैर-सरकारी क्षेत्र में जितना विस्तार होता है उस से नहीं किया जा सकता । फिर भी जैसा कि मैं कह चुका हूं आन्तरिक वित्त का महत्त्वपूर्ण स्थान हो सकता है, किन्तु निस्सन्देह नई पूंजी की आवश्यकता बनी रहेगी जो न तो

[श्री सी० डी० देशमुख]

महत्त्वहीन ही होगी और न अस्थायी ही और इसी कारण दिवंगत श्री गोखले के अनुसार, जिन का उद्धरण भी श्री मोरे ने दिया है, पूंजी का अंशदाता वास्तव में उपकारी होता है। कुछ भी हो एक अर्थ में वह ऐसा मजदूर है जो अपने श्रम का कुछ अंश बचाकर उत्पादन की वृद्धि में लगाता है। अतः विनियोजक का विश्वास अर्थात् बड़े बड़े पूंजीपतियों का नहीं वरन् छोटे लोगों का विश्वास, ही सफलता की कुंजी होगी। हमारा विचार इस विधान को हटा कर एक नये विधान को रखना है जो स्टाक एक्सचेंजों का विनियमन कर सके और हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही हमें इस प्रकार का अधिनियमन करने का अवसर प्राप्त होगा। जहां तक हम स्टाक एक्सचेंजों संबंधी आंकड़ों से निर्णय कर सकते हैं, विनियोजक काफी प्रभावित होता है और उत्तरदायी बनने के लिये तैयार रहता है। और यह बड़ा अच्छा शकुन है।

एक खण्ड रुपया जमा करने वालों के सम्बन्ध में है जिस का कुछ विरोधी दल के और कुछ इस पक्ष के सदस्यों ने जिक्र किया था। मुझे खेद है कि हम असावधान जमा करने वालों के रक्षण के लिये इस विधेयक में अधिक उपबन्ध नहीं कर सके हैं। मेरी समझ में इस का उपचार यह है कि अंशधारियों की भांति जमा करने वालों को भी अपने संघों को मजबूत बनाना चाहिये और विशेषज्ञों से परामर्श करना चाहिये। उन्हें विभिन्न उपक्रमों में विभेद करना सीखना चाहिये और वचन दिये गये अधिकतम लाभ की दर के आधार पर धन जमा करने की खतरनाक आदत को छोड़ देना चाहिये। उन्हें सुरक्षित किन्तु कम लाभ से सन्तोष करना चाहिये और उन्हें इस तथ्य की सराहना करना भी सीखना चाहिये कि उन्हें दोनों प्रकार के लाभ नहीं हो सकते। मुझे विश्वास है कि एक छोटा संशोधन प्रस्तुत कर के हमने उन के लिये जितना संरक्षण देने का प्रयत्न किया है उस से अधिक विधि के द्वारा देना सम्भव नहीं। यहां तक कि साहूकारी (बैंकिंग) के कारबार में भी, जहां कि अल्पकाल के लिये रुपया जमा करने वालों की सुरक्षा के लिये विशेष विधान है, और जहां व्यापार पर इतना कठोर नियंत्रण रहता है, हानि होना असाधारण नहीं है। वास्तव में वहां हानि औद्योगिक उपक्रम के सामने बहुत अधिक है।

इस सभा के दो भाग ऐसे हैं जो इस विधान से अधिक लाभ होने की आशा नहीं करते। श्री एच० एन० मुकर्जी का मत है कि जब तक निदेशकों को अर्हता प्राप्त कराने के लिये स्कूल नहीं होंगे और जब तक शाखा लेखा परीक्षा की विस्तृत प्रणाली नहीं बनेगी तब तक विधेयक का प्रमुख जनतन्त्रीय उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उन लोगों ने जो सुझाव दिये हैं उन में से कुछ सुझाव ऐसे नहीं हैं जो विधि में सम्मिलित किय जा सकें, किन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि जहां चुनने का अधिकार सरकार को दिया गया है वहां उन लोगों का ध्यान ही न रखा जाये। बहुत सी बातों में व्यापारियों का रेकार्ड उपयोगी सिद्ध .....

श्री एस० एस० मोरे : क्या आप प्रत्येक व्यापारी का इतिवृत्त पत्र (हिस्ट्री शीट) रखेंगे ?

श्री सी० डी० देशमुख : कम से कम उन लोगों का इतिवृत्त पत्र तो अवश्य रखूंगा जो प्रबन्ध निदेशक के लिये अथवा प्रबन्ध अभिकर्ता बनने के लिये आयेंगे। यह ठीक नही है कि मैं प्रत्येक व्यापारी को 'निष्कलंक' समझता हूं। व्यापार संचालन के लिये व्यक्तियों का चुनाव करने में व्यापारी का रेकार्ड अवश्य ही मस्तिष्क में रखना चाहिये।

श्री मुकर्जी ने इस बात पर खेद प्रकट किया कि हम ने बोनस अंशों के बारे में कोई उपबन्ध नहीं किया। मैं समझता हूं कि इस बोनस अंश के प्रश्न को मैं एक बार पहले स्पष्ट कर चुका हूं। यदि वह कर जांच आयोग के प्रतिवेदन तथा इसी प्रकार के इंगलिस्तान के प्रतिवेदन को पढ़ें तो उन्हें पता चलेगा कि बोनस अंश का जारी करना महान अपराध नहीं है। वास्तव में यह तो रक्षित निधि का ही दूसरा नाम है जो उद्योग में लगा हुआ है। यह सत्य है कि जब वह पूंजी का रूप धारण करता है तो लाभांश की दर कुछ भिन्न जान पड़ने लगती है, यह एक गणना है जो कोई भी कर सकता है। यह इतनी स्पष्ट है कि किसी को भी धोखा नहीं दिया जा सकता। बोनस अंशों पर कर लगाया जाये अथवा नहीं यह नैतिकता का प्रश्न न हो कर कर लगाने का प्रश्न है और हम ऐसी अनुज्ञायें जारी कर रहे हैं जिन में कर लगाने के सम्बन्ध में चाहे जो भी निर्णय हुआ हो बोनस अंश जारी करने की अनुमति रहेगी। जो भी निर्णय होगा उचित समय पर घोषित कर दिया जायेगा अथवा लागू किया जायेगा .....

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग) : इंग्लैंड का उदाहरण इस देश में लागू नहीं होता क्योंकि यहां मजदूरों को बोनस उन की मजूरी के अंश के रूप में दिया जाता है जब कि इंग्लैंड तथा अन्य देशों में केवल मजूरी ही दी जाती है बोनस नहीं क्योंकि उन्हें निर्वाह-योग्य मजूरी मिलती है।

श्री सी० डी० देशमुख : कुछ भी हो, मजदूर लाभ के कुछ अंश की मांग कर सकते हैं। मैं यह कहता हूं कि यदि रक्षित निधि है और वह व्यापार में लगी हुई है, तो आस्तियों में वृद्धि हो जाने के कारण अंशधारियों के अंश का मूल्य बढ़ जाता है। यद्यपि गणित सम्बन्धी सम्बन्ध न होने पर भी १०० रुपये के अंश का बाजार मूल्य २०० रुपये हो जाता है जब कि बोनस अंश जारी करने के लिये अनुमति दे दी जाती है तो होता यह है कि उसी अंशधारी को १०० रुपये का लिखित प्रमाण मिल जाता है। अतः उस का अंश २०० रुपये का हो जाता है और यदि वह उसे बेचना चाहता है तो उसे २०० रुपये अर्थात् उतनी ही राशि जो उसे १०० रुपये के मूल अंश को बेचने से मिलती, और मिल जाती है। अतः मजदूर के सामने वही मामला रहता है। मैं यह अस्वीकार नहीं करता कि मजदूरों को जो कुछ भी न्यायाधिकरण से मिल सकता है वह नहीं मिलना चाहिये। यह देखना न्यायाधिकरण का कार्य होगा कि आधिक्य लाभ तो रक्षित निधि में नहीं रख लिये गये हैं। मैं रक्षित निधि के केवल उस अंश की बात कर रहा हूं जो पहले से ही उपक्रम की अवरुद्ध पूंजी में सम्मिलित हो गई है।

शाखा लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में श्री एच० एन० मुकर्जी को कुछ गलतफहमी हो गई है। उन्होंने कर्मचारी वर्ग की कमी की बात कही है किन्तु यह तो खण्ड २२५ के सम्बन्ध में थी, अनुसूचियों में प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में नहीं। वहां हमारी धारणा यह थी कि संशोधन बहुत कुछ अनावश्यक था; अर्थात् बहुत से मामलों में शाखा कार्यालयों से हमें प्रमाणित आंकड़े मिलने चाहियें जिस पर लेखा परीक्षक विचार कर सके और अपने प्रतिवेदन में सम्मिलित कर सके। मैं गलतफहमी दूर करने के लिये इस का उल्लेख कर रहा हूं।

उन्होंने विदेशी पूंजी का भी उल्लेख किया था। इस मामले में इतनी विभिन्न स्थिति जान पड़ती है कि तर्क करना असम्भव है। हमें विश्वास है कि आने वाले अनेक वर्षों तक विदेशी विनियोग की देश में आवश्यकता बनी रहेगी क्योंकि हम देश में ही से यथावश्यक पूंजी प्राप्त करने में असमर्थ हैं। विदेशी विनियोग को आकृष्ट करने के लिये हम में से प्रत्येक

[श्री सी० डी० देशमुख]

को यह सुनिश्चय करना होगा कि विद्यमान विदेशी विनियोगों के साथ न्याय किया जाये और उन में तथा देश के उपक्रमों में किसी प्रकार का भेद-भाव न समझा जाये।

तत्पश्चात् उन्होंने प्रबन्ध अभिकरणों को अलग अलग कर देन तथा समवायों की वृद्धि की सम्भावना का उल्लेख किया है अर्थात् एक वस्त्र कारखाने द्वारा कास्टिक सोडा अथवा अन्य रासायनिक व्यापार अपने हाथों में लेने की बात कही है। मैं स्वीकार करता हूं कि इस मामले में हमारा दृष्टिकोण उदासीन नहीं है। यदि काफी संख्या में अंशधारी अपना धन अनेक कारबारों में लगाना चाहते हैं तो उन कारबारों में परस्पर निकटतम सम्बन्ध न होने के कारण हम उस पर आपत्ति नहीं कर सकते। वे एक दूसरे से सम्बन्धित हों अथवा न हों इस का निर्णय तो अंशधारी ही करेंगे। हम इस मामले में बड़ा स्पष्ट विचार रखते हैं। कुछ भी हो, हमारे पास पूंजी निर्गम नियंत्रण अधिनियम है जिस को हम अवांछित प्रवृत्तियों को रोकने के लिये काम में ला सकते हैं।

श्री तुलसी दास ने जो यह कहा कि इस विधान से नये लोगों के लिये कोई गुंजाइश नहीं रह जाती क्योंकि छोटे लोगों को कोई अवसर ही नहीं मिलता और इस प्रकार विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, मैं सरकार तथा बहुमत की ओर इस चुनौती को स्वीकार कर के यह कहता हूं कि ये दुखद भविष्य-वाणियां निराधार हैं। बाकी लोग इस सम्बन्ध में इतना निराशावादी दृष्टिकोण नहीं रखते। स्टाक एक्सचेंजों की स्थिति स्थिर है और नये उपक्रमों के लिये बाजार में धन मिलता जा रहा है, यदि अंशों के रूप में नहीं तो ऋणपत्र के रूप में मिल रहा है। उन्होंने लालफीतेशाही और विलम्ब का जो उदाहरण दिया वह उचित नहीं है। उन्होंने इस बात की शिकायत की है कि बोनस अंश का यह मामला अगस्त, १९५४ से ले कर अगस्त, १९५५ तक हम लोगों ने रोक रखा है। जब अगस्त, १९५४ में आदेश जारी करने का समय आया तो हम कर जांच आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिन को हमने बोनस अंश पर कर सम्बन्धी इस मामले का विशेष रूप से निर्देश किया था। इस कारण हमें प्रतिवेदन प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी जो दिसम्बर या जनवरी में जाकर प्रस्तुत की गई। इस के पश्चात् आयव्ययक सम्बन्धी कार्यों में पहले से व्यवस्त होने के कारण हम कुछ निर्णय न कर सके या इस मामले पर विचार करने के लिए बहुत कम समय रह जाता। जब हमने इस पर कुछ विस्तारपूर्वक विचार किया तो हम इस निर्णय पर पहुंचे कि भले ही बोनस अंश जारी करने के लिये अनुमति दे दी जाये तो भी जहां तक कर लगाने का सम्बन्ध है, हम उस से वचनबद्ध नहीं हैं। इसी कारण हम ने पिछली बार यह घोषणा की थी कि जहां अन्य कारणों पर अनुमति दी जा सकती हो वहां बोनस अंश जारी करने के लिये हमें तैयार रहना चाहिये।

इस विधेयक को पारित करने में इस सभा तथा संयुक्त समिति के सदस्यों के अतिरिक्त अनेक अनुभवी लोगों ने तथा स्वयं लोक-सभा के विशेषज्ञों ने बड़ा परिश्रम किया है तथा एक प्रकार की तपस्या की है। इस तपस्या का उद्देश्य भी आशा है पूरा होगा। इस सम्बन्ध में मैं कालीदास की कविता से एक श्लोक उद्धृत कर रहा हूं जो इस प्रकार है :

अर्थ प्रभुत्यन वतांगि तवास्मि दासः,
क्रीतस्तयो भिरिति वादिनि सद्विधेयो।
ग्रहनाय सा निगमजं वलम मुत्ससर्ज,
क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते ॥

मैं ने मूल शब्द के लिये "सद्विधेयो" और "नियामजं" के स्थानपर "निगमजं"—

निगम समवाय है—रख दिये हैं। मुझे आशा है कि इस श्रम से एक नये प्रकार के जीवन का संचार होगा।

सभापति महोदय : मैं पहले आनुषंगिक संशोधनों को लूंगा।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ २४, पंक्ति ४२ से ४४,

"Which is required to be stated therein under the provisions of schedule II or IV as the case may be."

[जिस के अनुसूची २ या ४ के उपबन्धों के अन्तर्गत, यथास्थिति, उस में बताये जाने की अपेक्षा है।]

का लोप किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३८, पंक्ति ३९ और ४०,

"Which is required to be stated or set out therein under the provision of schedule III."

[जिस के अनुसूची ३ के उपबन्धों के अन्तर्गत उस में बताये या रखे जाने की अपेक्षा है।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १०२,

पंक्ति ३१ से ३३ के स्थान पर रखा जाये :

"Provided that any such reappointment reemployment or extension shall not be sanctioned earlier than two years from the date on which it is to come into force."

[परन्तु ऐसी कोई पुनर्नियुक्ति, पुनर्नियोजन या सेवा विस्तार उस तिथि से दो वर्ष से पहले मंजूर न किया जायेगा, जब यह प्रभावी होने को है।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

नय उपखंड ४ में, जो संशोधन सूची संख्या १३ में संख्या ३१७ के रूप में छपा है और सभा द्वारा स्वीकृत किया गया है—

"Board's report" [बोर्ड के प्रतिवेदन] के बाद "and any addendum thereto" (और उस का कोई परिशिष्ट) रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : खंड ५२ का संशोधन संख्या १२०६ और खंड २५८ का संख्या १२०८। आप यदि खंडवार रख रहे हों, तो उन्हें अब रख दिया जाये।

सभापति महोदय : मैं उन्हें संशोधनों की संख्या के क्रम से रख रहा हूं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ १४६

(१) पंक्ति ९, "or any firm in which he is a partner" [या कोई फर्म जिस में वह भागीदार है] का लोप किया जाये; और

(२) पंक्ति ११, "or the firm" [या फर्म] के स्थान पर "whether alone or jointly with others" [चाहे अकेले या दूसरों के साथ साथ] रखा जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १४७,

पंक्ति ६ के बाद रखा जाये :

"Provided further that nothing contained in this sub-section shall apply where the company has availed itself of the option given to it under section 264 to appoint not less than two thirds of the total number of directors according to the principle of proportional representation"

[सभापति महोदय]

[परन्तु यह और भी कि इस उपधारा में निविष्ट कोई भी बात उस स्थिति में लागू नहीं होगी जब समवाय ने उसे धारा २६४ के अधीन दिये गये निदेशकों की कुल संख्या के दो तिहाई से अन्यून को समानुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार नियुक्त करने के विकल्प का प्रयोग कर लिया हो।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १४९, पंक्ति १५,

"such of them" [उन में से ऐसे] के स्थान पर "such of the directors as are then in India." [निदेशकों में से ऐसे व्यक्ति, जो उस समय भारत में हैं] ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १८४, पंक्ति १६ और १७ के स्थान पर रखा जाये :

"provided that no renewal shall take place earlier than one year from the date on which it is to come into force"

[परन्तु पुनर्नवीकरण उस तिथि से एक वर्ष से पहले नहीं होगा, जब यह प्रभावी होने को है।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

(क) पृष्ठ २७–

(१) पंक्ति ४१, "a notice" [एक सूचना] के स्थान पर "a document" [एक दस्तावेज] रखा जाये ।

(२) पंक्ति ४२, "given by the company to any member" [समवाय द्वारा किसी सदस्य को दिया गया] के स्थान पर "served by a company on any member thereof" [समवाय या उस के किसी सदस्य द्वारा पहुंचाया गया] रखा जाये ।

(३) पंक्ति ४६, "notice" [सूचना] के स्थान पर "document" [दस्तावेज] रखा जाये ।

(४) पंक्ति ४७, "service of the notice" [सूचना का पहुंचाया जाना] के स्थान पर "service thereof" [उस का पहुंचाया जाना] रखा जाय ।

(५) पंक्ति ४९, "notice" [सूचना] के स्थान पर "document" [दस्तावेज] रखा जाये ।

(ख) संशोधन सूची संख्या १९ में संख्या ४४२ के रूप में छपे और सभा द्वारा स्वीकृत संशोधन में —

(१) "notices" [सूचनाओं] के स्थान पर "documents" [दस्तावेजों] रखा जाये ; और

(२) "notice" [सूचना] के स्थान पर "document" [दस्तावेज] रखा जाये ।

(ग) पृष्ठ २८,

(१) पंक्ति ८, "notice" [सूचना] के स्थान पर "document" [दस्तावेज] रखा जाये ।

(२) पंक्ति १०, "given" (दिया गया) के स्थान पर "served" [पहुंचाया गया] रखा जाये ।

(३) पंक्ति १४, "notice may be given" [सूचना दी जा सकेगी] के स्थान पर "document my be served" [दस्तावेज पहुंचायी जा सकेगी] रखा जाये ।

(४) पंक्ति १४, "to the joint holders" [संयुक्त धारियों को] के स्थान पर

"on the joint holders" [संयुक्त धारियों पर] रखा जाये ।

(५) पंक्ति १५, "giving the notice to" [को सूचना देने] के स्थान पर "serving it on" [पर इसे पहुंचाने] रखा जाये ।

(६) पंक्ति १७, "notice" [सूचना] के स्थान पर "document" [दस्तावेज] रखा जाये ।

(७) पंक्ति १७, "given" [दिया] के स्थान पर "served" [पहुंचाया] रखा जाये ।

(८) पंक्ति १७, "to the persons" [व्यक्तियों को] के स्थान पर "on the persons" [व्यक्तियों पर] रखा जाये ।

(९) पंक्ति २४, "given the notice" [सूचना देने] के स्थान पर "serving the document" [दस्तावेज पहुंचाने] रखा जाये ।

(१०) पंक्ति २४, "given" [दिया] के स्थान पर "served" [पहुंचाया] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १६६,

पंक्ति २० से २२ के स्थान पर, रखा जाये :

"Provided that any snch reappointment, re-employment or extension shall not be sanctioned earlier than two years from the date in which it is to come into force."

[परन्तु ऐसी कोई पुनर्नियुक्ति, पुनर्नियोजन, या सेवा विस्तार उस तिथि से दो वर्ष से पहले मंजूर न किया जायगा, जब यह प्रभावी होने को है ।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १३७, पंक्ति १३, "memorandum and" [ज्ञापन और] का लोप किया जाये :

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

उपखंड (१) के नये भाग (च) में, जो संशोधन सूची संख्या ४९ में संख्या ८९२ के रूप में छपा है और सभा द्वारा स्वीकृत किया गया है--

"employee" [कर्मचारी] के स्थान पर "officer or employee" [पदाधिकारी या कर्मचारी] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २८४, पंक्ति ३,

"any Register" [कोई पंजीयक] के बाद "Additional Joint, Deputy or" [अतिरिक्त, संयुक्त उप या] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २८४, पंक्ति १०,

"any Register" [कोई पंजीयक] के बाद "Additional, Joint, Deputy or" [अतिरिक्त संयुक्त उप या] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अधिकृत लेखापाल अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

[श्री एम० सी० शाह]

यह सीधा सादा विधेयक है और इस का उद्देश्य केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति देना है कि वह विदेशों में प्राप्त अर्हताओं को उन अर्हताओं के बराबर मान ले जो कि भारत की अधिकृत लेखापाल संस्था ने अधिकृत लेखापालों की पूंजी में नाम लिखे जाने के लिये निर्धारित की हैं। वर्तमान अधिकृत लेखापाल अधिनियम की धारा ४ की उप धारा (१) (५) के अन्तर्गत भारत से बाहर दी गई परीक्षा या लिये गये प्रशिक्षण को भारतीय अर्हताओं के समान मानने का निर्णय करना इस संस्था की परिषद् का काम है। माननीय सदस्य अधिकृत लेखापाल अधिनियम की धारा २९ को देखें तो पायेंगे कि उस में केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह ऐसे देशों के राष्ट्रजनों को इस संस्था का सदस्य बनने से रोक सकती हैं जिन में भारतीय उद्भव के लोगों को भारत की अधिकृत लेखापाल संस्था जैसी किसी संस्था का सदस्य होने से या लेखापाल को वृत्ति अपनाने से रोका जाता है या उन से अनुचित भेदभाव बरता जाता है। विदेशों में लेखा-कर्म के सम्बन्ध में प्राप्त अर्हताओं को इस शर्त के अधीन रहते हुए मान्यता दी जाती है और इसलिये यह मान्यता केवल पारस्परिकता के आधार पर ही दी जाती है। कई मामलों में इस सम्बन्ध में सरकार को सम्बद्ध सरकारों से बातचीत करने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी बातचीत का जो परिणाम हो उसे कार्यान्वित करने में सुगमता लाने के लिये हम यह आवश्यक समझते हैं कि विदेशों में प्राप्त अर्हताओं को मान्यता देने की शक्ति केन्द्रीय सरकार के पास भी होनी चाहिये। आप देखेंगे कि इस विधेयक का उद्देश्य यह नहीं है कि इस सम्बन्ध में संस्था को जो शक्ति दी गयी है वह उस से छीन ली जाये। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार मान्यता देते समय यह नहीं भूलेगी कि किस प्रकार की अर्हता को मान्यता दी जा रही है। बल्कि सच तो यह है कि सरकार इस उपबन्ध के अधीन किसी विदेशी अर्हता को मान्यता देते समय आवश्यकतानुसार इस संस्था से परामर्श करेगी।

इस सम्बन्ध में मैं सभा का ध्यान संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में समवाय विधेयक के खण्ड २२५ के उपखण्ड (१) (ख) की ओर दिलाना चाहता हूं जो ब्रिटेन के समवाय अधिनियम, १९४८ की धारा १६१ के उपबन्ध जैसा ही है और उसी के आधार पर बनाया गया है। जैसा कि वित्त मंत्री ने समवाय विधेयक पर अपने भाषण में कहा था, इस खण्ड के उपबन्ध का उद्देश्य यह था कि केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को जिस ने अधिकृत लेखापाल अधिनियम के अन्तर्गत विहित अर्हताओं जैसी अर्हतायें विदेशों में प्राप्त की हों, किसी कम्पनी का लेखा परीक्षक नियुक्त कर सके। इस उपबन्ध के बारे में वित्त मंत्रालय और अधिकृत लेखापाल संस्था के बीच बड़ी लम्बी चौड़ी बातचीत हुई थी। अन्त में संस्था ने यह मान लिया कि केन्द्रीय सरकार को जो विवेकात्मक प्राधिकार देने का प्रस्ताव है, वह चाहे वर्तमान समवाय विधेयक में उल्लिखित सीमित प्रयोजन के लिये ही हो, समवाय विधेयक द्वारा न दिया जाय बल्कि इस के लिये अधिकृत लेखापाल अधिनियम में समुचित संशोधन किया जाय। संस्था ने यह कहा था कि ऐसा करने का लाभ न केवल यह होगा कि अर्हताओं, प्रशिक्षण आदि सम्बन्धी उपबन्ध एक ही संविधि में इकट्ठे हो जायेंगे बल्कि इस से लेखापालों पर अनुशासन सम्बन्धी नियंत्रण रखने में भी सुविधा होगी। सरकार ने संस्था की यह सलाह मान ली और यह विधेयक रखने का निर्णय किया। इसी के अनुसार समवाय विधेयक पर विचार के समय सभा ने उस के खण्ड

२२५ का उपखण्ड (१) (ख) हटा दिया था ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री गुरुपदस्वामी : एक संशोधन रखना चाहते हैं। क्या माननीय सदस्य ने प्रवर समिति के सदस्यों के नाम दे दिये हैं ?

श्री एम० एस० गुरपादस्वामी (मैसूर) : सूची तैयार है । मैं ने सदस्यों से पूछ लिया है और वे मान भी गये हैं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिस में १५ सदस्य हों, अर्थात् सरदार हुक्म सिंह, श्री हरि विष्णु कामत, श्री टी० बी० विट्ठल राव, श्री बी० रामचन्द्र रेड्डी, श्री अशोक मेहता, श्री नेमी चन्द्र कासलीवाल, श्री सी० आर० बासप्पा, श्री ए० एम० थामस, श्री नेत्तूर पी० दामोदरन, श्री एन० एम० लिंगम, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती, श्री शंकर शांताराम मोरे, श्री यू० एम० त्रिवेदी, श्री चिमनलाल चाकू भाई शाह और प्रस्तावक;

और इस समिति से १६ नवम्बर, १९५५ तक या उस से पहले प्रतिवेदन देने के लिये कहा जाये ।"

इस विधेयक का उद्देश्य तो बहुत प्रशंसनीय है परन्तु मेरे विचार में जब तक हम इस अधिनियम में संशोधन करने के लिये और कार्यवाही नहीं करेंगे तब तक यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा ।

हमें बताया गया है कि १९५३ में लगभग २९३१२ कम्पनियां थी जिन की कुल प्रदत्त पूंजी ८९७ करोड़ रुपये थीं। इन कम्पनियों के लिये कुल २७०० लेखापरीक्षक या अधिकृत लेखापाल हैं । अगली पंचवर्षीय योजना के अनुसार १९६० के अन्त तक पचास हजार कम्पनियां होंगी । यदि निकट भविश्य में ही अधिकृत लेखापालों या लेखा परीक्षकों की संख्या में वृद्धि न हुई तो कम्पनियों के लेखों की परीक्षा का काम करने में कठिनाई होगी । वर्तमान परिस्थिति में लेखापरीक्षा पद्धति में कई त्रुटियां हैं। सरकार ने केवल अधिकृत लेखापाल संस्था को ही मान्यता दी है। इस विधेयक का उद्देश्य सरकार को इस बात की शक्ति देना है कि वह इस संस्था द्वारा निर्धारित अर्हताओं के समान विदेशी अर्हताओं वाले लेखापालों को भी मान्यता दे सके। यह अच्छा विधेयक है लेकिन इस के उपबन्ध काफी नहीं हैं ।

श्री एम० सी० शाह : यह विधेयक संयुक्त समिति के निर्णय के अनुसार रखा गया है । संयुक्त समिति की यह इच्छा थी कि खण्ड २२५ (१) (ख) समवाय विधेयक में न रखा जाये बल्कि यह अधिकृत लेखापाल अधिनियम में हो । इस विधेयक से जो शक्ति सरकार को मिलेगी वही इस संस्था को मिलेगी। विधेयक का उद्देश्य तो केवल मात्र इतना है ।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : संयुक्त समिति तो समवाय विधेयक पर विचार करने के लिये विशेषज्ञ समझी जाती थी । अधिकृत लेखापाल अधिनियम में संशोधन करने के और भी परिणाम हो सकते हैं । शायद मेरे माननीय मित्र जिस बात पर जोर दे रहे हैं वह यह नहीं है ।

श्री एम० सी० शाह : मेरे माननीय मित्र श्री के० के० बसु को याद होगा कि जब हम ने खण्ड २२५ (१) (ख) पर विचार किया था तो वहां भी यही बात थी। उस समय इस प्रश्न पर विचार किया गया था कि यह खण्ड समवाय विधेयक में रहे या अधिकृत लेखापाल अधिनियम में । इसलिये इस अधिनियम में संशोधन कर के यह खण्ड रखा जा रहा है ।

सभापति महोदय : क्या इस का मतलब है कि समवाय विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति

[सभापति महोदय]

ने प्रस्तुत विधेयक के विषय पर विचार किया था और वह इसी निर्णय पर पहुंची थी ?

श्री एम० सी० शाह : आप समवाय विधेयक के खण्ड २२५ (१) (ख) को देखें तो उस में भी यही बात मिलेगी। इस के अन्तर्गत सरकार को यही शक्तियां दी गयीं थीं ।

सभापति महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि समवाय विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति ने इस विधेयक की बात पर विचार किया था या नहीं ।

श्री एम० सी० शाह : समवाय विधेयक के अन्तर्गत जब यह खण्ड आया तो संयुक्त समिति में यह प्रश्न उठा था कि समान योग्यता को मान्यता देने का केन्द्रीय अधिकार समवाय विधेयक में रहना चाहिये या उसे शास-प्राप्त (अधिकृत) लेखापाल अधिनियम के अन्तर्गत रखा जाना चाहिये। हम ने को परिवर्तन न कर के केवल केन्द्रीय सरकार शब्द और जोड़ दिये हैं और उसी के अनुसार हम ने संशोधन रखा था कि उस खण्ड को हटा दिया जाये ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : औचित्य के हेतु में यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री और श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी दोनों ही संयुक्त समिति की उन बातों की चर्चा कर रहे हैं जिन से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि उन की सभा में चर्चा ही करनी है तो पहले हमें सारे तथ्यों से अवगत कराया जाना चाहिये ।

श्री वी० पी० नायर (चिरयिन्कील) । संयुक्त समिति का यहां कोई जिक्र नहीं किया जाना चाहिये ।

सभापति महोदय : इस में औचित्य का का कोई प्रश्न नहीं है। बात तो केवल इतनी सी है कि इस विषय पर संयुक्त समिति में चर्चा की गई थी और तदनुसार सभा के सामने यह सवाल पैदा हुआ है कि केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया जाय या नहीं ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : जिन बातों से हम परिचित नहीं हैं उन की चर्चा क्यों की जा रही है ?

श्री ए० एम० थामस (एरणाकुलम्) : संयुक्त समिति ने उस विधेयक के अन्तर्गत यह अधिकार सरकार को दे दिया था ।

श्री वी० पी० नायर : तब इस विधेयक की क्या जरूरत है ?

श्री ए० एम० थामस: उस में से वह खंड हटा दिया गया है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मेरे सारे कथन का अभिप्राय केवल यह है कि जब हम शास-प्राप्त (अधिकृत) लेखापाल अधिनियम, १९४९ के एक संशोधन पर सभा में चर्चा कर रहे हैं तो उस अधिनियम की कुछ अन्य धाराओं पर भी विचार कर लेने में क्या हानि है ?

मैं यह बताना चाहता हूं कि शास-प्राप्त (अधिकृत) लेखापाल परिषद् ने लेखापाल परीक्षा पर अपना पूर्ण आधिपत्य जमा रखा है। परीक्षा सुचारु रूप से नहीं ली जाती । वे नये लेखापालों की संख्या नहीं बढ़ाना चाहते। लेखापालों का एक और संगठन है जिस का नाम सोसाइटी आफ इनकार्पोरेटेड एकाउंटेन्ट्स एण्ड आडिटर्स आफ इंडिया है । इस संस्था की परीक्षा पास किये हुए व्यक्तियों में ९० प्रतिशत व्यक्ति स्नातक हैं किन्तु इस अधिनियम के अनुसार वे शास-प्राप्त लेखापाल के रूप में काम नहीं कर सकते। इस से स्पष्ट है कि शास-प्राप्त (अधिकृत) लेखापाल संस्था का एकाधिपत्य चारों ओर छाया हुआ है। वे केवल अपने लोगों के उत्थान की चेष्टा में संलग्न हैं। उन के लेखापालों की संख्या केवल

२,७०० है। इतने बड़े देश के लिये यह संख्या अपर्याप्त है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन (कृष्णगिरि) : श्रीमान्, औचित्य के हेतु मैं यह बताना चाहता हूं कि सभा के सामने प्रश्न तो यह है कि क्या इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाय और यहां माननीय सदस्य सारे मूल अधिनियम की कथा सुना रहे हैं। क्या यह उचित है ?

सभापति महोदय : इस समय विधेयक पर सामान्य चर्चा हो रही है। अतः उस से सुसंगत अन्य बातों पर भी प्रकाश डाला जा सकता है यदि खंडशः विचार होता तो आप की आपत्ति उचित थी ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : उन का अभिप्राय तो यह है कि मूल अधिनियम की अन्य धाराओं पर भी विचार किया जाय। क्या इस की अनुमति दी जा सकती है ?

सभापति महोदय : सामान्य चर्चा में हमें कुछ उदारता से काम लेना पड़ता है। कुछ व्यक्ति यह भी कह सकते हैं कि इस विधेयक की आवश्यकता ही क्या है। कुछ कहेंगे कि इस में और भी खण्ड जोड़े जायें। ऐसी बातें सामान्य चर्चा में प्रायः होती रहती हैं।

डा० सुरेशचन्द्र (औरंगाबाद) : इस विधेयक के लिये कितना समय निश्चित किया गया है ?

सभापति महोदय : केवल एक घंटा ।

श्री के० के० बसु : कल तो संसद् कार्य मंत्री ने यह बताया था कि इस विधेयक पर एक बजे से ढ़ाई बजे तक विचार किया जायेगा ।

सभापति महोदय: हम इस का ध्यान रखेंगे। यह तो छोटा सा विधेयक है। माननीय सदस्य भाषण में अधिक समय न लें।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मेरा बहुत सा समय तो यों ही निकल गया। मैं बता रहा था कि शासप्राप्त अधिकृत लेखापाल संस्था द्वारा किस प्रकार परीक्षायें ली जाती हैं। परिणाम देखने से पता चलता है कि ९५ प्रतिशत परीक्षार्थी असफल रहते हैं।

यदि असफल परीक्षार्थी किसी पर्चे के अंकों की पुनः जांच कराना चाहता है तो उसे २५० रुपये देने पड़ते हैं। इस के बाद लेखापाल का कार्य स्वतन्त्र रूप से प्रारम्भ करने से पूर्व सफल परीक्षार्थी को छः वर्ष से ले कर नौ वर्ष तक बिना किसी पारिश्रमिक के आर्टिकिल क्लर्क की हैसियत से रहना पड़ता है जिस के लिये उसे ६,००० रुपये फीस के रूप में देने पड़ते हैं। २,७०० शासप्राप्त लेखापालों की आमदनी भी इतनी है कि उसे देख कर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। वह नौ अंकों में लिखी जाती है।

इस पर भी मुझे बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि हमारे लेखापालों का आदर्श ऊंचा नहीं है। मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों ने क्रमशः एम० एस० कृष्णास्वामी, भारत की शासप्राप्त लेखापाल संस्था के भूतपूर्व उप प्रधान बनाम भारत की शासप्राप्त लेखा पाल संस्था और जी० के० घोष बनाम भारत की शासप्राप्त लेखापाल संस्था के मामलों में जो निर्णय दिये हैं उन से स्पष्ट रूप से ज्ञात हाता है कि लेखापाल अपना काम ईमानदारी केसाथ नहीं करते। इस का एक मात्र कारण यह है कि १९४९ से अब तक भारत की शासप्राप्त लेखापाल संस्था ने अपने कार्य में एकाधिपत्य स्थापित कर रखा है।

शासप्राप्त लेखापाल अधिनियम, संविधान लागू होने से पूर्व अर्थात् १९४९ में ही लागू हो गया था। उस में यहां तक पक्षपात किया गया है कि किसी भाग 'ख' राज्य का लेखापरीक्षक भाग 'क' राज्य में लेखापरीक्षा नहीं कर सकता। इस प्रकार क कार्य पूर्णतया धानिक हैं ।

शासप्राप्त लेखापाल संस्था के एकाधि-
को तोड़दिया जाना चाहिये और सोसाइटी

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

आफ इनकारपोरेटेड एकाउन्टेन्ट्स एण्ड आडिटर्स को भी मान्यता दी जानी चाहिये जो कि उस से अच्छी संस्था है ।

मैं चाहता हूं कि शासप्राप्त लेखापालों की भांति जो अन्य व्यक्ति उतने ही योग्य हैं, उन्हें भी वही श्रेणी दी जाये और इस पर भी यदि सरकार उस संस्था को मान्यता नहीं देनी चाहती तो मैं निवेदन करता हूं कि सरकार स्वयं उन की परीक्षा लेना प्रारम्भ करे और भारत के महालेखा-परीक्षक उन्हें प्रमाणपत्र दिया करें ।

इस समय सरकार ऐसी संस्था को प्रोत्साहन दे रही है जिस में भ्रष्टाचार होता है । इस के साथ जनता का धन भी नष्ट होता है क्योंकि शासप्राप्त (अधिकृत) लेखापाल उद्योगपतियों से साठगांठ रखते हैं और समवायों के लेखों की ईमानदारी के साथ परीक्षा नहीं की जाती । इस के अतिरिक्त अनेक लेखापाल एक एक घंटे की सौ सौ रुपये फीस लेते हैं । छोटे उद्योग इतनी रकम नहीं दे सकते । मं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर उचित ध्यान देगी ।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, इस विषय पर मैं भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं । सब से पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय ने इस विधेयक को किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया है । कारण और उद्देश्य के विवरण में यह बताया गया है कि भारत से बाहर भी जिन लेखापालों ने योग्यतायें प्राप्त की हैं उन्हें मान्यता दी जानी चाहिये ।

पहले तो हमें यह देखना है कि क्या शासप्राप्त (अधिकृत) लेखापाल अधिनियम में इस समय किसी संशोधन की आवश्यकता है ? यह प्रश्न मैं माननीय मंत्री से पूछता हूं । वे मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं ।

श्री एम० सी० शाह : जी हां, मैं सुन रहा हूं ।

श्री वी० पी० नायर : लेखापालों के लिये इस समय जो नियम हैं उस के अनुसार उन्हें निगम निधियों के लेखों को जनता के सामने रखने का अधिकार नहीं है । कम-से-कम व्यवहार में तो वे लोग ऐसा नहीं करते ।

यदि लेखा परीक्षक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कोई आपत्तिजनक बात लिखता है तो उसे समवाय की साधारण सभा के आगे प्रस्तुत किया जाता है और प्रबन्ध अभिकर्ता ऐसे स्पष्टवादी लेखापरीक्षक को अपने समवाय से हटा कर किसी दूसरे से काम लेने लगते हैं । अतः मैं यह सुझाव रखता हूं कि शासप्रा त लेखापाल संस्था की ही भांति एक लागत लेखापाल संस्था की रचना की जाय । जब लागत लेखापाल समवायों के लेखे प्रस्तुत करने लगेंगे तो शासप्राप्त लेखापरीक्षकों का कार्य सरल हो जायेगा और उन की कार्यपटुता भी बढ़ जायेगी । मैं यह नहीं कहता कि उस समय कोई बुराइयां रहेंगी ही नहीं, किन्तु वे कम अवश्य हो जायेंगी । उसी समय संशोधनों की जरूरत पड़ेगी । अभी दो एक संशोधन रखने से काम संभलने नहीं पायेगा ।

सरकार कहती है कि वह विदेशी योग्यताओं को भी भारतीय योग्यताओं के बराबर मान्यता देना चाहती है । मैं पूछता हूं कि १९४९ से अब तक क्या किसी देश ने ऐसी मान्यता के लिये भारत सरकार से कहा है ? क्या किसी देश ने ऐसे संशोधन का आग्रह किया है ? मैं समझता हूं कि इस कारण को कोई विशेष कारण नहीं माना जा सकता । छः वर्ष से हम बिना ऐसे संशोधन के काम करते रहे और अब इस की सहसा क्यों आवश्यकता प्रतीत हो रही है ? मामला कुछ और ही जान पड़ता है ।

मूल अधिनियम से यह भी ज्ञात हुआ है कि सरकार के पांच प्रतिनिधि भी संस्था की परिषद् के सदस्य हैं। किन्तु वहां पारस्परिक सम्बन्ध न होने से ये पांचों व्यक्ति कुछ कार्य नहीं करवा सके। इस से सरकार के हितों को बाधा पहुंच सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विधान को निर्मित करने का यही कारण है? मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में हमें कुछ बतायेंगे। सिद्धान्त रूप से मैं सराकार को अधिकार देने के विषय में नहीं हूं; किन्तु अब सरकार किस आधार पर इस टैक्नीकल संस्था के निश्चयों का सामना कर सकती है सरकार किस प्राधिकारी के द्वारा यह मान्यता देगी क्योंकि लेखे के मामले में अर्हता की परीक्षा करना एक टैक्नीकल मामला बन जाता है। मुझे आश्चर्य है कि श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी ने इस मामले को संयुक्त समिति में न भेज कर प्रवर समिति में भेजने को क्यों कहा; किन्तु इस स्थिति पर यह भी अनुचित ज्ञात होता है। अतः मैं उन से अपना प्रस्ताव वापस लेने की प्रार्थना करूंगा।

मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह हमें यह बताने की कृपा करें कि इस विधान को प्रस्तुत करने में सरकार का क्या उद्देश्य है?

सभापति महोदय : माननीय सदस्य संक्षेप में कहने की कृपा करें क्योंकि हमें विधेयक की सामान्य चर्चा को २ बजे के लगभग समाप्त कर देना है। हम अधिनियम के उपबन्धों से सम्बन्धित नहीं हैं। प्रश्न यह है कि क्या अर्हता इत्यादि के देने में केन्द्रीय सरकार को प्राधिकार दिया जाय अथवा नहीं?

श्री ए० एम० थामस : श्रीमान्, आपने ठीक ही कहा है कि प्रश्न केवल यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार को विदेशी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को भी समवाय अधिनियम के अधीन लेखा परीक्षा करने की अनुमति देने का प्राधिकार होना चाहिये।

समवाय विधेयक पर सामान्य चर्चा के समय में ने यह आशंका प्रगट की थी कि सरकार को यह प्राधिकार देने का यह परिणाम भी हो सकता है कि शास-प्राप्त (अधिकृत) लेखापालों के क्षेत्र में सभी विदेशी अर्हता प्राप्त व्यक्ति भर जायेंगे किन्तु कुछ लेखापालों ने स्वयं आगे बढ़कर इस शंका को निर्मूल कर दिया। उन्हों-ने यह शंका प्रगट की थी कि क्या इस विषय का निपटारा करने के लिये दो पदाधिकारी नहीं हो जायेंगे; श्री वैश्य ने संयुक्त समिति के सामने साक्षी होते हुए यह कहा था कि लेखा-पालों के दो या तीन वर्ग बताना ठीक नहीं होगा उन्हें एक ही संस्था के अधीन रहना चाहिये। मेरी प्रमुख आपत्ति यह है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि संस्था का सदस्य न हो, भारत में यह व्यवसाय न करने दिया जाय, यदि इस उपबन्ध को विधि बन जाने दिया गया तो लेखापालों के दो पृथक वर्ग बन जायेंगे।

श्री नरसिंहन् द्वारा सभा पटल पर रखी गई याचिका में भी यही बात दोहराई गई है कि विदेशी अर्हता प्राप्त व्यक्ति शास-प्राप्त लेखापाल पंजीयित किये जाने के पश्चात् एक निश्चित अवधि तक भारत के अधिकृत लेखापाल संस्था के सदस्य रहें तथा लेखापाल का व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों पर संस्था का अनुशासनिक नियंत्रण यथापूर्व रहे।

मैं श्री गुरुपादस्वामी द्वारा लगाये गये आरोपों के विरुद्ध हूं। समवाय अधिनियम में लेखा परीक्षकों का महत्त्वपूर्ण स्थान है, अतः हमें उन के चुनाव में बहुत सतर्क रहना चाहिये क्योंकि उन की कार्यक्षमता, ईमानदारी तथा ऊंचे चरित्र पर ही उक्त अधिनियम की सफलता निर्भर है।

श्री कामत (होशंगाबाद) : हमें यथा-संभव यह देखना चाहिये कि १९४९ के अधिकृत लेखापाल अधिनियम का प्रयोजन भंग न हो। केवल दो सावधानियां बर्तने से

[श्री कामत]

ऐसा सम्भव हो सकता है। पहिला, केन्द्रीय सरकार को किसी व्यक्ति को मान्यता देने के पूर्व अधिकृत लेखापाल संस्था से परामर्श कर लेना चाहिये, दूसरे, जो व्यक्ति भरती किये जायें उन को संस्था का सदस्य बनाया जाय। यह सच है कि उन्हीं देशों के पारस्परिक सम्बन्धों के आधार पर ही विदेशियों को यहां लेखापाल बनने की अनुमति दी जायेगी किन्तु भारत में कई विदेशी समवाय होने के कारण वे लोग अधिक से अधिक विदेशी लेखा परीक्षकों को लाना पसन्द करेंगे।

श्री ए० एम० थामस : मेरे माननीय मित्र ने बिल्कुल ठीक कहा है कि यह एक पक्षीय बात ही होगी। भारत के समवायों में विदेशियों के अधिकार को देखते हुए सरकार को विदेशी अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों को लेने में बहुत सावधानी बर्तनी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक आश्वासन देगी।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में यह कहा गया है कि भारत के बाहर के देशों की उन परीक्षाओं तथा प्रशिक्षण को, जो कि इस संस्था के सदस्यों को पंजीयित होने के लिये विहित है, मान्यता देने तथा केन्द्रीय सरकार को विदेशी अर्हता को भारत के समकक्ष मान्यता देने का अधिकार देने के प्रयोजन से यह विधेयक उपस्थापित किया जा रहा है। मेरे विचार से यह सरकार द्वारा खड़ा किया गया व्यर्थ का बतंगड़ है। जब देश में लेखापालों की कोई कमी नहीं है तब विदेशी अर्हता प्राप्त लेखापालों को मान्यता देने का प्रश्न ही कहां उठता है। अतः मेरा सुझाव है कि केवल इस प्रयोजन के लिये अधिकृत लेखापाल अधिनियम को संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही मेरा निवेदन यह है कि धारा २९ के परन्तुक की भाषा उसी प्रकार रहनी चाहिये किन्तु इस के विपरीत केन्द्रीय सरकार को घसीटा जा रहा है और इस प्रकार दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था की जा रही है, अर्थात् सरकार को इस संस्था से यह भय है कि वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तियों को मान्यता देने से इन्कार कर सकती है। उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि केन्द्रीय सरकार शब्दों को क्यों जोड़ा गया। माननीय मंत्री को या तो इस का कारण बताना चाहिये या इस विधेयक को वापस ले लेना चाहिये।

श्री एम० सी० शाह : यह बहुत साधारण प्रश्न है। मैं विधेयक को पुरःस्थापित करते समय ही कह चुका हूं कि जब हम ने समवाय विधेयक पर चर्चा की थी तो वस्तुतः केन्द्रीय सरकार विदेशियों अथवा समान अर्हता के परीक्षा उतीर्ण किये हुए व्यक्तियों को अनुमति देने का अधिकार ले रही थी। मैं बता चुका हूं कि इस मामले पर अधिकृत लेखापालों की संस्था से परामर्श किया गया। उन्होंने कहा कि इस अधिकार को धारा ४ की उपधारा (१) के खंड ५ के अधीन लेना ठीक होगा। हम ने उन का परामर्श स्वीकार किया किन्तु तब भी अन्तिम वक्ता महोदय ने सरकार को अधिकार हथिया लेने का आरोप लगाया है। वस्तुतः अधिकृत लेखा संस्था यह चाहती थी कि यह भी अधिकृत लेखा संस्था अधिनियम में रहे जिस से कि .....

श्री सी० आर० नरसिंहन् : माननीय सदस्य ने स्वयं अपने भाषण के प्रारम्भ में कहा था कि अधिकृत लेखापाल संस्था पर्याप्त वार्ता के पश्चात् ही इस बात पर राजी हुई थी कि इस से उन की अनिच्छा स्पष्ट है।

श्री एम० सी० शाह : मैं ने नहीं कहा कि वे लोग इस के लिये इच्छुक थे। हम धारा २२५ (१) ख में उल्लिखित अधिकार चाहते

थे । सरकार ने इस पर विचार किया और इस को अत्यावश्यक समझा । जब उन्होंने हम से इस सम्बन्ध में चर्चा की तो उन्होंने कहा कि इसे अधिकृत लेखापाल अधिनियम में रखना ठीक होगा । वस्तुत: हम क्या कर रहे हैं । परिषद् को यह अधिकार है कि भारत के बाहर की समान अर्हताओं को मान्यता दे । हम ने केवल केन्द्रीय सरकार शब्द रखा है जिस से कि अधिकार समनुरूप रहें । श्री थामस ने कहा है कि सरकार से कुछ आश्वासन मिलना चाहिये । इस विधेयक को पुर:स्थापित करते समय मैंने कहा था कि सरकार इस अधिकार का अर्हताओं के प्रकार तथा मान्यता की उपयुक्तता को ध्यान में रखे बिना उपयोग नहीं करेगी । वे एक प्रथा की तरह, इस उपबन्ध के अधीन किसी विदेशी अर्हता को मान्यता देते समय संस्था से परामर्श करेंगे । इसलिये मेरे विचार से इस उपबन्ध पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । मेरे मित्र श्री गुरुपादस्वामी ने किसी इनकार्पोरेटेड सोसाइटी आफ चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स की ओर से बोलने का प्रयत्न किया है । उन्हें मान्यता नहीं मिली है । वस्तुत: वे किसी भी व्यक्ति को उस की योग्यता तथा व्यावसायिक अर्हता का ख्याल किये बिना ही व्यक्तियों को डिप्लोमा दे देते हैं । साथ ही वह कुछ शुल्क भी लेते हैं । वे इस तथ्य पर ध्यान नहीं देते कि वे व्यक्ति लेखापाल होने की क्षमता भी रखते हैं या नहीं । कुछ व्यक्तियों को लेखापालों का निकाय बनाने से रोकने वाला कोई उपबन्ध नहीं है किन्तु उन्हें ऐसा लेखा-कार्य नहीं करना चाहिये जो कि संविधि के अनुसार केवल अधिकृत लेखापाल ही कर सकते हैं । १९४९ का अधिनियम अधिकृत लेखापालों के व्यवसाय का विनियमन करने के लिये पारित किया गया था । समवाय विधेयक पर चर्चा करते समय हम ने स्वतन्त्र लेखापरीक्षकों के सम्बन्ध में बहुत सुना । अधिकृत लेखापाल अधिनियम इन लेखापरीक्षकों को इस प्रकार विनियमित करने के लिये पारित किया गया था कि वे उच्च अर्हता प्राप्त लेखापरीक्षक हो सकें और स्वतन्त्र कार्य करने में असमर्थ हों । इसीलिये हम ने धारा २१ के अधीन अधिकृत लेखापालों की परिषद् के द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही करने का उपबन्ध किया था । हम लेखापरीक्षकों के व्यवसाय को स्वतन्त्र तथा उच्च स्तर का बनाना चाहते हैं । अब वे आगे आकर स्वयं कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकृत लेखापाल बना दिया जाय । मेरे माननीय मित्र श्री गुरुपादस्वामी यही कहते हैं। मेरे विचार से हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते ।

मेरे मित्र श्री नायर ने मूल्य लेखापालों की संस्था के बारे में कहा । मैं सभा को यह बता दूं कि हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या इस अधिनियम में संशोधन करना चाहिये । हम ने कई अभ्यावेदन प्राप्त किये हैं । हम माननीय सदस्यों तथा बाहरी व्यक्तियों के द्वारा उठाये गये कई प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं तथा हम एक व्यापक संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं । तब सभी अन्य सुझावों पर चर्चा की जायेगी ।

इस संशोधन का प्रयोजन सीमित है । सरकार को परिषद् के साथ ऐसे समवर्ती अधिकार दिये गये हैं कि वह भारत के बाहर परीक्षा तथा प्रशिक्षण के पश्चात् समान अर्हता वाले लेखापरीक्षकों को मान्यता दे सके ।

श्री वी० पी० नायर : क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि किन देशों की सरकार को इस प्रकार के नियंत्रण लगाने के अधिकार प्राप्त हैं तथा कितने भारतीय लेखापरीक्षक विदेशी समवायों में कार्य करते हैं ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास भारत के बाहर भारतीय लेखा परीक्षकों के आंकड़े नहीं हैं । अधिकृत लेखापाल संस्था ने ब्रिटेन से इस पारस्परिक व्यवसाय के सम्बन्ध में

[श्री एम० सी० शाह]

वार्ता की थी । कुछ भारतीय लेखापाल कुछ अन्य देशों में कार्य करते हैं । मैं उन्हें अभी अभी आंकड़े नहीं दे सकता, किन्तु यदि वे मांगे तो मैं अवश्य दूंगा । मैं कह चुका हूं कि धारा २९ में पारस्परिकता का उपबन्ध है । ये सारी वार्तायें सरकारी स्तर पर होंगी । ब्रिटेन की सरकार को अंग्रेजी समवाय अधिनियम के अधीन वही शक्तियां हैं जो कि हम मांग रहे हैं । इसलिये मैं सोचता हूं कि अन्य मामलों में चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री गुरुपादस्वामी ने एकाधिपत्य के सम्बन्ध में कहा था । ये केवल विनियामक अधिकार हैं, किसी भी व्यवसाय में कदाचार होने पर ऐसे उपबन्ध होने चहियें ये विनियामक शक्तियां परिषद् को ही दी गई हैं । कोई एकाधिपत्य नहीं है केवल अधिकृत लेखापालों की संस्था को दृढ़ और स्वस्थ बनाने के लिये अधिकृत लेखापाल अधिनियम बनाया गया है ।

श्री ए० एम० थामस : क्या सरकार विदेशियों को भी इस संस्था का सदस्य बनने को कहेगी ?

श्री एम० सी० शाह : कुछ अर्हतायें हैं । जो लोग सदस्य होना चाहते हैं वे एक विहित प्रक्रिया के अनुसार सदस्य हो सकेंगे ।

श्री ए० एम० थामस : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि क्या किसी विदेशी व्यक्ति को यह व्यवसाय प्रारम्भ करते समय ही अपने को इस संस्था में पंजीयित करना होगा ?

श्री एम० सी० शाह : निःसन्देह ऐसा ही है । वे पंजीयित होंगे । वे पजीयित किये जायेंगे तथा परिषद् के अनुशासनिक क्षेत्र के अन्तर्गत आयेंगे ।

मेरे विचार से श्री गुरुपादस्वामी के इस संशोधन कि इस मामले को प्रवरसमिति को सुपुर्द किया जाये, के विरुद्ध अधिक नहीं कहा जा सकता । उन्हें किसी भी बात के निर्दिष्ट किये जाने की आवश्यकता नहीं । प्रश्न तो यह है कि सरकार संस्था के समवर्ती अधिकार ले रही है । उन्हें ये अधिकार पहिले से ही प्राप्त हैं । पिछले वर्ष उन्हों ने भारत के बाहर की समान अर्हताओं वाले तीन व्यक्तियों को स्वीकार किया है । मुझे विश्वास है कि परिषद् तथा सरकार इस मामले में बहुत सावधान रहेगी कि इस क्षेत्र में विदेशियों की बाढ़ न आवे । वे बहुत आवश्यक होने पर ही ऐसा करेंगे जब उन के पास समान अर्हतायें होंगी और उन्होंने समान परिक्षायें दी होंगी तथा प्रशिक्षण प्राप्त किये होंगे । तभी उन के मामलों पर विचार किया जायेगा और वे अधिकृत लेखापालों की संस्था में प्रवेश पा सकेंगे । मैं आशा करता हूं कि सभा उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगी तथा इस प्रस्ताव पर विचार करेगी ।

(सभापति महोदय द्वारा प्रवर समिति को सौंपने का संशोधन मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिकृत लेखापाल अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २—(धारा ४, आदि का संशोधन)

सभापति महोदय : खण्ड २ के सम्बन्ध में भी कुछ सशोधन हैं । श्री झूलन सिंह और श्री एस० वी० रामस्वामी सभा में उपस्थित नहीं हैं । मैं समझता हूं कि श्री गांधी और श्री नरसिंहन् अपने संशोधन पेश करेंगे ।

श्री वी० बी० गांधी : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुए।

संशोधन संख्या ५ विधेयक के क्षेत्र से बाहर है। हां, माननीय सदस्य उस के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण उपस्थित कर सकते हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन नियमविरुद्ध नहीं है। क्योंकि जब सरकार विदेशी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को मान्यता दे रही है तो भारत के लेखापरीक्षकों और निगमित लेखापालों की संस्था के सदस्यों को भी क्यों न मान्यता दी जाये।

सभापति महोदय : संशोधन के नियम-विरुद्ध या असंगत होने का प्रश्न नहीं है ; प्रश्न यह है कि यह संशोधन विधेयक की व्याप्ति के बाहर है।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला–भटिंडा) : हमारा संशोधन भी उसी धारा ४ के संबंध में है जिस की व्याप्ति बढ़ाने के लिये सरकार ने संशोधन पेश किया है। हमारा संशोधन उसी धारा ४ की व्याप्ति को कुछ और अधिक विस्तृत बनाता है। अतः वह न तो नियम-विरुद्ध है और न व्याप्ति के बाहर है।

श्री एम० सी० शाह : हम अधिकृत लेखापाल अधिनियम, १९४९ की धारा ४ उपधारा (१) के खण्ड (५) का ही संशोधन कर रहे हैं। और चूंकि यह संशोधन एक और उपखण्ड (क) जोड़ना चाहता है और इसका अर्थ विधेयक की व्याप्ति को बढ़ाना है।

सरदार हुक्म सिंह : पर हम तो उसी धारा का संशोधन करना चाहते हैं।

श्री एम० सी० शाह : हम सम्पूर्ण धारा ४ का संशोधन नहीं करना चाहते बल्कि केवल खंड ५ का संशोधन करना चाहते हैं, जबकि आप एक नया उपखण्ड (क) और जोड़ना चाहते हैं।

सभापति महोदय : वह जो कुछ जोड़ना चाहते हैं वह खण्ड (५) में समाविष्ट नहीं हो सकता, बल्कि उसे अलग से जोड़ना पड़ेगा।

श्री एम० सी० शाह : संशोधन संख्या ५ के अनुसार वह अधिकृत लेखापाल अधिनियम के अन्तर्गत कुछ और व्यक्तियों को भी मान्यता दिलाना चाहते हैं। पर सरकारी विधेयक का यह प्रयोजन नहीं है।

सभापति महोदय : एक बात। इस संशोधन को पारित करने के बाद इस के परिणामस्वरूप हमें और भी बहुत से संशोधन करने पड़ेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन नियम-विरुद्ध है। क्योंकि सरकारी संशोधन का मुख्य अभिप्राय यह है कि क्या परिषद् के साथ केन्द्रीय सरकार को भी यह अधिकार होना चाहिये कि वह कुछ परीक्षकों और प्रशिक्षणों आदि को मान्यता दे सके। पर वे लोग इसे पारस्परिक आधार पर चाहते हैं, न कि विधेयक की व्याप्ति को बढ़ाना चाहते हैं। पर सरदार हुक्म सिंह के संशोधन का यह प्रयोजन है कि एक विशेष संस्था के सदस्यों को भी अधिकृत लेखापालों की भांति काम करने की अनुमति दी जाय। मैं इसे विधेयक की व्याप्ति से बाहर समझता हूं, अतः इस की अनुमति नहीं देता हूं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या आप दोनों के लिये अनुमति नहीं देते ?

सभापति महोदय : जी हां, दोनों के लिये अनुमति नहीं देना चाहता।

श्री वी० बी० गांधी : मैं अपने संशोधन संख्या १ को लेता हूं। यदि यह विधेयक, जिस रूप में है उसी रूप में पारित कर दिया जाता है तो बहुत से व्यक्ति जो लेखापाल का कार्य कर रहे हैं, इस कार्य के लिये अयोग्य ठहराये जायेंगे। लोगों के मन में यह भय है कि सर्टिफाइड एण्ड इनकार्पोरेटेड एकाउन्टेन्ट्स, लन्दन (प्रमाणित तथा निगमित लेखापाल संस्था, लन्दन) की परीक्षा भारत में पास करने वाले व्यक्ति इस संशोधन के द्वारा लेखापाल का काम नहीं कर पायेंगे। अतः उसी परीक्षा को

[श्री वी० बी० गांधी]

लन्दन में पास करने वालों और भारत में पास करने वालों में कोई अन्तर मानना कुछ लोगों के साथ अन्याय करना है ।

मैं ने यह भी सुना है कि विधेयक के पारित होने के बाद भी ऐसे लोगों को, अभ्यावेदन देने पर, संस्था की सदस्यता प्राप्त करने का अधिकार दिया जा सकेगा । संक्षेप में, मेरा अभिप्राय यह है कि विदेशियों की अर्हताओं को मान्यता देने पर कहीं ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो जाय कि ऐसे व्यक्तियों को, जिन के पास विदेशों में तथा भारत में दोनों स्थानों की मान्य अर्हतायें हैं, अनर्ह बना दिया जाये ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् : श्री शाह ने बताया कि विदेशियों को केवल आवश्यकता की सीमा के अन्दर ही लिया जायगा, पर सरकार इस संबंध में असीमित अधिकार ले रही है । इस अधिकार के अन्तर्गत सरकार यह कह सकती है कि अमुक अर्हता उचित होगी । इस प्रकार कई देशों के बहुत से लोग पंजीयन के लिये पात्र समझे जायेंगे । पर हमारे देश के नवयुवकों को अवसर नहीं मिलेगा ।

सभापति महोदय : एक ऐसा उपबन्ध है जिस के अन्तर्गत कुछ शर्तें लगाई जा सकती हैं ।

श्री सी० आर० नरसिंहन : आप का उद्देश्य भले ही यह हो, पर विधि में आप ने ऐसा कुछ नहीं कहा है ।

श्री एम० सी० शाह : हम ने केवल "केन्द्रीय सरकार" बढ़ा दिया है । आज केवल परिषद् ही इन अधिकारों का प्रयोग कर रही है पर इस विधेयक के पारित होने के बाद केन्द्रीय सरकार और परिषद् दोनों इन अधिकारों का प्रयोग करेंगी ।

श्री सी० आर० नरसिंहन : मेरा प्रयोजन केवल यह है कि जो काम साधारण प्रकार से हो सकता था उसे हम ख्वामख्वाह तूल दे रहे हैं । उपबन्ध ऐसा होना चाहिये कि विशेष व्यक्तियों को अधिकार दिया जाना चाहिये । जब हमारे यहां अधिकृत लेखापाल संस्था है तो ऐसी ही एक दूसरी संस्था बनाने की क्या आवश्यकता है । दूसरी बात यह है कि उपबन्ध में कोई रोक नहीं है ? हमें सीमा का ज्ञान कैसे हो ? अतः प्रत्येक बात स्पष्ट होनी चाहिये । लेखा परीक्षक इस विधेयक के पक्ष में नहीं है । उनका कथन है कि अधिकार सीमित होने चाहिये और उनका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिये । जब एक संस्था इन अधिकारों का प्रयोग कर रही है तो सरकार क्यों इन अधिकारों को अपने हाथों में ले रही है । सरकार कुछ विशेष व्यक्तियों को किसी समय के लिये अधिकार दे दे ।

फिर जब विदेशी लोग लेखा-निरीक्षकों का कार्य करेंगे तो उन की प्रथायें दूसरी संस्था की प्रथाओं से भिन्न हो सकती हैं । ऐसी अवस्था में अनुशासन बनाये रखने के लिये संविहित संस्था को अधिकार होने चाहिये । मैं चाहता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाये ।

श्री के० के० बसु : माननीय मंत्री विधेयक में प्रस्तावित संशोधन के औचित्य का ठीक समर्थन नहीं कर सके । उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि हमें विदेशी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों की क्यों आवश्यकता है । मूल अधिनियम में कहा गया है कि जो भारतीय राष्ट्रजन इंग्लैंड में या किसी अन्य देश में प्रशिक्षण लेते हैं उन्हें इस देश में अर्हता प्राप्त माना जायेगा । मैं माननीय मंत्री का ध्यान कलकत्ता स्थित ब्रिटिश लेखापरीक्षक संस्था की ओर आकर्षित करता हूं । अब यह संस्था अपने देश के नये लेखा परीक्षकों को यहां लायेगी माननीय मंत्री ने बताया कि विदेशी पूंजी हमारे उद्योग में सहायता करेगी पर क्या विदेशी लेखापरीक्षकों की भी हमें जरूरत है ?

अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इस प्रकार के विधेयक के पारित होने से हमारे देश में विदेशी राष्ट्रजनों की भरमार हो जायेगी और हमारे देश के व्यक्ति बेकार हो जायेंगे।

श्री एम० सी० शाह : मैं समझता हूं कि श्री बसु का भय निर्मूल है। जैसा कि मैं बता चुका हूं परिषद् को उसी प्रकार की अर्हताओं को मान्यता देने और उन लोगों को भारत की अधिकृत लेखापाल संस्था के सदस्य बनाने का अधिकार होगा जो वैसी अर्हतायें रखते हों और जिन्हों ने किसी भी अन्य स्थान की परीक्षायें पास की हों। गत वर्ष परिषद् ने तीन ऐसे व्यक्तियों को सदस्य बनाया। ब्रिटेन में ऐसा एक उपबन्ध है। अमरीका जैसे देशों में भी भारतीय लोग अधिकृत लेखापालों और लेखापरीक्षकों का कार्य करते हैं। अधिकृत लेखापाल अधिनियम, १९४९ में पारस्परिक सहयोग के सम्बन्ध में भी खण्ड २९ है। श्री सी० आर० नरसिंहन् ने कहा कि जब वे लेखापाल यहां आयेंगे तो वह अधिकृत लेखापाल संस्था की परिषद् के नियमों का या अधिकृत लेखापाल संस्था के नियमों का पालन नहीं करेंगे। पर ऐसी बात नहीं है। जब वह यहां आ कर अधिकृत लेखापाल संस्था के सदस्य बनते हैं तो उन्हें संस्था की परिषद् के अनुशासन संबंधी नियमों को मानना पड़ेगा। यदि माननीय सदस्य धारा १५ और २१ देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि अधिकृत लेखापाल संस्था के सदस्यों के विरुद्ध सभी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है, यदि वे किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या दुराचार करते हैं।

श्री बसु ने बताया कि इस प्रकार बहुत से विदेशी राष्ट्रजन आयेंगे और सरकार विदेशी लेखा परीक्षकों को आने की अनुमति देगी। पर यह बात केवल एक प्रचार की बात है। वस्तुतः, जब हम ने अधिकृत लेखापाल अधिनियम पारित किया था, उस समय हम ने अधिकृत लेखापालों के स्वतन्त्रा विकास की बात सोची थी। हम एक केन्द्रीय संस्था बनाना चाहते थे। संस्था लगभग एक स्वायत्त-शासी संस्था है और वह अधिक अर्हता प्राप्त और अच्छे अधिकृत लेखापाल चाहती है। भारत सरकार का दृष्टिकोण सदैव यही रहा है कि भारत में अधिकृत लेखापालों की संख्या बढ़े और उन का स्वस्थ विकास हो। अतः श्री बसु को यह नहीं कहना चाहिये कि सरकार का अभिप्राय विदेशियों को बुलाना है। हम ने संस्था को सदैव प्रोत्साहन दिया है। संस्था एक स्वायत्तशासी संस्था है और हम अधिकृत लेखापालों के संगठन को प्रोत्साहन देते आये हैं। मैं चाहता हूं कि निकट भविष्य में सभी लेखापरीक्षक और सभी लेखापाल भारतीय हों पर इस अन्तर्काल में परिस्थितियां ऐसीं हैं कि उसी प्रकार की अर्हता वाले और उसी प्रकार के प्रशिक्षा प्राप्त विदेशी लेखापालों को पारस्परिक सहयोग के आधार पर बुलाया जाये और यह काम भी अधिकृत लेखापाल संस्था की परिषद् के परामर्श से किया जायेगा। अतः यह आरोप गलत है कि विदेशियों को बुलाया जा रहा है। और इस बात का भी नहीं है कि भारत में विदेशी लेखापालों की भरमार हो जायेगी।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधनों को मतदान के लिये रखूंगा।

[सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ और २ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एम० सी० शाह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास नियमों के बारे में प्रस्ताव

सभापति महोदय : सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहता हूं कि सामान्य चर्चा के लिये ५ घंटे निश्चित किये जा चुके हैं । जो माननीय सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हों वे कृपया १५ मिनट के अन्दर उन की संख्या सचिव को बतायें । अभी से ठीक १५ मिनट के अन्दर ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली): मंत्री जी के भाषण के होते हुए कौन से प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने वाले हैं ।

सभापति महोदय : मंत्री जी को भी अन्य सदस्यों की तरह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला भटिंडा) : चूंकि ५ घंटों के लिये सामान्य चर्चा होगी अतः हो सकता है कि कल तक वह चर्चा चलती रहे । ऐसी स्थिति में क्या हमें अपने संशोधन कल तक, या यों कहिये कि आज सांय तक, देने की अनुमति नहीं ?

सभापति महोदय : यहां की प्रथा इस प्रकार है । यदि संशोधन आज दिये जायें तो कालान्तर में उन को कल लिया जायेगा । यदि आज वे मान्य हैं तो कल भी वे क्रमानुसार होंगे । अनेक माननीय सदस्यों ने अपने संशोधनों की पूर्व सूचना दी है । अन्य सदस्य, जिन्होंने अभी संशोधन नहीं दिये हैं, यह देख लेंगे कि कौन से संशोधन वे देना चाहेंगे ताकि वे अभी अपने संशोधन दे सकें । यह तो है ही कि जिन संशोधन की पूर्व सूचना आज दी गई है, वे आज न लिये जाने पर कल के लिये भी नियमपूर्वक होंगे, क्योंकि कल भी समय बचेगा । संशोधन आते रहते हैं किन्तु तभी तक चर्चा चलती रहेगी जब तक उस के लिये समय निश्चित हुआ हो । पूर्ण चर्चा के लिये यह आवश्यक होगा कि संशोधन समय से पहले सभा के समक्ष हों । सामान्य चर्चा के बाद संशोधनों को लिया जायेगा । जिन संशोधनों पर आग्रह होगा, उन ही को सभा के मतदान के लिये प्रस्तुत किया जायेगा । पूर्ण चर्चा के लिये अधिक अच्छा उपाय यह होगा कि संशोधन यथाशीघ्र दिये जायें अर्थात्, संशोधनों पर चर्चा आरम्भ करने से पहले ही उन की सूचना भेजी जानी चाहिये ।

श्री नंद लाल शर्मा (सीकर) : क्या मैं यही समझूंगा कि सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद संशोधन दिये जायें ?

सभापति महोदय: कतई नहीं । १५ मिनट में संशोधनों की सूचना सचिव को मिलनी चाहिये । यदि कोई सदस्य आज ही अपना नया संशोधन दे तो उसे कल ही प्रस्तुत किया जायेगा । हां, यह तो है कि जिन सदस्यों ने पहले ही अपने संशोधनों की पूर्व सूचना दी है वे यह बतायें कि किन को प्रस्तुत किया जाय ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मंत्री जी के भाषण के बाद ही हमें ठीक से इस बात का पता चलेगाकि किन संशोधनों पर आग्रह किया जाय और किन को छोड़ दिया जाय ताकि समय का अपव्यय न हो । यदि आप मंत्री जी के भाषण के बाद १५ मिनट या आधा घंटा दें तो हम इस बात का निर्णय करेंगे कि किन संशोधनों पर आग्रह किया जाना चाहिये । अन्यथा यदि आप का कहना है कि हम उन्हें

१५ मिनट न दें तो सभी संशोधनों को प्रस्तुत करना पड़ेगा ।

सभापति महोदय : मैं माननीय मंत्री की इच्छा के प्रतिकूल उन्हें बिल्कुल प्रारम्भ में भाषण देने के लिये बाध्य नहीं कर सकता । और मेरे पास बहुत से उन लोगों ने अपने नाम भेजे हैं जो इस सम्बन्ध में बोलना चाहते हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : यदि माननीय मंत्री अन्य सदस्यों के बोलने के बाद भाषण दें, तो अधिक अच्छा होगा ।

सभापति महोदय : मेरा भी ऐसा ही विचार है । इस समय यदि माननीय सदस्य मंत्री जी को अपने भाषणों द्वारा इस सारी स्थिति का ब्यौरा दें तो अधिक अच्छा होगा । जिन सदस्यों ने अपने नाम नहीं दिये हैं, वे भी सूचना देने के बाद बोल सकते हैं । इस समय मैं यह जानना चाहूंगा कि प्रत्येक वक्ता को १० से १५ मिनट तक का समय दिया जाय या १५ से २० मिनट तक का कुल समय ५ घंटे है । यदि प्रत्येक को २० मिनट दिये गये तो केवल १५ सदस्य बोल पायेंगे ।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक मध्य) : प्रथा के अनुसार प्रत्येक सदस्य को १५ मिनट दिये जा सकते हैं ताकि बहुत से माननीय सदस्य बोल सकें ।

सभापति महोदय : मेरे विचार में सभा प्रत्येक सदस्य को १५ मिनट देने के पक्ष में है ।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : नियम तो बने हैं किन्तु हमें मालूम नहीं कि यथार्थ में शरणार्थियों को कितने मकान दिये गये, कितना प्रतिकर दिया गया, आदि । मेरे विचार में यही अधिक अच्छा होता कि मंत्री जी कुछ तथ्य बताते ताकि हम बाद में उन सभी बातों पर बोल सकते ।

सभापति महोदय : चर्चाओं के सम्बन्ध में प्रायः ऐसा देखा गया है कि सभी सदस्यों के पास अपने अपने विभागों का पूरा कार्य-विवरण नहीं होता । इसीलिये, माननीय मंत्री को इस प्रकार की जानकारी परिचालित करानी चाहिये ताकि सदस्यगण एक सजीव रुचि ले सकें । माननीय सदस्य की मांग ठीक है किन्तु उन का भी यह कर्तव्य है कि जानकारी परिचालित न होने पर वे प्रश्नों द्वारा उसे प्राप्त कर लिया करें । मेरे विचार से भी यही अच्छा होगा कि मंत्री जी कल तक यदि वह चाहते हों, तो, नियमों आदि के सम्बन्ध में सभी जानकारी दें ताकि चर्चा अच्छी तरह से हो सके ।

श्री गिडवानी (थाना) : श्री मेहर चन्द खन्ना ने प्रतिकर की अन्तिम योजना की घोषणा करते समय एक सरकारी वक्तव्य निकाला है जिस में उन्होंने यह बताया है कि जुलाई, १९४९ में दिवंगत गोपालस्वामी आय्यंार ने सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया था कि विस्थापित व्यक्तियों को पश्चिमी पास्किातान में उन द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का प्रतिकर दिया जायेगा । सरकार ने कई बार इसी आश्वासन को दोहराया है । श्री गोपालस्वामी आय्यंगार ने वास्तव में यह कहा था कि प्रतिकर कुछ नगदी में कुछ जिन्स में और कुछ बन्धन-पत्रों के रूप में दिया जायेगा । १९५० में एक और सम्मेलन बुलाया गया था । उस सम्मेलन में केवल ३ ग़ैर सरकारी पदाधिकारी उपस्थित थे जिन में से मैं एक था । श्री मेहर चन्द खन्ना उस समय पुनर्वास मंत्रालय के परामर्शदाता थे । श्री गोपालस्वामी ने इस समस्या को सुलझाने का एक सूत्र बनाया था;– क, ख, ग,–– 'क' से अभिप्रेत था भारत में मुसलमानों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति का मूल्य; 'ख' से अभिप्रेत था कि भारत में मुसलमानों द्वारा और पाकिस्तान में, हिन्दुओं और सिक्खों द्वारा छोड़ी गई

[श्री गिडवानी]

सम्पत्तियों के मूल्य का अन्तर, और 'ग' से अभिप्रेत था सरकारी अंशदान। हम ने उस समय कहा था : 'क' बिल्कुल ठीक है; 'ख' के सम्बन्ध में हम पाकिस्तान से एक कौड़ी की भी आशा नहीं करते; और 'ग' का जहां तक सम्बन्ध है, मान लीजिये आप हमें २ या ५ लाख या ५ करोड़ रुपये तक की राशि दें तो क्या उसे सरकारी अंशदान कहा जायेगा? उन्होंने इस के उत्तर में कहा था कि एक ठोस रकम मिलेगी जो विस्थापितों को सन्तुष्ट करेगी। ये उन्हीं के शब्द हैं और सरकारी फाइलों में मौजूद भी हैं। उस समय यह समझा गया था कि भारत में मुसलमान निष्क्रान्त व्यक्तियों की सम्पत्ति का मूल्य २५० करोड़ रुपये होगा। उस से यही राशि मिलने वाली थी। भारत सरकार का ठोस अंशदान भी तो है जिस से विस्थापितों को कुछ संतोष होगा। इस प्रतिकर योजना पर विचार करते समय इन दो बातों को याद रखना होगा। आप जानते हैं कि निष्क्रान्त पुंज लगभग १८५ करोड़ रुपये होगा उस में से ३५ करोड़ रुपये विस्थापित व्यक्तियों को ऋण के रूप में —राज्यों के अथवा आर० एफ० ए० ऋणों के रूप में—दिये जा चुके हैं और शेष १५० करोड़ रुपये सम्पत्ति के रूप में हैं —वह सम्पत्ति सरकार द्वारा बनाई गई सम्पत्ति के रूप में हो या निष्क्रान्त व्यक्तियो की सम्पत्ति के रूप में। में यही कहूंगा कि हमें आशानुकूल प्रतिकर नहीं दिया जा रहा है। ३५ करोड़ रुपये की ऋण के रूप में दी गई राशि का समायोजन किसी भी प्रकार करना है। जब यह विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम पारित किया गया तो पंडित ठाकुर दास भार्गव के सभापतित्व में संयुक्त समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं जिन में उन्होंने बहुत कम परिवर्तन करने को कहा था और यह भी कहा था कि नागरिक और ग्रामीण शरणार्थियों के दावों में कोई भी भेद नहीं किया जाना चाहिये। मैं सभा को यह बता दूं कि मकान और कृषिभूमि हैं। पंजाब के कृषकों को पाकिस्तान में उन द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों के दावों का ६० प्रतिशत दिया गया है। इसी प्रकार उक्त समिति की रिपोर्ट में और भी कई एक ऐसी बातें कही गई हैं। यहां मैं सभा से यही कहना चाहता हूं कि यह दावा अचल सम्पत्ति के लिये ही है। करोड़ों रुपये की चल सम्पत्तियां पीछे छोड़ दी गई हैं। उन के लिये कोई दावे नहीं लिये गये। मांग किये जाने पर भी उन के लिये जाने का दावा नहीं किया गया। उक्त रिपोर्ट में अन्त में इस बात की सिफारिश की गई थी कि सरकार को प्रतिकर पुंज में और भी अधिक अंशदान देना चाहिये। उक्त समिति में सभी दलों के कुल ५१ सदस्य थे और बहूतायत कांग्रेसियों की थी। श्री ए० पी० जैन भूतपूर्व पुनर्वास मन्त्री और श्री जे० के० भोंसले उपमन्त्री, भी उक्त समिति के सदस्य थे। मेरे विचार से जब तक इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जाता और जब तक अधिक धन नहीं दिया जाता, तब तक यह योजना सफल नहीं हो सकती। इतने वर्ष बीत चुके हैं। अब तो आठवां वर्ष चल रहा है। यदि इतने ही वित्त से यह योजना चलती रहती तो बहुत से दावेदारों को वर्षों तक कोई प्रतिकर नहीं मिलेगा। कितना ही अच्छा होता कि श्री सी० डी० देशमुख यहां होते। मैं उन्हें बताता कि इस पुनर्वास के काम के लिये ५० या ६० करोड़ रुपये देना कितना आवश्यक है।

एक और बात। मकान, दुकान, औद्योगिक संस्था, और कृषि की भूमि—ये चार प्रकार की संपत्तियां हैं। पाकिस्तान में लोगों के पास

यह चारों सम्पत्तियां थीं। नागरिक संपत्तियों के बारे में तो अनुसूची बनाई गई है किन्तु ग्रामीण संपत्ति-स्वामियों के लिये तरह तरह के भेद किये गये हैं। इस से अन्याय होगा। कितना ही अच्छा होता कि मंत्री जी ने इस सारे ब्यौरे को अपने भाषण में बताया होता। ग्रामीण सम्पत्ति के दावेदार स्वामी को दावे का आधा ही मिलेगा। यह कहां का न्याय है। मान लीजिये कि मैं कराची में रहता था और वहां पर मेरे पास १०,००० रुपये के मूल्य का कोई मकान था जिस का दावा ४,००० रुपये का मंजूर किया गया है तो मुझे ४,००० रुपया मिलेगा। परन्तु यदि वह मकान किसी ग्राम्य क्षेत्र में होता तब मुझे ४,००० रुपये के स्थान पर २,००० रुपया ही मिलता। तो इस प्रकार से यहां पर भेदभाव किया गया है।

इस में एक और भेदभाव भी किया गया है जो कि बहुत से व्यक्तियों को प्रभावित कर रहा है। यदि किसी व्यक्ति के पास नगरीय सम्पत्ति भी है और कृषि सम्पत्ति भी है तो उस के दोनों प्रकार की सम्पत्तियों के दावे स्वीकार किये जायेंगे। परन्तु यदि कोई व्यक्ति ग्राम्य क्षेत्र से सम्बन्ध रखता था और कृषि भूमि सम्बन्धी उस का दावा है तो उसे चार एकड़ कृषि-भूमि तो मिल गई है परन्तु उसे मकान का प्रतिकर कुछ नहीं मिलेगा। उसे मकान का प्रतिकर तभी मिल सकेगा, जब की उस की कीमत १०,००० रुपये आंकी जायेगी भले ही उस के आठ मकान क्यों न हों और प्रत्येक की कीमत ९९९९ रुपय क्यों न हो, उसे कुछ भी नहीं मिल सकेगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य जिसे भदभाव कह रहे हैं वह तो इस सभा द्वारा पारित अधिनियम का एक भाग है। और यह अधिनयम लागू भी है। अतः माननीय सदस्य उस अधिनियम उपेक्षा की किये बिना अपने तर्क उसी के आधार पर प्रस्तुत करें तो अधिक अच्छा होगा। उसमें कोई संशोधन किये बिना उसकी आलोचना करना ठीक नहीं है। वह अधिनियम सरकार को प्रतिकर के लिये सम्पत्तियों को कुछ एक वर्गों में विभाजित करने का अधिकार देता है और सरकार ने उसी के आधार पर दावे मंजूर किये हैं।

श्री नन्द लाल शर्मा : सरकार को तो केवल सम्पत्ति के वर्गीकरण का ही अधिकार दिया गया था न कि १०,००० अथवा २०,००० रुपयों तक की कोई सीमा निर्धारित कर देने का।

सरदार हुक्म सिंह : दावों का निर्णय करते समय ग्राम्य क्षेत्रों और नगरीय क्षत्रों का पहले ही ध्यान रखा गया था और उसी के आधार पर सम्पत्तियों का मूल्यांकन किया गया था। अतः और अधिक भेदभाव करने की कोई आवश्यकता नहीं।

सभापति महोदय : यह अधिनियम सरकार को सम्पत्तियों का वर्गीकरण करने का अधिकार देता है, इसलिये जब तक यह अधिनियम विद्यमान है इस की आलोचना करना व्यर्थ है।

श्री गिडवानी : फिर किसानों का एक वर्ग है जिन्हें भूमि पट्टे पर दी गई है और पाकिस्तान में छोड़ी सम्पत्तियों के दावों के आधार पर नहीं दी गई है। उन के ग्राम्य मकानों के दावे भी अस्वीकृत कर दिये गये हैं। मेरे पास एक पत्र है जो बताता है कि एक व्यक्ति को भूमि पट्टे पर दी गई है न कि निष्क्राम्य सम्पत्ति के आधार पर। और जब उस व्यक्ति ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील की तो दावा आयुक्त न उत्तर दिया कि तुम्हारा दावा दावापदाधिकारी द्वारा भ्रमवश अस्वीकृत कर दिया गया था, अतः तुम्हारे दावे का पुनर्मूल्यांकन किया जायेगा। ऐसे लगभग ८० व्यक्ति हैं, उन का मामला मैं ने अपने हाथ में ले लिया। परन्तु अन्त में ग्राम्य सम्पत्तियों सम्बन्धी उन सभी के दावे अस्वीकृत कर दिये गये।

[श्री गिडवानी]

तो इस प्रकार से एक तो इन व्यक्तियों का वर्ग है। एक अन्य वर्ग के व्यक्ति भी हैं जो कि पहले कैम्पों में रहते थे। सरकार ने उन्हें वहां से उठा कर किन्हीं विशेष स्थानों पर कृषि-भूमि दे कर बसा दिया। वे लोग वहां पर सात आठ वर्षों से रह रहे हैं। उन लोगों को दावों का इस आधार पर सत्यापन नहीं किया गया था कि उन्हें भूमि आवंटित की गई थी। इस प्रकार से इन बचारों ने दावे दायर ही नहीं किये, और जिन्होंने किये भी उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया। और फिर अब उन से उस भूमि की कीमत मांगी जा रही है और दिये गये तक़ावी ऋण भी वापिस मांगे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से उन बेचारों की अवस्था बड़ी ही दयनीय है। उन के पास कोई पूंजी नहीं। अतः मेरा यह निवेदन है कि उन के ग्राम्य मकानों के दावों का पुनः सत्यापन किया जाये और जिन्हों ने दावे प्रस्तुत नहीं किये थे उन के दावों पर भी विचार किया जाये।

इस में एक और भी भेदभाव किया गया है और वह यह है नगरीय क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति किसी मकान में रह रहा है और वही मकान उसे दावे के बदले में से आवंटित कर दिया जाता है, परन्तु वह उसे स्वीकार नहीं करता है तो उसे बाध्य नहीं किया जायेगा। परन्तु ग्राम्य क्षत्रों में उसे यह निर्णय मानने के लिये बाध्य किया जाता है। मैं पूछता हूं कि ग्रामीणों के साथ इतना अन्याय क्यों किया जाता है? ग्राम्य क्षेत्रों और नगरीय क्षेत्रों में इतना भेदभाव क्यों किया गया है?

हमें प्रतिकर के भुगतान में अब शीघ्रता करनी चाहिये, और उस के लिये यदि आवश्यक समझा जाये तो सारे प्रशासन ढांचे को ही बदल दिया जाये। सारा कार्य व्यवस्थित रूप से किया जाये। प्रत्येक दावे पर अच्छी प्रकार से सोच विचार किया जाये और यह प्रयत्न किया जाये कि प्रत्येक व्यक्ति को उस के दावे का पूर्ण भुगतान हो।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (जिला लखनऊ-मध्य) : इस में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि हमारी सरकार ने शरणार्थियों को बसाने और उन की आर्थिक दशा सुधारने के सिलसिले में जो कार्य किया है वह अत्यन्त ही प्रशंसनीय और महान कार्य था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से तकरीबन ८० लाख व्यक्ति हमारे देश में आये। यह ८० लाख शरणार्थी जिस मुसीबतजदा हालत में इधर आये और जिस तरह से अपना सब कुछ बरबाद कर के आये उन को एक नया जीवन प्रदान करने का काम और उत्साह देने का काम एक ऐसा काम था जो कि बहुत ही दुष्कर व कठिन और महान था और जिस योग्यता और जिस बुद्धिमानी से गवर्नमेंट ने इस काम को अपने विशाल कंधों पर उठाया और जिस योग्यता से इसे निभाया उस की प्रशंसा आज सारा संसार कर रहा है। यह इसी कठिन परिश्रम और बुद्धिमानी का फल है कि आज हम इस कठिन समस्या का बेड़ा एक साहिल के किनारे लगाते हुए दिखाई देते हैं। और आज हम सब इस प्रश्न पर विचार करने के लिये इकट्ठे हुए हैं कि हम शरणार्थियों को कितना और किस प्रकार से कम्पेन्सेशन दें, जो कि न्याय-युक्त हो और जिस से सभी लोग संतुष्ट हों और सरकार भी अपनी इस महान जिम्मेदारी से उऋण हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ने डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज कम्पेन्सेशन एंड रीहैबिलिटेशन रूल्ज १९५५ का बड़े ध्यान से अध्ययन किया है। मुझे वे रूल्ज बहुत उचित जंचे और न्याय पर आधारित प्रतीत हुए। यह बात सब को ज्ञात है कि इस विषय में नीति तथा नियमों पर विचार करने के लिये एक जायंट कमेटी बैठी थी, जिस में दोनों ही सदनों के बड़े बड़े

बुद्धिमान और चुने हुए योग्य सदस्य थे। उन्हों ने आपस में काफी विचार-विनिमय किया और बहुत छान बीन और सोच-विचार के बाद एक नीति और नियम निश्चित किये—कुछ बातें तय कीं। जिन बातों के ऊपर उन की आपस में सहमति थी, उन में अब फिर से सुधार करना और फिर से परिवर्तन करना मुझे उचित नहीं लगता। हमारी माननीय सदस्या सुभद्रा जी और श्री गिडवानी जी भी उस कमेटी में थे। सुभद्रा जी की अमेंडमेंट्स मैं ने सब से पहले देखी हैं। वह आज यहां आई नहीं हैं। गिडवानी जी और बहुत से दूसरे सदस्यों के नये नये सुझाव और अनेक प्रकार की अमेंडमेंट्स मैं ने देखी हैं। ये लोग भी उस कमेटी में मौजूद थे। मैं समझती हूं कि यह सभी सुझाव और अमेंडमेंट्स एक प्रकार की अधिकता और ज्यादती की भावना पर आधारित हैं। और वे मूल एक्ट तथा नियमों में कोई विशेष इम्प्रूवमेंट नहीं लाते हैं।

हमारी सुभद्रा बहिन जी का कहना है कि किसी को पचास हजार से ज्यादा कम्पेन्सेशन न दिया जाये, चाहे उस का क्लेम कितना ही बड़ा क्यों न हो। उधर गिडवानी जी के जो अमेंडमेंट्स आये हैं, उन में वे छोटे क्लेम वालों, जिन की संख्या बहुत अधिक है, उन के मुआवजे की मिकदार बराबर बढ़ाते चले जा रहे हैं। मैं इन दोनों ही बातों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि वे नियम के विरुद्ध हैं और न्याय पर आधारित नहीं हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि छोटे क्लेम वालों को तो सरकार की ओर से हर तरह की सुविधायें पूर्व ही दी गई हैं। रूरल (ग्रामीण) शरणार्थियों को खेती करने के लिये जमीन और ग्रामीण मकान दिये गये हैं और रोजगार करने के लिये कर्ज दिये गये हैं। और नगरीय यानी अर्बन शरणार्थियों की रीहैबिलिटेशन ग्रान्ट्स दी गई हैं। उन के लिये कई कालौनीज बनाई गईं और रहने के लिये मकान दिये गये। उन को रोजगार करने के लिये कर्जे दिये गये और दुकानें दी गईं। उन के बच्चों की पढ़ाई की फीस माफ कर दी गई और हर बड़े शहर में बच्चों व स्त्रियों के लिये होम्ज बनाये गये हैं। इस के अतिरिक्त सरकारी विभागों में, योजनाओं में और हर प्रकार की सर्विस में पहले उन्हीं का हक माना गया। शिल्पकला और घरेलू उद्योग धंधों के सेन्टर शरणार्थियों के शिक्षार्थ और उन को स्वावलम्बी बनाने के लिये हर बड़े शहर में खोले गये और बहुत से डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज को मेन्टेनेन्स एलाउन्स दिये गये।

इस के बावजूद भी उन लोगों की जो कुछ कठिनाइयां रह गई हैं, जैसे सरकारी मकानों के नीलाम का सवाल, बिक जाने वाले मकानों में बसे हुए किरायेदारों की सुविधा का सवाल और मकानों के रेन्ट बढ़ जाने का सवाल है इत्यादि इत्यादि। उन सब के सम्बन्ध में भी माननीय पुनर्वास मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह यथासम्भव इस में उचित सुधार करने का प्रयत्न करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन आठ वर्षों में इस निर्धन देश ने शरणार्थियों की सहायता में दो तीन सौ करोड़ रुपया खर्च कर डाला है। मैं समझती हूं कि यह कम महत्व की बात नहीं है और इस पर मुझे बड़ा गर्व है और हर्ष है। लेकिन हम ने देखा है कि इस सब सहायता का लाभ केवल मध्यम या नीची श्रेणी के शरणार्थियों को ही मिला है, परन्तु जो लखपति शरणार्थी यहां आये, जो एक ही दिन में धनी से भिखारी व दीन हो गये उन को यह सब लाभ प्राप्त नहीं हो सका। उन की दशा आज भी दीन है। यह कठिन समस्या कोई धनी शरणार्थियों की अपनी बनाई हुई नहीं है, परन्तु देश के दो भाग होने के कारण उन की यह दुर्दशा हुई। आज उन की आर्थिक दशा इतनी खराब हो गई है कि उन के लिये अपनी लड़कियों के विवाह करना और अपने बच्चों की पढ़ाई जारी रखना भी दुश्वार हो रहा है।

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

अपनी लाखों की जायदादें, सजी सजाई सामान कोठियां, तरह तरह के सामान, अपने गांव गरांव, उपजाऊ लहलहाते खेत, बाग, बड़ी बड़ी नौकरियां और बढ़ते हुए रोजगार और सब धन दौलत छोड़ कर वे लोग एक ही रात में धनी मानी से भिखारी बन गये। अब इन को यहां आये भी आठ वर्ष बीत गये हैं और पैसा और कारोबार न होने के कारण इन की अवस्था और भी खराब हो गई है।

अब जिन शरणार्थियों की पचास साठ लाख की प्रोपर्टी वहां रह गई, उन को मुआवजे में दो लाख रुपये तक देना, जैसा कि कम्पेन्सेशन ऐंड रीहैबिलटेशन रूल्ज, १९५५ में नियत किया गया है, मेरी समझ में बहुत उचित और न्याययुक्त है।

यह कहा जाता है कि दो लाख दे कर एक दम से एक ही दिन में किसी को धनी बना देना यह हमारे सोशलिस्टक पैट्रन के समाज के सिद्धान्त के विरुद्ध होगा, परन्तु मेरे विचार में यह कहना भ्रममूलक है। प्रथम तो सरकार की अब यह नीति है कि वह नकद रुपया किसी को न देगी अतिरिक्त बहुत छोटे क्लेम वालों को या डिस-एबल्ड पर्सन्ज जैसे अंधे, लूले, लंगड़े लोग या विधवाओं को या उन लोगों को, जिनको आज मेनटेनेन्स एलाउन्स मिल रहा है, उन को ही नकद धन मिलेगा। जिन लोगों के बड़े बड़े क्लेम हैं, या जिन के क्लेम एक हद से बढ़ गये हैं, उन को केवल मकान या गवर्नमेंट बांडज़ मिलेंगे जिन की अवधि पंद्रह वर्ष की होगी। अध्यक्ष महोदय, नियमों में तो १० हजार तक का मकान शरणार्थियों को देने की बात है परन्तु यदि पचास हजार का मकान भी दिया जाय, तो आज-कल मकानों की कीमतें इतनी अधिक हैं कि उस रकम में तो एक बहुत मामूली मकान प्राप्त होगा। बाकी का जो रुपया बांड्ज़ की शक्ल में मिलेगा, वह पन्द्रह वर्ष तक में थोड़ा थोड़ा किस्त में मिलेगा। इस तरह कोई एक दिन में ही धनी नहीं हो सकेगा।

मैं इस बात को मानती हूं कि आज सरकार को देश के निर्माण के लिए बहुत धन चाहिए और आज सरकार के लिए इतना मुआवज़ा देना भी कठिन हो रहा है। यह बात बिल्कुल सही है। परन्तु इधर यह कहा जाता है कि बड़े क्लेम वालों को ५० हज़ार से ज्यादा न दिया जाय और उधर छोटे क्लेम वालों के कम्पेन्सेशन की मिकदार बराबर बढ़ाई जा रही है। छोटे क्लेम वालों की संख्या बहुत अधिक है। इस लिए अगर बड़े क्लेम वालों को पूरा कम्पेन्सेशन न दे कर इन लोगों के कम्पेन्सेशन की मिकदार बढ़ा दी, तो लेखा वही पड़ेगा और सरकार का धन उतना ही लग जायेगा। फिर अधिक क्लेम वालों की संख्या बहुत थोड़ी है। जहां सरकार ने आज तक करोड़हा रुपया इन शरणार्थियों पर खर्च कर दिया है, वहां यह थोड़ा रुपया तो उस के हाथ के मैल के समान है। यह इन लोगों को देने से सरकार ने जो सभी शरणार्थियों को सहायता देने का वचन दिया था, उस की भी पूर्ति होगी और न किसी को किसी प्रकार की शिकायत का अवसर रहेगा और इस के साथ ही हमारी सरकार के न्याय की मर्यादा की शान दृढ़ होगी और शरणार्थियों की समस्या सदा के लिये समाप्त हो जायेगी।

इन सभी कारणों से मैं डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज कम्पेन्सेशन एंड रीहैबिलिटेशन रूल्ज, १९५५ का समर्थन करती हूं और छोटे मोटे सुधारों को छोड़ कर इन के किसी मौलिक सिद्धान्त और नियम में परिवर्तन करना उचित नहीं समझती हूं।

इस सम्बन्ध में जो तरह तरह के सुझाव आ रहे हैं, उन को देख कर मुझे कृष्ण भगवान

की वह बात याद आती है, जो उन्हों ने अर्जुन से गीता में कही थी, कि "हे अर्जुन, अनेकों धर्म हैं, अनेकों मार्ग व शास्त्र हैं, इन सब में पड़ कर तेरी बुद्धि चकरा जायेगी, तू तो सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज" यानी डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज रीहैबिलिटेशन एंड कम्पेन्सेशन रूल्ज १९५५ में जो मार्ग है, वही उचित व ठीक है और तू उसी पर चल।

लाला अचिंत राम (हिसार) : आज शरणार्थियों के यहां आने के आठ बरस बाद कम्पेन्सेशन के रूल्स को डिसकस करने का दिन आया है। आज यह फैसला होगा कि किन कायदों के मातहत उन को कम्पेन्सेशन दिया जायेगा। यह खुशी की बात है कि इस काम को करने के लिये हमारे मोहतरिम भाई मुकर्रर हुए हैं जो कि खुद एक रिफ्यूजी हैं। हम इन आठ सालों से बराबर सरकार से यही कहते रहे कि इस जगह पर कोई शरणार्थी मुकर्रर करो, कोई शरणार्थी मुकर्रर करो, जो कि हमारे दुःख को जानता हो। आज हमारा यह मतालबा पूरा हुआ। हम यह जानते हैं कि बहुत सी बातों में तो वे बेबस हैं लेकिन जो कुछ उन के बस की बात है वह उन्हों ने की है। उन्हों ने मेम्बरों को अपनी बात कहने का पूरा पूरा मौका दिया यह बड़ी खुशी की बात है और इस के लिये मैं उन का मुबारकबाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। कुछ ऐसी बातें भी वे लाये जो कि हमारे दिमाग में नहीं थीं। उन का जाविया निगाह हमेशा एक रिफ्यूजी का रहा है और उन्हों ने निहायत नम्रता से और सब्र से हमारी बातें सुनीं। लेने देने की बात तो अलाहिदा है, लेकिन कम से कम उन्हों ने हमारी बात तो मुहब्बत से सुनी जिस के कि हम ख्वाहिशमन्द थे। इस के लिये मैं उन को धन्यवाद देता हूं।

मतलब की बात तो यह है कि आज के दिन का बहुत अर्से से इन्तजार था। आज कम्पेन्सेशन के रूल बनने वाले हैं। सब रिफ्यूजीज की आंखें इधर लगी हुई थीं और वे सोचते थे कि उन को कुछ मिलेगा। लेकिन आप गौर फरमाइये कि क्या होने वाला है। आज किस चीज का कम्पेन्सेशन मिलने वाला है? उस चीज का जो कि उन के पास पहले से मौजूद है। यानी आज वह मकान मिलेंगे जिन में वे रह रहे हैं, जो कि इवैक्वी प्रापर्टी के हैं, या जो मकान गवर्नमेंट ने बनाये हैं वे मिलेंगे, जिन में कि रिफ्यूजी लोग पहले से ही रह रहे हैं, और जो कर्जा उन को मिल चुका है वह मिलेगा। इस वक्त तो यह मिलने की बात है। रूल उस चीज के मिलने के बन रहे हैं जो कि उन को पहले से मिली हुई हैं। मकान मिले हुए हैं, कर्जा मिला हुआ है, और गवर्नमेंट के मकानों का अलाटमेंट भी हुआ है। इस क्तव उन चीजों के लिये रूल्स बनेंगे जो कि रिफ्यूजीज को पहले से ही मिली हुई हैं। अब तो यह देखने का काम है कि रिफ्यूजी लड़ें और आप तमाशा देखें, कोई लेने देने की बात नहीं है। अब तो काम यह है कि रिफ्यूजी लोग आपस में लड़ें और आप तमाशा देखें और उन से कहें कि आपस में लड़ो मत, मुहब्बत करो। यह दिन किस वास्ते मुकर्रर हुआ है? हम को लड़ाने के लिये या कि कुछ काम करने के लिये? पहले तो हम गवर्नमेंट से लड़ते थे। अब यह कहा जा रहा है कि तुम आपस में लड़ो। आज यह बड़ी बात हुई है कि हमारे मिनिस्टर साहब के जिम्मे रिफ्यूजीज को लड़ाने का काम सुपुर्द हो गया है। हम मिनिस्टर साहब से कहते हैं कि यह करो, कोई कहता है कि वह करो। मगर वह कहते हैं कि हमारे बाप दादे, हम से पहले वाले मिनिस्टर, जो कुछ कर गये हैं उस के खिलाफ जाने की बात मेरे बस की नहीं है। आज हम अपने मिनिस्टर साहब की मजबूरी का मंजर देख रहे हैं। कहा जाता है कि पहले मिनिस्टर यह कर गये दूसरे यह कर गये। पर मैं हैरान हूं कि आखिर यह रिफ्यूजीज

[लाला अचित राम]

का मसला तै किस तरह से हो । इस में कोई शक नहीं कि मकान मिल गये, दुकानें मिल गईं। लेकिन हम पाकिस्तान में सिर्फ रहने का तो काम नहीं करते थे । कुछ रोटी भी खाते थ । यह ठीक है कि दुकानें मिल गईं और जमीन भी मिल गई लेकिन जब तक किसी के पास रुपया न हो दुकानें कैसे चल सकती है । अगर किसी के पास रुपया न हो तो वह सिर्फ मकान में बैठकर क्या खायेगा । हमारे आदमियों का पाकिस्तान में लाखों, करोड़ों बल्कि अरबों का काम था । आज जमीन और दुकान तो दी जाती हैं । पर इतने से ही आगे काम कैसे चलेगा । लोगों के बाप मारे गये, भाई बहिन मारे गये, बच्चे मारे गये, उन के लिये तो कुछ नहीं किया जा सकता लेकिन जो प्रापर्टी वे छोड़ आये हैं उस के एवज में तो कुछ मिलना चाहिये । इस मामले में कहा जाता है कि गवर्नमेंट की बड़ी मुश्किल है । हमारे जो मुहतरिम भाई हैं उन्हों ने हम से कहा कि गवर्नमेंट की बड़ी मजबूरियां हैं कोई सेंसिबिल बात करो । हम पूछते हैं कि क्या सेंसिबिल बात करें ? रुपये में से १५ आने मांगें, १४ आने मांगें, १२ आने मांगें, या आठ आने मांगें ? सेंसिबिल सेंसिबिल करते करते वे आठ आने पर आ गये । लेकिन हमको डर होता है कि अगर हम इसको सेंसिबिल कहें तो इस को भी इनसेंसिबिल न समझा जाय । एक सिलेक्ट कमेटी बैठी थी । उसमें कहा गया आठ आना सेंसिबिल है । उसमें सारे ५० आदमियों ने ऐसा कहा । जब सबने कह दिया कि यह सेंसिबिल है तो हम समझे कि यह सेंसिबिल है । जब यह मामला हाउस में आया तो हमने कहा कि हमने तो सेंसिबिल बात कही है । उस बक्त जैन साहब नें कहा था कि अभी दरवाजा बन्द नहीं है, अभी तो इंटरिम स्कीम आवेगी । अब खन्ना साहब फाइनल स्कीम लाये हैं । अब दरवाजा बन्द हो जायेगा यह अनप्लेजेंट ड्यूटी अब उनके ऊपर आवेगी । इसके पहले तो प्लेजेंट ड्यूटी थी क्योंकि दरवाजा बन्द नहीं था । अब हमारे भाई को यह काम दिया गया है और कहा गया है कि तुम इसको फाइनल करो । तो आज का दिन किस वास्ते मुकर्रर किया गया है ?

खन्ना साहब कहते हैं कि एक लाख आदमी को जिन के पास पाकिस्तान में एक एक दो दो एकड़ जमीन थी उन को जमीन एलाट हो गई है ताकि व अपना गुजारा चलायें । अब आप देखें कि उन को एक एक और आधा आधा एकड़ जमीन एलाट हुई है । कहा जाता है कि उन को एक्स ग्रेशिया ग्रांट मिलेगी । पता नहीं क्या मिलेगा । कहा जाता है कि मजबूरी है ऐसा ही कानून बन गया है ।

मेरे पास एक आदमी की अर्जी है । उस ने मुझ से कहा कि मैं ने क्लेम दाखिल नहीं किया । जब मैं ने पूछा कि उस ने क्यों क्लेम दाखिल नहीं किया तो उस ने कहा कि मैं दिन भर काम कर के आठ दस आने पैदा करता हूं । अगर मैं क्लेम दाखिल करने पी० ब्लाक जाऊं तो मुझे रिश्वत के दस पांच रुपये देने को चाहियें । कैसे मैं क्लेम दाखिल कर सकता हूं । वह आदमी कांग्रेस में दो साल जेल भुगत चुका है और देश की सेवा करता रहा है । आज आठ साल बाद अगर कहा जाता है कि उस का क्लेम दाखिल किया जाये तो कहा जाता है कि मजबूरी है । हम कहते हैं कि यह बेपढ़ा लिखा आदमी है, इस ने बहुत मुसीबतें उठाई हैं, तो कहा जाता है कि उस का क्लेम उसी हालत में लिया जा सकता है (इफ देयर इज सबसटेंशियल काज फार डिले) यदि देरी का कारण वास्तविक हो । (इफ देयर इज ए डाकुमेंटरी प्रूफ, दैन ए क्लेम विल बी कंसीडर्ड) यदि लिखित प्रमाण हो तभी दावों पर विचार किया जायेगा । मैं हैरान हूं कि इस (सब्सटेंशियल काज आफ डिले)

देरी के वास्तविक कारण के क्या मानी हैं। हो सकता है कि कोई आदमी बीमार रहा हो, किसी की टांग टूट गई हो या बाजू टूट गया हो और वह कभी एक अस्पताल में रहा हो और कभी दूसरे में रहा हो इस वजह से क्लेम न दे सका हो। इस को सबस्टेंशियल काज़ मान लेना चाहिये और उस का क्लेम ले लेना चाहिये। लेकिन आप इंडिफरेंट हैं और कहते हैं कि डाकूमेंटरी सबूत दो। आप ने ऐसा कायदा बना रखा है। आप को मालूम है कि रिफ्यूजीज में हजारों लाखों आदमी बेपढ़े लिखे हैं। जो बड़े बड़े आदमी थे, जो मिनिस्टर के रिश्तेदार थे उन का तो काम हो गया लेकिन गरीब आदमियों का कोई पुरसां हाल नहीं है। उन से कहा जाता है कि तुम सब्सटेंशियल काज़ दो। उस के बाद डाकूमेंटरी प्रूफ दो। अब उन बेचारों के पास खाने को नहीं, पीने को नहीं, डाकूमेंटरी प्रूफ कहां से दें। मैं इस को नहीं समझ सका कि आखिर कैसी उन रिफ्यूजीज़ के साथ हमदर्दी दिखलाई जा रही है। मैं जानता हूं कि हमारे मौजूदा मिनिस्टर साहब बज़ाते खुद रिफ्यूजी हैं और हमारा दर्द बखूबी समझते हैं लेकिन वे बेचारे क्या करें, उन के हाथ बंधे हुए हैं, तो ऐसी मुश्किल बात है, मैं आप को कहूंगा कि इस में कोई शक नहीं है कि आप के हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन इन हालात के अन्दर भी मैं तसलीम करता हूं कि आप ने कुछ हिम्मत की बातें की हैं, उसी तरह इस मामले में भी वह हिम्मत से काम लें। मेरी प्रार्थना है कि आप उत्साह से काम लें और जिन बातों को आप ठीक समझते हैं उन को लें, और उन केसेज को टैकिल करें, यह बाद में देखा जायेगा कि कितना आप उन को कर पाते हैं और कितना नहीं कर पाते हैं। मैं इस चीज से इन्कार नहीं करता कि आप के प्रीडिसेसर्स आप के हाथ बांध गये और श्री मोहन लाल सक्सेना वह चार एकड़ वाला रूल बना गये ....

सभापति महोदय : गुजिश्ता एक्ट में किसी में डाक्युमेंटरी प्रूफ के बाबत नहीं लिखा गया था।

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): रूल्स में लिखा है।

सभापति महोदय : वह उस सूरत में होगा जब कि कोई बाप, दादा की जायदाद हो और जिसके कि बारे में डाकूमेंटरी प्रूफ होना नामुमकिन हो।

लाला अचिंत राम : धन्यवाद, आप मेरा समर्थन कर रहे हैं, मुझे प्रसन्नता है।

अब यह जो मकानों और दुकानों का पांच करोड़ रुपये का पूल बना है उस में यह रखा गया है कि अगर किसी शख्स को चार एकड़ से कम मिला है और अगर उस का क्लेम १० हजार से कम हो तो उस को कम्पेन्सेशन नहीं दिया जायेगा, भले ही उस के नौ हजार नौ सौ के दस क्लेम्स हों। मैं तो यह कायदे कानून देख कर हैरान हो जाता हूं कि आखिर किस दिल से यह सब कायदा कानून हमारे लोगों ने पी० ब्लाक में या और कहीं बैठ कर बनाया है। मेरा तो यह सब चीज देख कर दुःख के मारे दिल फटने लगता है। और जब हम उस के बारे में आवाज बुलन्द करते हैं और कहते हैं कि यह तो रिफ्यूजीज पर बड़ा जुल्म है तो हम से कहा जाता है कि इस सम्बन्ध में न कहिये, इस पर चर्चा नहीं हो सकती। मुझे तो हैरानी होती है कि आखिर यह माजरा क्या है ? और ऐसा हुक्म क्योंकर जारी किया जाता है ? मुल्क ने फैसला किया है कि यह मुल्क फासिज्म निजाम को कबूल नहीं करता, डिक्टेटरशिप को कबूल नहीं करता, बल्कि यह डैमोक्रेसी को कबूल करता है, फैसला हुआ कि इस मुल्क के अन्दर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, तो भाई उस में तो कोई ऐसा तरीका निकाला जाना चाहिये जिस में

[लाला अचित राम]

लोगों की आवाज की सुनवाई हो । लोग पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि यह तरीका गलत है और यह हमें मंजूर नहीं है, तब मेरी समझ में नहीं आता कि इस को क्यों जारी रक्खा जा रहा है ? क्लेम्स दाखिल करने के लिये हम से मुतालिबा किया गया कि हम सैंसिबिल डिमांड करें और सेलेक्ट कमेटी ने एक राय से जितने का क्लेम हो उस के फिफ्टी परसेंट को सैंसिबिल क्लेम माना है लेकिन आज क्या हालत हो रही है । अगर किसी शख्स को चार एकड़ से ज्यादा एलाटमेंट हुआ है और उस का क्लेम अगर २० हजार से कम का है भले ही उसके १९, १९ हजार के दस क्लेम्स हों तो वह नहीं लिये जायेंगे और दूसरे यह कि बीस हज़ार से ऊपर का एक ही क्लेम लिया जायेगा, भले ही चाहे बीस हज़ार के उस के दस क्लेम्स हों । दस क्लेम्स में से केवल एक ही क्लेम लिया जायेगा । मैं तो आप से कहूंगा कि जैसे आपके हाथ बंधे हैं और मुमकिन है कि आप कल को फूड मिनिस्टर बन जायें या डिफेंस मिनिस्टर बन जायें और यह चीज यूं ही पड़ी रह जाये, इसलिये आप को हिम्मत कर के भौंसले साहब के वास्ते कुछ रास्ता खोल देना चाहिये ताकि वह आगे बढ़ कर कुछ हमारे मुसीबतजदा लोगों को राह देने के वास्ते काम कर सकें ।

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर) : पहले यह काम तो खत्म कर दें ।

सरदार हुक्म सिंह : आप चाहते हैं कि जल्दी यह काम खत्म कर दें, दरवाजा बंद कर के भौंसले साहब को भी अपने साथ ही मिनिस्टर साहब ले जायेंगे ।

लाला अचित राम : काम खत्म करने की कोशिश मत कीजिये । मैं तो आप से कहूंगा कि आप क्लेम्स सब के लें ताकि दुनिया को यह तो मालूम हो जाय कि आप इंसाफ पसन्द हैं । क्लेम्स का पेमेंट करना तो जुदा बात है लेकिन आप पहले लोगों के क्लेम तो इंटरटेन करें और इस के लिये अगर पुराने कानून में तबदीली करनी पड़े, तो मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि वह इस में जरूरी तबदीली करें, या तो एक नया कानून बनायें और सब के क्लेम्स आप लें ताकि रिफ्यूजीज जो मुसीबत के मारे हैं, वे यह तो समझें कि आखिर हमारा एक रिफ्यूजी मिनिस्टर आया जिस ने हमारे सब लोगों के क्लेम्स ले लिये । आप चार एकड़ से ऊपर, लाख से ऊपर के जिन के क्लेम्स हैं, या जिन को अलवर वगैरह में बंजर जमीनें मिली हुई हैं, उन सब के क्लेम्स आप ले लें, मैं जहां तक पेमेन्ट का ताल्लुक है, बिल्कुल मायूस नहीं हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे गवर्नमेंट ने कम्पेन्सेशन पूल में आहिस्ता आहिस्ता रुपया दिया, इस में भी जरूर आगे आयेगी और यह बड़ी खुशी की बात है कि पंत जी भी हमारे पंडित जी की मदद के वास्ते आ गये हैं और जिन्हों ने कि बड़े बड़े मसलों को मिनटों में हल कर दिया, मैं समझता हूं और मुझे उम्मीद है कि हम जो रुपये की जगह अठन्नी मांग रहे हैं और जिस को कि सब ने एक आवाज से रीजनेबुल डिमांड कहा है उसको वे पूरी करेंगे, साढ़े छः आने देने के बजाय ६, ७ पैसे और दे देना कौन सी मुश्किल बात है । मैं समझता हूं कि जो हमारी मांग है उस को मंजूर करना कोई मुश्किल बात नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी उस के लिए कोशिश करेंगे और कोई वजह मुझे नहीं दीखती कि वह क्यों नहीं मंजूर होगी । आज आप देखिये मार्केट के अन्दर क्या हाल हो रहा है । मार्केट के अन्दर लाखों आदमी ऐसे हैं जिन के कि क्लेम्स नहीं लिये गये हैं और जिन के क्लेम्स दाखिल हैं, उन के क्लेम्स बिक रहे हैं । एक रुपये का क्लेम ६ आने में बजार में बिक रहा है । जिस शख्स का क्लेम २ हजार रुपये का है, वह ६०० और ७०० रुपये में बिक रहा है । बेचने के सिवाय उन के पास कोई चारा नहीं रहा है

क्योंकि रुपया उन के पास है नहीं, इस लिये लाचारी दर्जे रुपया लेने के वास्ते उन्हें अपने क्लेम को कैप्टिलिस्ट्स के हाथ बेचना पड़ता है । मेहरबानी करके कोई ऐसा तरीका निकालिये जिस से हमारे जो जमाने के सताये हुए दुखी शरणार्थी भाई हैं जिन के गले पर छुरी चली है और जिन में थोड़ा सा दम बाकी है, वह जिन्दा रह सकें । हम ने सोशलिस्टिक पैट्रन आफ सोसायटी कायम करने का फैसला किया है तो मुनासिब तो यह था कि रेफ्यूजीज को मदद पहुंचायी जाती और उन को ठीक तरह बैठाया जाता । अगर इस देश में टाटा, बिड़ला और डालमिया जैसे करोड़पति लोग और दूसरे उसी क्लास के लोग रह सकते हैं तो यकीनन हमारे ढांचे में यह मुसीबतजदा भाई भी रह सकते हैं और में नहीं समझता कि कौन सी मुसीबत या रुकावट आप के रास्ते में इन को इमदाद देने में हायल है और गरीब होने के नाते यह आप की इमदाद के सब से पहले मुस्तहक हैं और में समझता हूं कि इस मकसद में पंत साहब, मौलाना साहब और पंडित जी अगर मिल कर काम करें तो जरूर कामयाब होंगे, खाली ६५ करोड़ की ही तो बात है । खाली एडवाइजरी कमेटी बनाने से काम नहीं चलेगा, काम तभी चल सकता है और रेफ्यूजी वर्ल्ड सारा तभी सैटिसफाई हो सकता है जब ६५ करोड़ के आप बांड्स दें ।

श्री जी० एच० देशपांडे : मेरी प्रार्थना है कि इन नियमों की व्याख्या शरणार्थियों के हितों में उदारतापूर्वक की जानी चाहिये अन्यथा इस से दरिद्र शरणार्थियों को हानि पहुंचेगी ।

निस्सन्देह सरकार ने बहुत काम किया है परन्तु अभी तक बहुत से लोगों की दशा बुरी है ।

ग्रामीण और शहरी लोगों के सम्बन्ध में भेदभाव के कारण सिन्ध के बहुत से लोगों को बहुत हानि हुई है । सिन्ध के परिजोगोय स्थान का उदाहरण है । वह वस्तुतः एक नगर था परन्तु वहां के पीर वहां नगरपालिका नहीं चाहते थे । यदि उस स्थान को ग्राम माना जाये तो वहां से आये लोगों को कितनी हानि होगी । मेरे पास वहां की जनसंख्या और सर्वेक्षण सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त हैं । मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के और मामले भी हो सकते हैं और यदि नियम का पालन दृढ़तापूर्वक किया जाये तो यह अन्यायपूर्ण होगा । अतः नियमों की उदार व्याख्या होनी चाहिये और यदि आवश्यकता हो तो नियमों को बदलना भी चाहिये । अब जब कि हम क्षत्तिपूर्ति के भुगतान की नीति आरम्भ कर रहे हैं तो हमें यह तो देखना चाहिये कि अधिनियम में रूपभेद की आवश्यकता है अथवा नहीं ।

किसी व्यक्ति को चार एकड़ भूमि दी जा चुकी है केवल इसी लिये उसे क्षत्तिपूर्ति के अन्य लाभ न दिये जाये यह ठीक नहीं है । उसने एक-अच्छे नागरिक की तरह शरणार्थी शिविर को छोड़ भूमि पर काम करना स्वीकार कर सरकार को सहयोग दिया, तो क्या अब आप उसे यह कहना चाहते हैं कि तुम्हें और क्षत्तिपूर्ति नहीं दी जा सकती । क्या यह न्यायपूर्ण होगा ? इन लोगों ने स्वतन्त्रता का मूल्य सब से अधिक दिया है अतः हमें कुछ कष्ट सहकर भी उन के पुनर्वास के लिये प्रयत्न करना चाहिये ।

मुझे अन्य कुछ मामलों का भी पता है । एक ७५ वर्ष के बूढ़े व्यक्ति का २०,००० रुपये का दावा था । एक ऐसी योजना की घोषणा की गई थी कि ऐसे व्यक्तियों को एक निश्चित समय के भीतर कुछ सहायता दी जायेगी । परन्तु इस महानुभाव के प्रार्थनापत्र पर चार मास तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

[श्री जी० एच० देशपांडे]

[श्री बर्मन पीठासीन हुए]

और पता करने पर पता लगा कि उन का प्रार्थनापत्र कहीं खो गया है । इस के कारण उस बिचारे को कितनी हानि हुई । उस के बार बार प्रार्थना करने पर भी उन्हें सहायता नहीं मिली ।

मैं जानता हूं कि इन कार्यालयों में काम अधिक है और भाषाओं के कारण भी कुछ कठिनाई है । परन्तु यहां औपचारिकता की बजाय सहायता भाव से कार्य होना चाहिये । नियमों पर विचार करते हुए हमें देखना चाहिये कि लोगों के साथ अन्याय न हो ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार (जालंधर) : जहां तक डिस्प्लेस्ड परसंज को सहायता देने का ताल्लुक है, जैसे कि मुझ से पहले के वक्ताओं ने कहा कि काफी परिश्रम किया गया है, काफी कोशिश की गई और बहुत सारे धंधे भी चलाये गये हैं और स्कीमें भी बनाई गई हैं लेकिन उन से अभी तक किसी को कोई संतोष नहीं हुआ । यह बहुत ही अफसोस का विषय है कि बावजूद इतनी मेहनत करने के, बावजूद इतना परिश्रम करने के और बावजूद इतनी कोशिश करने के और साथ ही साथ डिपार्टमेंट को काफी लम्बा चौड़ा कर के चलाने के हम अभी तक डिस्प्लेस्ड परसंज के मनों में संतोष की भावना पैदा नहीं कर पाये हैं । इस का नतीजा यह है कि एक तूफान सा उन के दिल के अन्दर है जिस को कि वे लोग जो उन के साथ मिलते हैं और उन को समझते हैं वे अनुभव करते हैं । अब देखने वाली बात यह है क्या हम ने जो कानून बनाये हैं क्या उन से डिस्प्लेस्ड परसंज को संतोष हो रहा है या नहीं । मैं इस बहस में पड़ना नहीं चाहता कि आया जो कानून हम ने बनाये हैं वे अच्छे हैं या बुरे । लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि हमारे यह तमाम कानून उस टैस्ट पर पूरे नहीं उतर रहे हैं, उस कसौटी पर नहीं उतर रहे हैं जिस से कि डस्प्लेस्ड परसंज को सन्तोष हो सके । मैं जानता हूं कि यह लोग इतने मूर्ख नहीं हैं या इतने नासमझ नहीं हैं कि वे यह न समझते हों कि हमारी सरकार की क्या लिमिटेशंज हैं क्या सीमायें हैं और या यह न समझ सकते हों कि हमारा जो पूल है या मुसलमान जाती बार जो जायदादें यहां छोड़ गये हैं वह बहुत ही कम हैं । हमारे भाई जो कि पाकिस्तान से यहां आये हैं वे इन तमाम बातों को समझते हैं । यदि आप उन से बात करें तो आप महसूस करेंगे कि वे यह बात जानते हैं और समझते भी हैं कि हमारे पास जो पूल है वह बहुत ही कम है । लेकिन उन का असन्तोष दो बातों पर आधारित है, एक तो यह कि जो कानून हम बनाते हैं और जो नियम हम बनाते हैं या जो स्कीमें हम बनाते हैं उन में हम इस बात की कोशिश नहीं करते कि यह देखें कि रिप्यजीज को संतोष किस बात से होगा । यह ठीक है कि एडवाइजरी कमेटीज बैठती हैं और वहां पर बातचीत होती है लेकिन वहां कुछ ऐसी मुश्किलात पेश कर दी जाती हैं और ऐसी कठिनाइयां पेश की जाती हैं कि "फलां काम तो हो ही नहीं सकता" इस के लिये "फाइनेन्स डिपार्टमेंट नहीं मानता" या "इस चीज के करने में फलां फलां दिक्कत हो जायेगी ।" इस के बाद यह कह दिया जाता है कि चूंकि यह मुश्किलात हैं और यह लिमिटेशंज हैं इस लिये आगे विचार नहीं हो सकता और यही कारण है कि हमारे लोग जो कि उन एडवाइजरी कमेटीज में होते हैं उन को चुप हो जाना पड़ता है । चूंकि विचार हो नहीं सकता इस लिये आप वहां कोई बात नहीं कर सकते । मैं समझता हूं कि इस मसले का ताल्लुक केवल रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट से ही नहीं है । यह तमाम गवर्नमेंट का विषय है और गवर्नमेंट को इस मसले पर

सामूहिक रूप से सोचना चाहिये । हमें विचार करना चाहिये कि हम कैसे इन को सन्तुष्ट कर सकते हैं ।

जितनी भी दिक्कतें हैं और जितनी भी कठिनाइयां हैं इन पर विचार कर के, डेमोक्रेटिक ढंग से विचार कर के यदि हम इन को रिफ्यूजीज के सामने रखें और उन को बतायें कि यह प्रापर्टी है, यह पूल है, इतना गवर्नमेंट इस के अन्दर डालना चाहती है, आप बैठो, स्कीमें बनाओ और सब फैसले करो और इस सब काम की जिम्मेवारी आप की ही है तो मैं समझता हूं कि यह चीज अच्छी तरह से हल हो सकती है और अच्छे निर्णय हो सकते हैं । इस तरह से जो फैसला वहां होगा वह अच्छा फैसला होगा । अभी तक जितने भी रूल्ज हम ने बनाये हैं, जितने भी कानून बनाये हैं वे रिफ्यूजीज को पूरा संतोष देने वाले नहीं हैं ।

मैं एक एक चीज को लेता हूं । आपने यह फैसला किया कि पांच हजार रुपये से नीचे की जो गवर्नमेंट की प्रापर्टी है या इवैकुई प्रापर्टी है, उसको हम आक्शन नहीं करेंगे और बाकी जायदाद को आक्शन कर देंगे । इससे आम शिकायत पैदा हो रही है कि छोटे छोटे शहरों में ऐसी कई जायदादें हो सकती हैं, जिन की कीमत पांच हजार या उस से कम हो, लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक आदमी कहीं से चला और यहां आ कर बस गया । उस ने एक जायदाद ले ली, या गवर्नमेंट की बनाई हुई एक प्रापर्टी ले ली या कोई इवैकुई प्रापर्टी ले ली । उसको कोई मकान दिया गया । बैठने की एक जगह दी गई या कोई दुकान दी गई । यहां पर अगर हम मार्केट वैल्यु के हिसाब से चलें, तो यहां पर कोई ऐसी प्रापर्टी नहीं मिलेगी, जिस की कीमत पांच हजार से कम निकले । अगर हम ग्राउन्ड की मार्केट वैल्यु लेंगे, तो दिल्ली में या और बड़े बड़े शहरों में वह कीमत बहुत बढ़ जायेगी । अगर उसको आक्शन करेंगे, तो इसका नतीजा यह होगा कि बहुत से लोग बगैर घर-बार के रह जायेंगे । आज सब से बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हर एक व्यक्ति को सिर छुपाने के लिये कोई न कोई जगह मुहैया की जाये । दिल्ली जैसे बड़े शहर में तो एक छोटे से मकान की कीमत पचास हजार या इस से भी ज्यादा हो जायेगी, जिस में दो छोटे छोटे कमरे हैं और एक आदमी अपने बीवी बच्चों के साथ उन में रह रहा है । आखिर वह आदमी, जो दिल्ली या कलकत्ता जैसे बड़े शहर में रहता है, कहां रहेगा ? आप उस को कहीं बसायेंगे या नहीं ? उस को कहीं जगह देंगे या नहीं ? आप को यह देखना पड़ेगा कि बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे मकानों की भी कीमत लाजमी तौर पर बहुत ज्यादा होगी और वही कीमत उस को देनी पड़ेगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बारे में कोई हल निकालिये । जो इन्तजाम आज कल चल रहा है, उस से तो बहुत से लोग बगैर शैल्टर के हो जायेंगे और उन के लिये बहुत मुश्किल पैदा हो जायेगी । आवश्यकता इस बात की है कि इस समस्या को सहानुभूति से देखा जाय, किन्तु मुझे खेद है कि आज वह भावना मौजूद नहीं है । आज हम कानूनों में उलझ जाते हैं । मुझसे पहले एक वक्ता ने कहा ह कि कानून इन्सान के लिए हैं, इन्सान कानून के लिए नहीं है और जब हम कानून के लिए इन्सान को कुर्बान कर देते हैं, तो बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है । इस वक्त हमारे सामने सवाल यह है कि हमने लोगों को काम देना है, उनको किसी न किसी प्रकार बसाना है और ऐसा करने के लिए यह जरूरी है कि आपने नीलामी की जो हद बनाई है उसको बढ़ा दिया जाय ।

कम्पेन्सेशन के सिलसिले में हम ने पचास हजार की सीमा मुकर्रर की है । अब हम लोग यह चर्चा सुन रहे हैं कि अब इस सीमा को दो लाख या उस से भी अधिक तक बढ़ा दिया जाये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

एक नीति का सवाल है कि जो लोग कम वित्त वाले ह, कम धन और कम सामर्थ्य वाले हैं, उन को पहले बसाया जाये और फिर दूसरों को बसाया जाये या यह कि कम वित्त वालों को जितना दे दिया, वह काफी है और अब ज्यादा प्रापर्टी वालों को सन्तुष्ट किया जाये। मैं समझता हूं कि अगर इस विषय में मुझ से पूछा जाय या इस हाउस के सदस्यों और जनता की राय मांगी जाये, तो सब इस बात पर जोर देंगे और सब की यह ख्वाहिश होगी कि जो लोग कम वित्त वाले हैं, पहले उन को बसाया जाय। यह बात नहीं है कि जो लोग ज्यादा प्रापर्टी वाले हैं उन को हम उन के हक से डिप्राइव कर रहे हैं---वंचित कर रहे हैं। उन के लिये हम ने एक लिमिट मुकर्रर कर दी है---पचास हजार की लिमिट रख दी है। वे बोली दें और अपने क्लेम को पूरा करा लें। लेकिन जो कम वित्त वाले हैं, कम क्लेम वाले हैं उन के हितों का भी ध्यान रखा जाये और उन की भी सन्तुष्टि के लिये पूल के हिस्से को लेना चाहिये।

मुझे अफसोस है कि इस सारे मामले में देहाती मकानों के क्लेमेन्ट्स के साथ बेइन्साफी हुई है। हमारे यहां जितनी प्रापर्टी रह गई है, उस की कीमत हम ने बहुत ज्यादा बढ़ा दी है और हमारे लोग जो प्रापर्टी पाकिस्तान में छोड़ आये हैं उस की कीमत हम ने बहुत घटा दी है। यह जो वैल्युएशन की गई है, वह एक मनमाने और आरबिट्रेरी तरीके से की गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि वह किस उसूल की बिना पर की गई है। जहां तक मैं समझता हूं हम ने इस बात की कोशिश की है कि किसी तरह से फिगर्स में, कागजों के ऊपर, हम यह दिखा दें कि यह प्रापर्टी का पूल बहुत ज्यादा है। मंत्री महोदय की दिक्कत को मैं जानता हूं। मैं उन की इस एंगजाइटी को समझता हूं कि वह दिखा सकें कि हम ने लोगों के क्लेम्स में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डाल दिया, ज्यादा से ज्यादा दे दिया। इसी वजह से उन्होंने पूल की कीमत को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की और इसी लिये उन्हों ने आक्शन का तरीका निकाला। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिये कि हम किसी तबके के साथ अन्याय न करें। मुझे यह बताते हुए अफसोस होता है कि रुरल हाउसिज़ के मामले में हम ने काफी अन्याय किया है। उन में से बहुत से हाउसिज़ ऐसे हैं जिन का अब तक किसी ने किराया वसूल नहीं किया है और जो आज तक एलाट नहीं हो सके हैं। वे नान-रेफ्यूजीज के पास हैं। मेरी कांस्टीटुएंसी में आदमपुर का इलाका है। वह एक छोटा सा कस्बा है। नान-रेफ़यूजीज़ वहां रह रहे हैं। मैं ने कई दफा गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ दिलाया, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। मालूम नहीं कि नान-रेफ्यूजीज कितनी देर से वहां रह रहे हैं और कितना किराया वसूल कर चुके हैं, लेकिन रेफ्यूजीज को वे मकान नहीं मिलते हैं। इस की वजह क्या है? क्या इन्तजाम की कमी है? मैं चाहता हूं कि सरकार उन मकानों को भी पूल में शामिल कर ले। जब हम छोटे से छोटे टुकड़े को भी पूल में रखना चाहते हैं और रख रहे हैं, तो उन को क्यों इगनोर किया जा रहा है?

इसी तरह से मैं यह अनुभव करता हूं कि अरबन लैंड्स की डिस्ट्रिब्यूशन के लिये भी हम एक तरीका अख्तियार कर सकते थे। पाकिस्तान में, फर्स्ट, सैकिंड और थर्ड क्लास म्युनिसिपल कमेटीज थीं, और यहां भी फर्स्ट, सैकिंड और थर्ड क्लास म्युनिसिपल कमेटीज हैं। बजाय इस के कि हम वैल्यु फार वैल्यू का तरीका अख्तियार करते, हम को यह करना चाहिये था कि लोग जितनी अरबन लैंड्स वहां पर छोड़ आये थे और जितनी यहां हमारे पास हैं, उन की प्रोपोरशन निकालते। जिस की लैंड फर्स्ट क्लास म्युनिसिपल कमेटी में होती, उस को यहां भी फर्स्ट क्लास म्युनिसिपल कमेटी

में देते और इसी हिसाब से दूसरों को भी दे देते। हम यह तय करते कि कितने क्लेमेन्ट्स हैं, कितनी लैंड है और क्या प्रोपोरशन है। इस तरीके से अगर हम काइन्ड फार काइन्ड देने की कोशिश करते तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को ज्यादा सन्तुष्ट कर सकते थे, क्योंकि उस में यह साफ हो जाता कि कितना हमारे पास है और कितना हम दे रहे हैं। लेकिन हम ने वैल्युएशन फार वैल्युएशन का तरीका अपनाया और स्टैण्डर्ड एकड़ बनाये। मैं अनुभव करता हूं कि स्टैण्डर्ड एकड़ का तरीका अब बहुत पुराना हो गया है और उस के ऊपर इस वक्त कोई एतराज करना शायद एक हिमाकत समझा जायेगा और एक किस्म की हैरिसी समझा जायगा, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि स्टैण्डर्ड एकड़ का तरीका एक अनसाइंटिफिक तरीका है। अगर जरा बारीकी से देखा जाये, तो हम महसूस करेंगे कि उस का बेसिस ही गलत है। यह वैल्युएशन का तरीका हम ने रखा और उसी के ऊपर हम सब काम कर रहे हैं।

ज्यादा समय न लेते हुए मैं सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि आप इस बारे में फिर से सोचें। आप ने जो रूल्स पेश किये हैं, वे पास हो ही जायेंगे, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज को जिन के लिये यह तमाम किया जा रहा है, जिनके लिए यह महकमा है, जिन के लिये हम यह इन्तजाम कर रहे हैं --बसाना चाहते हैं, सन्तुष्ट करना चाहते हैं, तो आप को इस समस्या पर फिर से गौर करना होगा। अगर उन लोगों की सन्तुष्टि नहीं होती है तो फिर हमारा यह तमाम इन्तजाम रद्दी हो जायेगा।

पिछले आठ सालों से हम ने इस बारे में बहुत मेहनत की है, यह बात मैं मानता हूं। मैं जानता हूं कि जो पहले मन्त्री महोदय थे और जो इस वक्त हैं, उन्हों ने दोनों ने कितनी मेहनत की है, कितनी सरदर्दी की है, कितना परिश्रम कर रहे हैं। इसके लिये मैं उन को धन्यवाद देता हूं। हमारे वर्तमान मंत्री महोदय खुद रिफ्यूजी हैं। शुरू से ही जितना समय उन्हों ने इस काम के लिये दिया है, कोई विरला व्यक्ति ही होगा, जिस ने इतना परिश्रम किया होगा। मैं उस की दाद देता हूं और मेरे ख्याल में हर शरणार्थी भाई उन को धन्यवाद देता है। भौंसले साहब ने भी इस बारे में बड़ा परिश्रम किया है। उन को भी मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन अगर परिश्रम का फल न मिले, उस का एप्रीसियेशन न हो तो उस के लिये बहुत अफसोस होगा। मैं चाहता हूं कि हम कोई ऐसा तरीका निकालें, कि एप्रीसियेशन भी हो और सन्तुष्टि भी हो ताकि हम कह सकें कि जो कुछ हम ने काम किया है वह उजड़े हुए लोगों की सन्तुष्टि के लिये किया है सिर्फ अपनी सन्तुष्टि के लिये नहीं किया है।

श्री एन० बी० चौधरी : एक वर्ष पूर्व जब हम विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक पर चर्चा कर रहे थे तो यह बताया गया था कि वह विधेयक केवल एक सक्षम विधान ही था और उस अधिनियम की कार्यान्विति ही उस विधान की वास्तविक कसौटी थी। उस में भी एक मंत्रणा बोर्ड की स्थापना का उपबन्ध था और माननीय मंत्री ने कहा था कि उक्त बोर्ड शरणार्थियों की प्रतिक्रियाओं के प्रति जागरूक रहेगा। हमें यह ज्ञात नहीं कि उक्त बोर्ड ने अपने इस कर्तव्य को कहां तक निभाया है।

जहां तक शरणार्थियों की प्रतिक्रिया का सम्बन्ध है, इसी संसद् भवन के समक्ष अनेकों प्रदर्शन हुए हैं, उन में यह डर फैला हुआ है कि उन्हें निष्काशित किया जा रहा है, उन की दुकानें छीन ली जायेंगी और मकान गिरा दिये जायेंगे।

शरणार्थी चाहते हैं कि कोई उपयुक्त प्रतिकर योजना बनाई जाये। यदि ऐसी कोई योजना होती तो उन को अपार हर्ष हुआ होता, परन्तु हुआ क्या है कि अन्तरिम प्रतिकर

[श्री एन० बी० चौधरी]

योजना की कार्यान्विति से वह सशंकित हो उठे हैं ।

प्रतिकर देने के लिये हम किस प्रतिकर संकोष को काम में लाना चाहते हैं ? इस सम्बन्ध में तत्कालीन मंत्री श्री ए० पी० जैन न कहा था कि :

> "हमारी पुनर्वास योजनायें राष्ट्रीय आयोजन से एकीकृत कर दी गई हैं । प्रतिकर का पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति के मूल्य से कोई न कोई अनुपात होना आवश्यक है, और सभी के हित के लिये वह पुनर्वास सम्बन्धी आवश्यकताओं के अनुरूप ही होना चाहिये ।"

हमारे पास १८५ करोड़ रुपये का संकोष है । इममें से कोई १५० करोड़ रुपये की संपत्ति है और कोई ३०–३५ करोड़ रुपया सरकार द्वारा दिये गये ऋणों तथा अनुदानों की राशि है अतः केवल पुनः वितरण ही किया जाना है, तो इस का अर्थ यह है कि कुछ शरणार्थियों से ले कर अन्य शरणार्थियों को दिया जाना है। इस के बजाय कि शरणार्थियों को उचित रूप से बसाया जाता, न जाने कितनी आशंकायें उन को घेरे हुए हैं । हम देखते हैं कि लाखों विस्थापित व्यक्तियों की समस्या को सत्तारूढ़ दिल ने बड़ी उपेक्षा से निपटाने का प्रयत्न किया है ।

ग्राम्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ कहने से पूर्व मैं नगरीय सम्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । हमें बताया गया है कि ६० प्रतिशत मकानों पर गैर-दावेदारों का कब्जा है और दस प्रतिशत पर छोटे दावेदारों का । इस से ज्ञात होगा कि अधिकांश शरणार्थियों के सत्यापित दावे बहुत थोड़ी राशि के हैं । इस योजना के अन्तर्गत केवल सत्यापित दावे वालों को ही कुछ दिया जायेगा । इस का परिणाम क्या होगा ? वह सभी शरणार्थी, जिन के कोई दावे नहीं हैं और जो मकानों में रह रहे हैं या जमीनें जोत रहे हैं, बेदखल कर दिये जायेंगे और उन के कष्ट बढ़ जायेंगे

दिल्ली तथा अन्य नगरीय क्षेत्रों में शरणार्थियों ने मांग की है कि आवंटन की सीमा को ५,००० रुपये से बढ़ा कर १०,००० रुपये कर दिया जाये । माननीय मंत्री ने इस सम्बन्ध में अभी कोई घोषणा नहीं की है । इस सम्बन्ध में भूतपूर्व पुनर्वास मंत्री ने लोक-सभा में कहा था कि उन्होंने विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वासित करने का दायित्व संभाला था इसलिये वह किस प्रकार उन्हें फिर से विस्थापित कर सकते थे । जो सरकारी मकान थे वह उन में रहने वालों को उचित मूल्य पर दे दिये जायेंगे और उन के मूल्य उन के दावों में शुमार कर लिये जायेंगे । उन्होंने आगे कहा था कि उन को पुनः विस्थापित करने का अर्थ होगा उन के लिये फिर से रोजगार की तलाश । इसलिये उन्हें फिर से विस्थापित करने की मूर्खता नहीं की जायेगी ।

यह आश्वासन दिया था भूतपूर्व मंत्री ने । प्रश्न यह है कि आज शरणार्थियों के दिल में इतना सन्देह क्यों है ? अन्तरिम योजना के स्थान पर अन्तिम प्रतिकर योजना बनाई गई है और सीमा को ५०,००० रुपये से बढ़ा कर दो लाख रुपया कर दिया गया है । यह कहा गया है कि कोई अधिकतम सीमा नहीं रखी जानी चाहिये, हम सिद्धान्त रूप से इसे मानते हैं, परन्तु हमारा निवेदन यह है कि सरकार इस संकोष में अपना अंशदान नहीं करती है तो अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेगी । यदि ५०,००० रुपये वाली सीमा ही रखी जाये तो प्रतिकर संकोष में कुछ वृद्धि हो जायेगी, और यदि सरकार अंशदान नहीं करती

है, तो इस सीमा का अतिक्रमण करना हमारे लिये कठिन है ।

यदि कोई शरणार्थी किसी दुकान इत्यादि के मूल्य का ५० प्रतिशत नहीं दे सकता है और यदि उस का सत्यापित दावा उस राशि के कम से कम ५० प्रतिशत का नहीं है तो कुछ मामलों में उसे बेदखल किया जा सकता है। बहुत से गैर दावेदार भी हैं। इसलिये हमें इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिये ।

शरणार्थी कृषकों का जहां तक सम्बन्ध है कुछ विभेद किया जा रहा है। उन को १०,००० रुपये से कम मूल्य के मकानों इत्यादि के दावे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है। यह तो सरासर अन्याय है । यदि उन को किसी स्थान पर चार प्रमाणित एकड़ भूमि आवंटित कर दी गई है तो वह अपने देहाती घरों के सम्बन्ध में, चाहे वह २०,००० रुपये के मूल्य के क्यों न हों, दावे प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं । आखिर इन का अपराध क्या है ? यद्यपि उन के पास बारह पन्द्रह हजार रुपये के मूल्य का मकान था तो भी आप कहते हैं कि उन को कुछ नही मिलना चाहिये परन्तु नगरीय क्षेत्रों में रहने वालों को उन के मकानों का, चाहे वह किसी भी मूल्य के क्यों न हों, प्रतिकर मिलेगा यदि वह मकान नगरीय क्षेत्रों में हुए तो ।

जो कृषक राजस्थान में जाकर बसे हैं । उन्हें यह निश्चित आश्वासन दिया गया है कि उनको दखीलकारी अधिकार दिये जायेंगे। वह कई वर्षों से वहां रह रहे हैं और उन्होंने भूमि को उर्वर बनाया है । अब इन नियमों के अन्तर्गत सरकार उन से उन भूमियों का मूल्य देने के लिये कह रही है। जो कुछ हम चाहते थे उस के बिल्कुल विपरीत हो रहा है । राजस्थान में स्थानीय कृषकों को दखीलकारी आदि के अधिकार दिये जा रहे हैं, पर इन शरणार्थियों को जिन्हें भूमि दी गई थी, अपने देहातों में स्थित मकानों के सम्बन्ध में अपने दावे प्रस्तुत करने तक की अनुमति नहीं दी गई है और उन से भूमि की कीमत मांगी जा रही है। यह लोग कैसे यह सब दे सकते हैं । यह स्पष्ट है कि भूमि के यह नियम बदलने पड़ेंगे और यदि उन के दावे उनके मकानों या दुकानों के मूल्यों से कम के हों तो उन को उन मकानों या दुकानों को खरीद लेने का अवसर दिया जाना चाहिये । जब तक कि सरकार नियमों में परिवर्तन नहीं करती है, संकोष को नहीं बढ़ाती है तब तक पुनर्वास समस्या हल नहीं हो सकती है ।

अब मैं परिशष्ट ८ के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। उस के अनुसार ३०,००० हजार रुपये तक उन को २,७८० रुपये तक का पुनर्वास अनुदान मिलेगा। मेरा निवेदन यह है कि जहां तक पुनर्वास राशि का सम्बन्ध है यह गैर-दावेदारों या छोटे दावेदारों के मामलों में अधिक होनी चाहिये । पर हम यह देखते हैं कि जिन को तकावी ऋण दिये गये हैं उन को इतनी पुनर्वास राशि भी नहीं दी जा रही है । जिस वक्त उन्हों ने इस भूमि को लिया था वह एक दम बंजर थी और उन्हों ने खून पसीना एक कर के उसे कुछ ठीक किया है । इसलिये जो गैर-दावेदार या छोटे दावेदार ग्राम्य क्षेत्रों में जा कर बसे हैं उन को और अधिक पुनर्वास अनुदान दिये जाने चाहियें । भूमि की कीमत की मांग करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है । दखीलकारी अधिकार पाने के लिये उन से भमि की कीमत न ली जाये ।

श्री नंद लाल शर्मा : यस्याङ्घ्रि रेणुवी-
जानि जनैरुप्तानि मूर्धसु ।
सद्यः सुरद्रुमायन्ते श्रीधरःसश्रियेऽस्तुनः ॥

विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में पुनर्वास और प्रतिकर दोनों प्रकार की विधि स्वीकृत हुई । अब उन के नियमों का निर्णय करने के लिये आज हम लोग उपस्थित हुए हैं ।

मुझे इस बात का अच्छी तरह अनुभव है कि गवर्नमेंट ने कितना (ट्रिमेंडस) महान कार्य किया है और अभी कितने और कार्य उसके सिर पर बाकी हैं और सरकारी रिपोर्टस में कई बार यह कहा जा चुका है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों की समस्या अब समाप्त हो गई है और अब और कुछ करने को बाकी रहा नहीं, और अभी कल या परसों के पत्रों में हम ने प्रधान मंत्री के पत्र व्यवहार के सम्बन्ध म पढ़ा कि हमारे पुनर्वास मंत्री

[श्री नंद लाल शर्मा]

महोदय का यह विश्वास है कि इन नियमों के स्वीकृत हो जाने के बाद लगभग ८० प्रतिशत लोगों के भाग्य का निर्णय हो जायेगा और उनके पुनर्वास और प्रतिकर का पूर्ण विश्वास हम लोगों को होगा। ऐसा हमने समाचार पत्रों में देखा है।

श्री मेहरचन्द खन्ना : यह दरुस्त नहीं है।

श्री नंद लाल शर्मा : मेरा यह निवेदन है कि जो ८० प्रतिशत को आशा आज से कुछ दिन के बाद की जाने वाली है और जिस के बारे में आज से एक वर्ष पहले या आठ महीने पहले जब मंत्री महोदय ने यह कहा था कि अब पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों की समस्या समाप्त हो गई है उसमें उतना सत्य का अंश नहीं था। रही बात हमारे वर्तमान मंत्री महोदय के सम्बन्ध में। एक बात मैं कहना चाहता हूं और वह बात शायद उन को कटु लगे, कड़वी बात थोड़ी सी दुखदायी होती है परन्तु होती है औषधि और वह यह है कि आज से कुछ दिन पहले बार बार विस्थापित यह दुःख अनुभव करते थे और कहते थे कि अब जब वे अपने नेता के पास जाते थे उन को यह उत्तर मिलत था कि मेहर चन्द खन्ना मर गये, वह पेशावर और फ्रंटियर वाले जो मेहर चन्द जी थे वह अब जीवित नहीं हैं। हम को आज एक बात से अवश्य ही शान्ति मिलती है कि कम से कम वही मेहर चन्द खन्ना पुनर्जीवित हो गये। वे, मैं समझता हूं कि तब भी नहीं मरे थे और अब भी नहीं मरे हैं। उनका जो सामाजिक जीवन जनता के हित के लिए था और जनता उन से जो आशा करती थी उस आशा को पूर्ण न कर सकने के कारण उस समय वह मर गये थे। आज जनता को पुनः यह आशा हुई है कि वे जीवित हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जूते पहनने वाले को ही यह अनुभव हो सकता है कि जूता कहां काटता है। आप दूसरे के दुःख को तभी अनुभव कर सकते हैं यदि आप उस दुःख में से गुजरे हों। एक आदमी जिसे यह समस्या हल करनी है और इसे हल करने में एक आदमी जो इसे अपने हृदय से लगा कर हल करने में समर्थ हो सकता है वह दूसरा नहीं कर सकता। मैं इतनी बात कह कर उन के सहायक महोदय जो हैं उन के सम्मान को किसी प्रकार से भी कम नहीं करना चाहता हूं। उन्हों ने आई० एन० ए० में काम किया और यहां भी बहुत ही अच्छा काम किया है।

विस्थापितों के कष्ट को अनुभव करते हुए भी यह जो आगे के लिये हम नियम बना रहे हैं उन नियमों में जो त्रुटियां आने वाली हैं उन से शरणार्थियों के भाग्य में और उलझनें बढ़ जायेंगी और जो रूल्ज अब बनाये जा रहे हैं उन से और कठिनाइयां बढ़ जायेंगी।

इंद्रो मूलम् विड़ौजा टीका

किसी लड़के ने वेद में पढ़ा इन्द्र और गुरु जी से जा कर पूछा कि गुरु जी यह इन्द्र क्या होता है? गुरु जी ने जवाब दिया कि बिड़ौजा। इन्द्र तो थोड़ा बहुत किसी की समझ में आता है लेकिन बिड़ौजा किसी की समझ में कैसे आये। इसी तरह से आज जो रूल्ज और रेगुलेशंस आप बनाने जा रहे हैं यह स्वयं डिस्प्लेस्ड पर्सन्स एक्ट की अपेक्षा अधिक भूल भुलैंया वाले हैं, इतने कम्प्लीकेटिड हैं कि वे आम आदमियों की समझ में ही नहीं आ सकते। अब अगर इन रूल्ज में कोई गड़बड़ी होगी तो जो एक्ट हैं वह केवल एक एक्ट नाम मात्र ही रह जायेगा और उस से कोई लाभ नहीं होगा।

अब मैं दो एक बातें कहना चाहता हूं कि जो रूल्ज हैं वे एक तो पुनर्वास के हैं और दूसरे प्रतिकर के हैं। पुनर्वास के सम्बन्ध में पहला प्रश्न तो यह था कि उस से लोगों का

करती है कि पुनर्वास नहीं हुआ । दूसरे अब सरकार की ओर से कुछ ऐसे कदम उठाये जा रहे हैं कि जिन व्यक्तियों को बसाया जा चुका है उनको भी पुनः उजाड़ा जाये और उन को एक बार फिर विस्थापित बना दिया जाये । उन को उजाड़ कर उनके पुनर्वास का कोई प्रबन्ध होगा या नहीं होगा इस का कुछ पता नहीं । आप ने हरिजनों की भलाई के लिए और दूसरी बातों के लिए १० वर्ष की अवधि संविधान में रख दी है लेकिन इन विस्थापितों के लिए कोई केटेगरी नहीं है । ये लोग न तो शैड्यूल्ड कास्ट्स में आते हैं और न ही शैड्यूल्ड ट्राइब्स में । इस वास्ते जिन को अब बसाया जा चुका है अगर उन को फिर से उजाड़ा गया और उनकी सम्पत्तियों को नीलाम करने की कोशिश की गई तो उन के पनर्वास की समस्या आप के सिर पर फिर खड़ी हो जायगी और वे लोग फिर से शरणार्थी हो जायेंगे । फिर हम यह नहीं कह सकेंगे कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापितों की समस्या प्रायः समाप्त सी हो गई है और निरन्तर गति की स्थिति हो जायेगी अर्थात् अनवस्था दोषाक्रान्त होगी और कुछ पता नहीं लगेगा कि कब बसाये जायेंगे ।

दूसरी बात यह है कि लगभग ६७ लाख विस्थापितों में से लगभग ४२ लाख विस्थापित ऐसे हैं जिन के क्लेम्स का अभी तक कुछ पता नहीं है और न ही उन्हों ने क्लेम दिये हैं। जब उन्होंने क्लेम नहीं दिये तो उन का पुनस्संस्थापन कैसे हो । उनके बारे में मैंने आप के जो रुल्ज आ रहे हैं उन में संशोधन भी उपस्थित किया है और उस समय उन के बारे में कहूंगा भी लेकिन मेरा विशेष निवेदन है कि उन का भी ख्याल रखा जाये और उन को रिहैबिलिटेट करने के प्रश्न पर भी विचार किया जाये । जहां तक क्लेम देने का प्रश्न है उनमें से कइयों ने तीन-तीन और चार-चार बार दिये भी हैं और जब उन्हों ने पहले क्लेम दिया तब थोड़े दिनों के बाद यह कह दिया गया कि वह क्लेम अब रद्द हो गये हैं दूसरे क्लेम दायर करो । दुबारा उस में यह हुआ कि १०,००० के नीचे के क्लेम जो कि रूरल क्लेम थे वे भी माने नहीं जायेंगे। इस का फल यह हुआ कि बहुत सारे लोग क्लेम ही नहीं दे सके ।

ऐसे भी कोई व्यक्ति हैं जो कि शैड्यूल्ड डेट के बाद भारत आये हैं और अभी तक भी आ रहे हैं और ये व्यक्ति उस जगह से आ रहे हैं जिस को ट्रांस फ्रंटियर टैरिटरी कहा जाता है जो तीराह का प्रदेश है जिसको कि नोमैंज़ लैंड कहते हैं । कितने ही ऐसे व्यक्ति हैं जो अब भी आ रहे हैं और उनको भी नान-क्लेमेंट्स की कैटेगरी में रखा जा रहा है ।

इस के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं ने इस हाउस में कई बार इस बात का आग्रह किया है कि जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं उन का भी ख्याल रखा जाये । मेरा उन के साथ कोई विशेष सम्बन्ध है, ऐसी बात नहीं है । ऐसे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स जिनको अपने विभाग से रिहाइश के लिये गवनेमेंट प्रापर्टी मिली हुई है यदि वह फल सर्विस में न रहें और निकाल दिये जायें या रिटायर हो जायें तो ऐसा होगा कि गवर्नमेंट क्वार्टर उन से छिन जायेगा और फिर वैसे के वैसे रिफ्यूजी बन जायेंगे, डिसप्लेस्ड परसन बन जायेंगे । मैं निवेदन करता हूं कि इस बात पर भी ध्यान दिया जाये ।

साथ ही साथ मैं इन कालोनीज़ के सम्बन्ध में चाहे आप तिलक नगर की कालोनी ले लीजिये या लाजपत नगर को ले लीजिये या कोई और कालोनी ले लीजिये ।

[श्री नंद लाल शर्मा]

उन के अन्दर न तो लाइट का प्रबन्ध है न पानी का प्रबन्ध है और न ही वहां पर कोई सैनिटरी अरेंजमेंट है और न किसी प्रकार की नालियों का प्रबन्ध है जिन के कारण उन को बहुत कष्ट होता है । साथ ही उन मकानों की कीमत के बारे में भी जल्दी फैसला होना चाहिये । जब भी हम गवर्नमेंट से पूछते हैं तो हम को जवाब दिया जाता है कि अभी तक अन्तिम मूल्य नहीं आंके गये अभी तक उनको यह बताया नहीं गया है कि अन्तिम क्या प्राइस होगी और उन को क्या देना है । सरकार आज तक उन का मुल्य नहीं आंक सकी है। हालांकि कितने ही वर्ष गुजर चुके हैं । इसके अलावा बार बार हम को विश्वास दिलाया जाता है कि किसी प्रकार से उस में लाभ की भावना नहीं रखी जायेगी और केवल जितना खर्चा आया है उसी के अनुसार उस की कीमत लगाई जायेगी । परन्तु अभी तक यह निश्चय नहीं हो सका कि कितनी कीमत बैठती है । इसके साथ ही कई जगह पर सरकार ने पांच पांच हजार के मकानों की कीमत सात सात हजार कर दी है । और सात सात हजार वाले मकानों की कीमत साढ़े आठ आठ हजार कर दी है। कितनी ही प्रापर्टी को आक्शन की कैटेगरी में ले आया गया है और आक्शन करते समय दुर्भाग्य से कुछ ऐसी बात हो जाती है कि जो क्लेमेन्ट्स हैं वह समझते हैं कि चलो हमारे क्लेम में से कुछ मिल जायेगा अगर हमने आक्शन में हाइएस्ट बिड दे दिया । यह वह इस लिये करते हैं कि वे समझते हैं कि पता नहीं कब क्लेम मिले और कितनी रकम मिले । मियां की जूती मियां के सिर पड़ती है । मैंने देखा है कि जो मकान १६,५०० का है वह आक्शन में ४७,००० में गया । राजेन्दर नगर में एक मकान जिसका १६,५०० अनुमानित मूल्य था वह ४७,५०० रुपये में नीलाम हुआ और दूसरा मकान ३९,५०० रुपये में नीलाम हुआ। आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि इतनी भयंकर—इतनी एग्जार्बिटेंट—प्राइसेज देकर रिफ्यूजी जीवित रहेंगा या मरेगा। और उस को क्लेम क्या मिलने वाला है—प्रतिकर क्या मिलने वाला है, इस का कुछ निश्चय नहीं है । उस की तो यह अवस्था है कि यहां शत्रु ने लूट लिया और यहां मित्र ने लूट लिया । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये ।

इसके बाद आता है इंस्टालमेंट्स का प्रश्न । इन रूल्ज में जब संशोधन उपस्थित होंगे उस समय मैं इस सम्बन्ध में विस्तार से निवेदन करूंगा, किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि इन रूल्ज में ४ वर्ष के इंस्टालमेंट्स का सिद्धान्त रखा गया है । गंगानगर बीकानेर के रेवेन्यू रिकार्ड से हमें पता चलता है कि जो लोग लैंड को बसाना चाहते हैं उन से रेवेन्यू डिपार्टमेंट चौदह पंद्रह इन्स्टालमेंट्स लेने के लिये तैयार है लेकिन रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट रिफ्यूजीज के पुनसंस्थापन के लिये चार एनुअल इंस्टालमेंट्स रखता है, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साधारण पृथ्वी बसाने वालों के रेट से बहुत अधिक है । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इस ओर भी ध्यान दें ।

मैं दो शब्द ग्रामीण विस्थापितों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । जब वह अरबन प्रापर्टी—नागरिक सम्पत्ति—खरीदने लगा, तो उस की प्रापर्टी की कीमत आधी कर दी । आप जरा ध्यान से देखेंगे, तो पता चलेगा कि पहले ही नागरिक प्रापर्टी के मूल्यांकन में उस की कीमत की उसी हिसाब से रेशो लगाई गई है कि गांव में जो प्रापर्टी है उस की वैल्यु कम होगी । इस भाव से उस का कममूल्य लगाया गया है और फिर यदि उस का मूल्य

आधा कर के आधे से भी आधे–एक चौथाई–पर गिराया गया, तो उस से और हानि पहुंचेगी ।

प्रतिकर के सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि कम्पेन्सेशन पूल मानों एक स्रोत बह रहा है, जिस में दो चश्मे आकर मिलते हैं एक तो इवैकुई प्रापर्टी में से चश्मा इस में आ कर मिलता है और दूसरा चश्मा है वह प्रापर्टी जो गवर्नमेंट ने बनाई । और गवर्नमेंट ह प्रापर्टी बनाने के बाद यह क्लेम करती है और यह विश्वास दिलाती है कि हमने रिफ्यूजीज के लिये कितना काम किया है । लेकिन वस्तुतः जितनी प्रापर्टी उन्होंने बनाई है, वह प्रापर्टी आक्शन कर के, रिफ्यूजीज को बेच कर और अपने खर्चे से भी कई गुना मूल्य पर बेच कर सरकार एक व्यापार कर रही है––वह पुनस्संस्थापन का कार्य नहीं कर रही है । इसलिये अगर सरकार को कुछ करना है तो उसको अपनी ओर से अथवा टैक्स लगा कर अथवा किसी और प्रकार से उस पूल में कांट्रीब्यूट करना चाहिये ।

अब यह बात तो निश्चित है कि हमको पाकिस्तान से कौड़ी भी मिलने वाली नहीं है । परन्तु मैं निवेदन करूंगा कि एक बात का ध्यान अवश्य रखा जाये । मुझे याद है कि सितम्बर की २३ तारीख को सन् १९५३ में हमारे भूतपूर्व पुनर्वास मंत्री श्री जैन महोदय ने कहा था कि जहां तक सरकार द्वारा बनाये गये मकानों का सम्बन्ध है वे उनके पास उचित मूल्य पर बेचे जायेंगे जो वहाँ रहते हैं । फिर आगे चल कर कहा कि सरकार उस विस्थापित व्यक्ति को नहीं निकालना चाहती जो वहां रहना चाहता है ।

आज आप बार बार यह हल्ला सुन रहे है मैंने यह भी सुना है कि हमारे मंत्री महोदय के द्वार पर जा कर लोगों ने अपना भाग्य रोया है कि जिन मकानों में हम लोग पड़ हुए हैं, वहां से हम को निकालने की चेष्टा न की जाये । उन मकानों के आक्शन को रोकने का प्रयत्न किया जाये और उन्हें राइट आफ प्रिएम्प्शन––शुफा का अधिकार––दिया जाये केवल शरणार्थियों को उसमें बिड करने का अधिकार हो और विशेषकर जो लोग उन मकानों में इस समय रह रहे हैं पहले उनको खरीदने का अवसर और अधिकार दिया जाये । इस के साथ ही साथ जो रेट्स हैं, जो चार इन्स्टालमेंट्स रखी गई हैं, उस के स्थान पर कम से कम १४ इन्स्टालमेंट्स रखी जायें ।

इसके बाद मैं एक विशेष ध्यान देने योग्य विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह समस्या अभी थोड़े दिनों से ही खड़ी हुई है वह है राजेन्द्रनगर की समस्या । कितने दिनों से वह समस्या सुलग रही थी । कभी आवाज उठती थी कि उस कालोनी के मकान गिरा दिये जायेंगे । यह बात सुन कर बेचारे विस्थापित, जो कि वहां रहते हैं, भागते हुए खन्ना साहब के द्वार पर पहुंचे और प्रार्थना की कि ऐसा न किया जाये । खन्ना साहब ने उन लोगों को विश्वास दिलाया कि हम नहीं गिराने देंगे । इस पर वे बेचारे कुछ शांत हुए । थोड़े ही दिनों के बाद फिर आवाज आती है कि वे मकान गिरा दिये जायेंगे । बेचारे विस्थापित फिर परेशान हो उठते हैं । यह हाउसिंग मिनिस्ट्री और रीहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री का टसल है––दो हाथी आपस में लड़ रहे हैं और कुचले जायेंगे बेचार छोटे-छोटे जीव ।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह कम से कम विस्थापितों को विश्वास दिलायें कि उनको अपने मकानों से निकाला नहीं जायेगा और उस कालोनी की कुटियां गिराई नहीं जायेंगी । मैं यह भी बता दूं कि जिस समय वे लोग वहां बसे थे, उस समय वह स्थान बिल्कुल एक जंगल के समान था । उन के वहां पर बसने

[श्री नद लाल शर्मा]

और रहने के बाद ही वह स्थान रहने के लायक बना। उनके ही कारण वह स्थान रहने के लायक बना और आज उनको इस बात का कोई विश्वास और निश्चय नहीं है कि वे वहां रह पायेंगे भी या नहीं।

इन निवेदनों के साथ मैं पुनस्संस्थापन मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इन बातों का ध्यान रखें और इसके अनुसार जो जो भी संशोधन आप के इन रूल्ज़ में करने का प्रस्ताव किया गया है, उनको स्वीकार करने की चेष्टा करें।

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर व जिला खेरी-पश्चिम) : आज आठ साल से हम रिहैबिलिटेशन के काम में लगे हुए हैं और हमारे सामने जो प्रश्न है, वह इतना मुश्किल प्रश्न है कि उस का हल करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। जिस वक्त यह रीहैबिलिटेशन का काम शुरू हुआ, उस वक्त हम लोगों ने यह देखा कि पंजाब, सिंध और बंगाल, इन तीनों इलाकों से लोग उठ उठ कर हमारे प्रान्तों में आए। इन लोगों की मुसीबत का बयान इस समय करना बेकार है, क्योंकि समय कम है। लेकिन मैं भूली नहीं हूं कि जिस समय पार्टीशन हुआ, उस समय मैं शिमला और दिल्ली में थी। उस समय मैं ने अपनी आंखों से गरीबों को, अमीरों को, सबको भिखमंगों की सूरत में देखा। मैं ने उनको हाथों में रोटियां लेते हुए देखा। मैं ने उन खानदानों को देखा कि केवल उनके बच्चे ही नहीं मरे थे, केवल उनकी स्त्रियां ही नहीं मरी थीं, केवल स्त्रियां विधवायें ही नहीं हुई थीं, केवल बच्चे यतीम ही नहीं हुए थे, लेकिन बहुतों की स्त्रियां और बच्चे गायब हो गये जो आज तक नहीं मिले हैं। तो ऐसी हालत में ये दुखी लोग हमारे यहां आये। उस समय हम ने और हमारी गवर्नमेंट ने उन को अपने कलेजे से लगाया। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उस समय का सारा इतिहास कहूं। लेकिन यह जीता जागता इतिहास है जो कि छिपाया नहीं जा सकता। आज सारे भारत में हम उन की मुरझायी हुई सूरतें देखते हैं। मैं इन रिफ्यूजीज की तारीफ भी बहुत करती हूं। यह हिम्मत नहीं हारे। आज भी स्त्रियां मुझ से प्रयोग में कहती हैं कि हम परिश्रम करेंगी और हम आप को विश्वास दिलाती हैं कि हम वापस लाहौर जायेंगी। उन की यह हिम्मत देख कर हमारी भी हिम्मत बढ़ी। लेकिन जिन गरीबों को आज हम बसाने जा रहे हैं उन के बारे में क्या हमको कानून पर इतना जोर देना चाहिये। कानन वही अच्छा होता है जिस में रीलेक्सेशन हो। किसी तरह का कानून उन पर लगाना कि वे फिर से बेघर हो जायें ठीक नहीं होगा। गवर्नमेंट ने उन के लिये जितनी मेहनत की है उस की मैं तारीफ करती हूं। मैंने वेटनमेंट देखे हैं जो कि इन के लिये बनाये गये हैं। मैंनें देखा है कि एक एक कोठरी में एक एक खानदान रह रहा हैं। वे अब भी परेशानी की हालत में है।

इस वक्त मुझे इतना ही सरकार से कहना है, हम शुरू से यह कहते भी आये हैं कि हम यह बिल्कुल पसन्द नहीं करते कि इन गरीबों को दुकानें नीलाम हों या उन का मकान नीलाम हो। आज सवेरे मैं ने कई अखबार देखे उन में बड़े बड़े हरफों में मैंने यह लिखा देखा कि जो बातें हम बराबर सरकार से कहते आ रहे थे उनको गवर्नमेंट ने तसलीम कर लिया है। यह देख कर मझे बहुत खुशी हुई। मैं यहां बैठी यह सोच रही थी कि मिनिस्टर साहब शरू में ही बतला देते कि यह चीज हम ने मंजूर कर ली है। अगर ऐसा होता तो हमारा काम आसान हो जाता और समय भी नष्ट न होता। लेकिन डिमाक्रेसी का यह दस्तूर

है कि इस में देर लगना जरूरी है। जब तक समय खर्च न हो तब तक बात साफ नहीं होती है ।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : डिमाक्रेसी की बात नहीं है, कुछ देना नहीं चाहते ।

श्रीमती उमा नेहरू : मुझे यकीन है कि मिनिस्टर साहब इन बातों को मंजूर कर लेंगे । इस से मुझे खुशी है और म मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि जो बात हम चाहते थे वह उन्हों ने कर दी यानी दो हजार और पांच हजार के ही नहीं बल्कि दस हजार के भी मकान नीलाम न किये जायें, दुकानें नीलाम न की जायें, लोग घर से बेघर न हो जायें, ऐसा न हो कि जिन को हमने बसाया है उन को फिर किसी दूसरी जगह बसाया जाये । यह देखकर खुशी हुई ।

ज्यादा समय नहीं है, इसलिये मैं ज्यादा न कह कर केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि जब तक हम में और हमारी सरकार में मिशनरी स्पिरिट नहीं होगी तब तक हम रिहैबिलिटेशन का काम नहीं कर सकेंगे । यह मुझे यकीन है । उस के साथ साथ, रिहैबिलिटेशन के क्या मानी होते हैं इस को भी हमें समझना है । हम तभी रिहैबिलिटेशन कर पायेंगे जब हम अपने रिफ्यूजी भाइयों की आर्थिक हालत को सुधार सकें । जिस वक्त इन रिफ्यूजीज की आर्थिक स्थिति हमारे समान हो जायेगी और हम और वह एक ही नाव में चलने लगेंगे, और हमारा रहना सहना और खाना पीना एक ही तरह का हो जायेगा तभी हमारा रिहैबिलिटेशन का काम सफल होगा । मैं समझती हूं कि इस काम में ह्यूमैन एप्रोच होनी चाहिये । जब तक आप का ह्यमैन ऐप्रोच नहीं होगा तब तक इन दुखियों की सही तस्वीर आप के सामने नहीं आसकेगी मैं सरकार से यह कहूंगी कि जहां तक हो इस बात का ख्याल रखे ।

अब दूसरी जो सब से बड़ी बात है वह ५० हजार की सीलिंग की है । हम ने अखबारों में देखा है कि उस को ५० हजार से दो लाख कर दिया गया है । इस के लिये तो मैं अपनी सरकार से यही कहना चाहती हूं कि अगर वह अपनी सैकिड फाइव इयर प्लान को कामयाब बनाना चाहती है तो रिफ्यूजी पूल के वास्ते कम से कम ५० करोड़ रुपया दे । मैं जानती हूं कि अगर दूसरी फाइव इयर प्लान में इन रिफ्यूजीज को जो कि उजड़े हुए यहां आये हैं बसा नहीं दिया गया तो आप की वह स्कीम पूरी सफल भी नहीं होगी ।

श्री एन० सी० चटर्जी : श्री नन्द लाल शर्मा ने कहा है कि उन्हें ज्ञात हुआ है कि श्री मेहर चन्द खन्ना अभी जीवित हैं और हम यह जानते हैं कि वह स्वस्थ हैं परन्तु मझे आशा है कि वह शरणार्थियों को कभी नहीं ठुकरायेंगें

इस अप्राकृतिक के देश विभाजन के कारण बंगाल को बड़ी भारी क्षति उठानी पड़ी है लाखों व्यक्तियों को घर बार छोड़ना पड़ा है, और वे आज भी अनेकों कष्ट सह रहे हैं ।

इस विधेयक के सम्बन्ध में प्रथम बात तो यह कहना चाहता हूं कि पुनर्वास सम्बन्धी ये सभी विनियम और संहिता उस समय तक व्यर्थ रहेगी जब तक कि सरकार निष्क्राम्य संकोष में वृद्धि करने को तैयार न हो । मुझे आशा है कि सभा का प्रत्येक सदस्य मेरी इस मांग का समर्थन करेगा। यह केवल पंजाब अथवा बंगाल की ही समस्या नहीं है, यह तो सारे भारत की एक राष्ट्रीय समस्या है। यदि पश्चिमी पाकिस्तान से आये ६६ लाख शरणार्थियों क लिये हम कोई सन्तोषजनक कार्य कर सक तो पूर्वी पाकिस्तान से आये ४४ लाख शरणार्थियों को भी कुछ संतोष प्राप्त होगा ।

मुझे यह देख कर बड़ा ही दुःख हुआ। कि एक प्रसिद्ध महिला सदस्या ने यह प्रस्ताव

[श्री एन० सी० चटर्जी]

रखा कि शरणार्थियों को दावों के लिये अधिक से अधिक ५०,००० रुपया दिया जाये। परन्तु आप को ज्ञात होना चाहिये कि अनुसूची ८ में लिखा है कि यदि किसी का दावा पान्च लाख का हो तो उसे अधिक से अधिक दो लाख रुपया दिया जा सकता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : १८ लाख रुपये के लिये दो लाख रुपये।

श्री एन० सी० चटर्जी : तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब अधिकतम सीमा दो लाख रुपया है, तो उसे कम करके ५०,००० रुपया कर देना एक अन्याय है। आप समाज का समाजीकरण कीजिये पर गरीबों का शोषण करके नहीं। यदि आप उन की राशि बढ़ायेंगे नहीं तो इस का सम्पत्तियों की नीलामियों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। यदि शरणार्थियों के पास दावों की अधिक राशि नहीं होगी तो वे निष्क्राम्य सम्पत्ति को नहीं खरीद सकेंगे और वे व्यक्ति जो शरणार्थी नहीं हैं, उस सम्पत्ति को खरीद लेंगे।

सभापति महोदय : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य अपने भाषण को कल पूरा करें। सभा के स्थगन से पूर्व मैं एक घोषणा करना चाहता हूं कि विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास विधेयक, १९५५ में रूपभेद किये जाने से सम्बन्ध रखने वाले प्रस्तावों की सूची आज रात को परिचालित कर दी जायेगी।

इस के पश्चात् लोक-सभा, मंगलवार, १३ सितम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।